खण्ड-201, अंक-7
सोमवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(23 फरवरी, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देबराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्तदीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता ,श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शंकुतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

शबेबरात के कारण सदन की बैठक न करने की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आज मुसलमानों का एक त्योहार है, क्या उसके लिये छुट्टी होगी ? मैंने इसके लिये परसों कहा था तो सरकारी पक्ष ने यह कहा था कि मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, वे कहीं चले गये हैं। आज सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी इस समय उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह होगा कि बजट के जो अनुदान हैं फिर उनके ऊपर कितने दिनों विवाद होगा इस पर विचार फिर से करना होगा। वे तो निश्चित समय पर होते हैं और उनके लिये दिन पहले से निश्चित हो जाता है। तो एक रोज कहीं से निकालना पड़ेगा, यह सोच कर ही माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई जवाब देना चाहें तो दें।

मुख्य-मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में तो आता नहीं कि कैसे होगा, लेकिन शबेबरात के दिन तो रात को आतिशबाजी वगैरह होती है। माननीय राजनारायण जी बड़े शौक से रात को आतिशबाजी छोड़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

किड़िहड़ापुर तथा इन्दारा गन्ना केन्द्र

****१---श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ ने केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को ३१ दिसम्बर, सन् १९५८ को बिल्थरा रोड, किड़िहड़ापुर, जिला बलिया तथा इन्दारा, जिला आजमगढ़ रेलवे गन्ना सेन्टरों को तत्काल चालू करने हेतु कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेंगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---जी हां। शासकीय पत्र गोपनीय होते हैं इसलिये उसका विवरण नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र के बाद केन कमिश्नर ने कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारी हर कार्यवाही यह हो रही है कि ये सेन्टर काम करने लगें और इनसे गन्ना लिया जाने लगे। यही कार्यवाही केन कमिश्नर ने की है कि वह गन्ना वहां से लेना शुरू कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र के बाद कब कब तीनों सेंटर चलाये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तारीख बताना तो सम्भव नहीं होगा, लेकिन बिल्थरा रोड सेन्टर से ३७ हजार मन, इन्दारा से ९ हजार मन गन्ना लिया गया और किड़िहड़ापुर से कितना गन्ना लिया गया मैं जानता नहीं, लेकिन सूचना हमारे पास यह आयी है कि १२ तारीख को वहां बेमेंट ब्रिज लग गया है।

हिन्दी शब्दावली

**२--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--२९ अगस्त, १९५७ ई० को अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी दफ्तरों, कचहरियों आदि में काम हिन्दी में हो सके, इसके लिये जो शब्दावली तैयार की जा रही थी वह शब्दावली अब तैयार हो गई है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)-- जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिये जो शब्दावली तैयार की जा रही है उसकी हिन्दी सरल रखी जा रही है जो सब लोग समझ सकें या कड़ी हिन्दी रखी जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि सरल किसको कहते हैं और कठिन किसको कहते ह। हम ऐसी हिन्दी रखते हैं जो कि उपयुक्त हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)-- "जी नहीं" का क्या अर्थ है ? क्या शब्दावली तैयार ही नहीं की जा रही है या तैयार की जा रही है लेकिन तैयार हुई नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शब्दावली तैयार हो गई है या नहीं, उसका जवाब था जी नहीं, अर्थात् पूरे रूप से तयार नहीं हुई। एक पुस्तक छप चुकी ह, दूसरी दो एक रोज के अन्दर छप जाने वाली है, तीसरी पुस्तक भी तैयार है जब दूसरी छप जायगी तब तीसरी भी चली जायगी।

रोजगार कार्यालय

**३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रदेश के निम्न उन्नीस जिलों में रोजगार कार्यालय अभी नहीं खुले हैं :--

(१) फतेहपुर
(२) हमीरपुर
(३) जालौन
(४) उन्नाव
(५) रायबरेली
(६) बाराबंकी
(७) सुल्तानपुर
(८) लखीमपुर-खीरी
(९) प्रतापगढ़
(१०) बदायूं
(११) देवरिया
(१२) बहराइच
(१३) आजमगढ़
(१४) बस्ती
(१५) एटा
(१६) गाजीपुर
(१७) हरदोई
(१८) जौनपुर
(१९) पीलीभीत

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये रोजगार दफ्तर कितने सालों में खुल जायंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---६ जगह खोलने के लिये तो इसी साल हमने भवन से अनुदान मांगा है। अगर मिल गया तो ६ खोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जैसे-जैसे धन मिलता जायगा वैसे-वैसे खोलेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ जगह जो खोले जा रहे हैं तो वह कौन-कौन जिले हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, मैंने यह कहा कि ६ जगह दफ्तर खोलने के लिये हमने भवन से अनुदान मांगा है कि इन जगह दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाय। लेकिन इनमें आजमगढ़ नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक रोजगार के दफ्तर में कितना रुपया सालाना व्यय होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह जो खुलने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार का २४,००० रुपया लगेगा। वैसे कुल पर ४० हजार रुपया खर्च होता, लेकिन ४० हमारा ६० उनका, कुछ रेशियो ऐसा है जिस में ६० गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको देती है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ ने क्या अपराध किया है जो उसका नाम नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---इसमें अपराध की कोई बात नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---कारण यह था कि उनके दिल को उप-मंत्री जी ने पहचान लिया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बतायेगी कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के दफ्तरों के खोलने की जो २४ हजार की योजना है तो उसमें जो एप्लीकेशन्स आयेंगी तो क्या ऐसा प्रतिबन्ध लगायेगी कि सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी दफ्तर और कहीं से आदमी न लिया करें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकारी दफ्तरों को तो आज भी आदेश है कि वह इनके द्वारा ही लोगों को लिया करें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो या तो कोई कारण विशेष होगा या फिर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन माना जायगा। जहां तक अर्द्ध सरकारी कार्यालयों का ताल्लुक है, हमारा उनको सुझाव है कि इनकी सेवाओं का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी दफ्तरों में इधर एम्पलायमेंट एक्सचेंज से लोगों को नहीं लिया गया है उनके खिलाफ कोई पत्र लिखा गया है या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी मैंने निवेदन किया था कि अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को केवल सुझाव दिया गया है क्योंकि उनको हम आज्ञा नहीं दे सकते हैं। सरकारी कार्यालयों को आज्ञा देते हैं और उसकी तरफ बराबर ध्यान दिलाया जाता है। और जो कोई उल्लंघन करता है और सरकार की नजर के सामने बात आती है तो जवाब तलब किया जाता है। इसकी व्यवस्था है कि ठीक तरह से काम चलता रहे।

तारांकित प्रश्न

केन्द्र से अनाज का पूरा कोटा न लेना

*१---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने केंद्र से मिलने वाला सस्ते गल्ले का मासिक कोटा जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९५८ में पूरा-पूरा उठाया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जनवरी, १९५८ के अन्त में राज्य सरकार के पास ५७,८११ टन गेहूं तथा ५६,४३७ टन मोटा अनाज था। फरवरी, १९५८ में सस्ते गल्ले की दुकानों से बिक्री काफी घट गई थी। भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गोदामों में काफी गेहूं एकत्र कर लिया था इसलिये राज्य सरकार ने अपने गोदामों में और अधिक गेहूं एकत्र करने की आवश्यकता नहीं समझी और २१,२२२ टन के अतिरिक्त जो जनवरी, १९५८ में प्राप्त किया गया था अप्रैल, १९५८ तक कोई कोटा केंद्रीय सरकार से नहीं लिया गया।

*२---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न में पूछा गया कोटा प्रतिमास कितने मनों का निर्धारित हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---केंद्रीय सरकार ने जनवरी, १९५८ में २३,००० टन और फरवरी, १९५८ में २०,००० टन गेहूं का कोटा निर्धारित किया था परन्तु मार्च व अप्रैल में कोई कोटा निर्धारित नहीं हुआ।

*३---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न में कहे गये महीनों में यह कोटा कितना-कितना प्रतिमास उठाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न १ के उत्तर में दे दिया गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अपनी खाद्य स्थिति का सही पता मार्च, १९५८ के अन्त तक चल गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वैसे उस वक्त तो हालत अच्छी थी और जो गल्ला दूकानों से उठता है बहुत काफी घट गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन महीनों में जो कोटा नहीं लिया गया था वह बाद में मई में इकट्ठा लिया गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, तब तो आवश्यकतानुसार लिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि मई के महीने में जब एकदम कीमतें बढ़ने लगीं, उसका कारण यह था कि सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च में अपना पूरा कोटा नहीं लिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसा तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मई में कुल १०,६१८ टन गेहूं उठा हमारे यहां से।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि उस कोटे के न आने से बाजारों में कमी मालूम हुई और उससे कीमतें बढ़ीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो राय का सवाल हो सकता है कि उससे कीमतें चढ़ीं या नहीं। लेकिन जहांतक आंकड़ों का सवाल है, जनवरी में २३,००० टन के करीब उठा था और उस वक्त केवल १०,००० टन हमारी दूकानों से उठा, इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमने कोटा नहीं लिया इसलिये अन्न के भाव बढ़ गये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च के महीने में ही उन्नाव सोशलिस्ट सम्मेलन ने सरकार को यह बता दिया था कि इस वर्ष रबी की फसल अच्छी नहीं हुई है और किसानों को आगे चलकर कमी पड़ेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उस वक्त मार्च के महीने में फसल खराब होने के अलामात नहीं मालूम होते थे।

श्री अध्यक्ष---वह सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि क्या सोशलिस्ट पार्टी ने खाद्य मंत्री को ऐसा लिखा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सोशलिस्ट पार्टी वक्त बे वक्त कुछ न कुछ बात कहती ही रहती है, उसका विश्वास करना बड़ा कठिन है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि उसके सामने जो प्रश्न रखा जाय वह सरकार की हैसियत से उस पर विचार करे और विचार करके उचित कार्यवाही करे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, जो उचित बात रखी जाती है उसको सिर आंखों पर रख कर विचार किया जाता है।

श्री राजनारायण---तो जब सोशलिस्ट पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया था तो क्या सरकार के लिये यह कहना उचित है कि सोशलिस्ट पार्टी मौके बे मौके....

श्री अध्यक्ष---प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या सोशलिस्ट पार्टी ने अपना प्रस्ताव खाद्य मंत्री के पास भेजा था, उनको इसका ज्ञान है या नहीं, उनके पास सूचना मौजूद है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय खाद्य मंत्री बतायेंगे कि मई के महीने में जो खाद्यान्न की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं उसके क्या कारण थे और कीमतों को रोकने के लिये सरकार ने जो प्रयत्न किये वह किस महीने से प्रारम्भ हुए ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भावों का बढ़ना जून के शुरू में प्रारम्भ हुआ। उसके बाद तुरन्त ही फिर सरकार ने केंद्रीय सरकार से काफी गल्ला लिया और उसको वितरित करना प्रारम्भ कर दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---केंद्रीय सरकार से इस सरकार ने गल्ला कब लिया था और वितरित करना कब शुरू किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ठीक तिथि के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी परन्तु मैं अनुमान से बता रहा हूं कि जून के अन्त से ही बांटना शुरू कर दिया था और जुलाई में फुल स्विंग में बांटना शुरू हो गया था।

श्री गेंदासिंह---सबसे पहले सरकार को इस बात की कब जानकारी हुई कि अनाज की कमी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो आपके सामने गवर्नर महोदय का भी भाषण हुआ था कि १४ परसेंट की कमी हो गई है, आंकड़े तब आये।

श्री राजनारायण---क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मुख्य मंत्री से सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला था और सर्वप्रथम खाद्य संकट पर ११ जून को बस्ती में घेरा डालो आन्दोलन शुरू हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो मैंने कहा ही कि जून में भाव चढ़ना शरू हो गया था और जून के ही बाद हमने यह सब शुरू कर दिया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह मालूम है कि मुख्य मंत्री से सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला था और खाद्य संकट की जानकारी उसने उनको कराई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री, अगर आपके पास सूचना हो तो आप दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जबकि मैं यह कहूं कि माननीय राजनारायण गलत बात कहते हैं। मैं अपनी तरफ से ऐसी बात कहता नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि गवर्नर महोदय के भाषण में भी १४ परसेंट की कमी का जिक्र कर दिया गया था और पहले भी मालूम हो गया था तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब पता लग चुका था पेश्तर से ही तो क्यों नहीं कोटा वक्त से उठाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने तो यह कहा कि जून के अन्त से ही हमने कोटा मांगना शुरू कर दिया था और गवर्नर महोदय का भाषण हुआ था जुलाई में।

कुंवर श्रीपालसिंह--उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है, जो कारण बतलाये कोटा न उठाने के उसमें एक कारण यह भी है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अपने गोदामों में बहुत काफी गेहूं इकट्ठा कर लिया था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को कुछ इस किस्म की संभावना हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति खराब होगी जिसके लिये उन्होंने अपने गोदामों में गल्ला इकट्ठा कर लिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पुराना गल्ला जो था वह वापस नहीं लिया गया था, उसको दूसरी जगह मूव नहीं किया, बल्कि यहीं रहने दिया।

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर

*४--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में कितने सप्लाई अफसर हैं तथा उसमें कितने स्थायी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस प्रांत में ५१ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर हैं। इनमें से कोई भी स्थाई नहीं है।

*५--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**--सप्लाई अफसरों के स्थायी होने में किन-किन विषयों पर ध्यान दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि विभाग ही अस्थायी है, इसलिये सप्लाई अफसरों के स्थायी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह विभाग कब से चला आ रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सन् १९४३ से।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग को स्थायी नहीं करने का कारण क्या है और उसके जो कर्मचारी हैं वह कब तक अस्थायी रहेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसका कारण यह है कि सन् १९४८ में राशनिंग को ड्राप किया जा रहा था और उसका बहुत सा स्टाफ घटा भी दिया गया था। यह उम्मीद थी कि वह विभाग कतई बन्द कर दिया जायगा। सन १९५५ में तो इसके लिये पूरी तैयारी हो गई थी। इसलिये अभी तक यह निश्चित नहीं था कि विभाग रहेगा या नहीं रहेगा। मगर बीच में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि स्टेट ट्रेडिंग के लिये अगर कभी भविष्य में ऐसी संभावना हो तो उसके लिये कुछ स्केलेटन स्टाफ उसके न्यूक्लिअस के लिये रखा रहना उचित है। इसलिये वह रहा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि स्टेट ट्रेडिंग की योजना उनके सामने है इसलिये इस विभाग को स्थायी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह सब विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक आप इसे स्थायी नहीं करते तब तक क्या कोई इनके स्थानान्तरण की भी व्यवस्था है ? यदि है तो कितने दिन तक एक जिले में वह रह सकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह साधारण नियमों के अन्तर्गत हैं। साधारण नियम इन पर भी लागू हैं और स्थानान्तरण होता रहता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सप्लाई विभाग में जो अधिकारी वर्ग है उसमें से कुछ हिस्सा स्थायी किया गया है लेकिन कर्मचारी वर्ग में उस अनुपात में स्थायी नहीं किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं, यह बात नहीं है। पहले डिप्टी कलेक्टर जो टी० आर० ओ० थे जब वे अपने अपने विभाग को चले गये तो बाकी जो बाहर से लिये गये थे उनमें कोई स्थायी नहीं है।

सरकारी आटा पर बिक्री-कर

*६--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि आटा मिल वाले सरकारी आटा के निर्धारित कोटे को सरकारी दुकानों को सप्लाई करते समय Sales tax वसूल कर रहे हैं और सरकारी आटे को खरीदते समय ग्राहकों को Sales tax देना पड़ रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आटा मिल वाले तो सेल्स टैक्स वसूल करते हैं परन्तु ग्राहकों को सरकारी दुकानों से आटा, मैदा तथा सूजी खरीदते समय निर्धारित मूल्यों के अतिरिक्त सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जब मिल वाले सेल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं तो भी बाद में मिल वाले कंज्यूमर्स से इनडाइरेक्टली चार्ज कर लेते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कैसे चार्ज करते हैं, जब मिलवालों का आटा इन दूकानों पर चला जाता है, तो फिर कोई सेल्स टैक्स नहीं वसूल होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी फिर जांच कराने की कृपा करेंगे कि मिल वाले सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मिल वाले तो लेते हैं सेल्स टैक्स लेकिन आपने जो फरमाया कि इनडाइरेक्टली कंज्यूमर्स पर यह पड़ता है, वह संभव नहीं मालूम होता है क्योंकि जब मिल से फेयर। स शाप्स पर आटा चला जाता है तो सेल्स टैक्स कंज्यूमर्स पर नहीं लगाया जाता।

*७-९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर चौदहवें सोमवार (२-३-५९) के लिये स्थगित किये गये।]

शहद उद्योग तथा आजमगढ़ जिले में गंधीनाशक औषधि का छिड़काव

*१०--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को आजमगढ़ जिले से खरीफ के धान में गंधी मक्खियों से नुक्सान होने का समाचार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कितना नुकसान होने का अन्दाजा है?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी नहीं।

*११--श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थिति)---क्या सहकारी मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त जिले में गंधी मक्खियों से फसल के बचाव के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मोहनलाल गौतम---५,९३९ एकड़ धान की फसल में दवा छिड़की गई।

*१२--श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)---तारांकित प्रश्न संख्या ३२, दिनांक २६ सितम्बर, १९५८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहद उत्पादन उद्योग का विकास कार्य पहाड़ी जिलों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किन किन जिलों में इस समय चल रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम---मिर्जापुर, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में।

*१३-१५--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)---[राजस्व मंत्री से संबंधित अठारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६९-७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

स्टाकमैनों की मांगें

*१६---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्टाकमैनों के उत्तर प्रदेशीय संघ की कार्य-समिति ने अगस्त, १९५८ में पशुपालन विभाग के स्टाकमैनों के वेतन और पदोन्नति के संबंध में कुछ प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। प्रस्ताव में दिये हुये विषय विचाराधीन हैं।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि स्टाकमैन संघ की ओर से कौन कौन से प्रस्ताव रखे गये थे और उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रस्ताव कई हैं। उनमें एक खास यह है कि उनकी नौकरी पेंशनेबिल कर दी जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्टाकमैनों को इस वक्त कोई मासिक वेतन मिलता है?

श्री मोहनलाल गौतम---ये सब चीजें तो साहित्य में दी हुई हैं। इसलिये इनका जवाब यहां देने की मुझे जरूरत नहीं मालूम होती है।

विशुनपुर में खुलने वाला गोसदन

*१७---श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की विशुनपुर ग्राम सभा में जो गो-सदन खोला जा रहा है, उसमें कितने पशुओं के रखने की व्यवस्था की जा रही है तथा प्रति पशु के चारे में कितना धन व्यय की व्यवस्था की जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम---इस गोसदन में २०० पशुओं के रखने की व्यवस्था की गई है। प्रति पशु के चारे हेतु १८ रुपया प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई है।

श्री शीतलाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि १८ रुपये प्रति वर्ष ५ नये पैसे रोजाना पड़ते हैं वह पशुओं के लिये काफी नहीं होंगे?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ४,५ सौ एकड़ जमीन पर गोसदन बनता है जिसमें २००, २५०, जानवर रखे जा सकते हैं। उनके चरने की वहां पर व्यवस्था है। इस गोसदन में ३८७ एकड़ भूमि प्राप्त हो सकी है। वहां पर २०० जानवरों की व्यवस्था है। जहां तक यह १८ रुपये की बात है यह तो उसकी सप्लीमेंटरी है जो उसको सहायता दी जाती है। तीसरे यह कि यह प्राइवेट गोसदन हैं जिसको चन्दा एकट्ठा करने का अधिकार है। पैसा कम है इसलिये ज्यादा बढ़ाने में दिक्कत हो रही है।

*१८---**श्री शिवमंगलसिंह** (जिला बलिया)---[हटा दिया गया।]

सीतापुर जिले को बाग लगाने के लिये तकावी न मिलना

*१९---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में सीतापुर जिले के लिये कितना धन बाग लगाने की तकावी के लिये स्वीकृत किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम---इस वित्तीय वर्ष (१९५८-१९५९) में सीतापुर जिले के लिये अभी तक कोई भी धन बाग लगाने के लिये स्वीकृत नहीं किया गया।

*२०---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त धन में से कितना धन अब तक तकावी के रूप में दे दिया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में कोयले के लाइसेन्सदार

*२१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में इस समय कितने डस्ट कोल और साफ्ट कोक के लाइसेंसी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कोयला चूर के २८ तथा साफ्ट कोक के ७ अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसीज) हैं।

*२२---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ए० क्लास के तथा कितने बी० क्लास के लाइसेंसी सन् १९५० से पहिले के हैं और कितने सन् १९५० के बाद के?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---'ए' तथा 'बी' श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसीज) केवल कोयला चूर के होते हैं। कोयला चूर तथा साफ्ट कोक के सबके सब अनुज्ञप्तिधारी सन् १९५० के उपरान्त के हैं।

रायबरेली जिले के पुराने सप्लाई अफसर

*२३---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत सप्लाई विभाग में कोई ऐसे इन्स्पेक्टर हैं जो १० वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

नोट---तारांकित प्रश्न २३ श्री नन्दराम ने पूछा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इंस्पेक्टरान के लिये अधिक से अधिक कितने समय तक रहने की इजाजत है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इंस्पेक्टर के लिये कोई खास नियम नहीं है। वैसे साधारणतया ३ वर्ष की अवधि मानी जाती है।

श्री राजनारायण---अधिक से अधिक कितने साल तक एक इंस्पेक्टर एक स्थान पर रहता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---पब्लिक इंट्रेस्ट में जितना आवश्यक समझा जाय।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा उत्तर मिलेगा तो अनर्थ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं था।

श्री राजनारायण---मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि रायबरेली में अधिक से अधिक एक इंस्पेक्टर कितने वर्ष तक रहता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये कोई निर्धारित समय नहीं है।

जालौन जिले के लिये फ्लेंइंग सेन्टर

*२४---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जिला जालौन में कितने Flaying Centres खोले गये और कितने Flaying Centres और खोले जायेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम व द्वितीय वर्ष में जालौन जिला में कोई फ्लेइंग सेंटर नहीं खोला गया। इस चालू वित्तीय वर्ष में एक सेंटर खोलने का आयोजन किया गया है जिसके लिये संबंधित समुचित कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। योजना काल के आगामी दो वर्षों में कोई फलेइंग सेंटर जालौन जिला में खोलने का आयोजन नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने फलेइंग सेंटर खोलने का सुझाव जिला जालौन के लिये था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जालौन में एक ही था।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---लगभग २ वर्ष हुये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने फ्लेइंग सेंटर के लिये किसी व्यक्ति को रिकमेंड किया था तो उस सिफारिश को माना गया या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह एक लम्बा झगड़ा है, जिसमें माननीय सदस्य का प्रार्थना-पत्र आया था जो कि मेरे पास विचाराधीन है।

*२५---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---[वित्त मंत्री से संबंधित अठारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---[९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७-२८---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[मुख्य मंत्री से संबंधित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मथुरा वेटरिनरी कालेज में पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की भर्ती

*२९---श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय वेटरिनरी कालेज, मथुरा में १९५७ तथा १९५८ में कितने व्यक्ति मवेशियान ट्रेनिंग में लिये गये? उनमें से क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के थे?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५७ ई० में १०० व्यक्ति बी० बी० एस-सी० तथा ए० एच० कोर्स के लिये भर्ती किये गये उनमें पिछड़ी जाति के ६ और परिगणित जाति का कोई व्यक्ति न था।

१९५८ ई० में १०० व्यक्ति भर्ती किये गये जिनमें ६ पिछड़े वर्ग के तथा परिगणित जाति का कोई व्यक्ति न था।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आई थीं उनमें पिछड़ी जाति की कितनी थीं?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह---इस कालेज में लिये जाने के लिये योग्यता कम से कम क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम---जी० बी एस० में बी०एस-सी० तक आते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। इसका एडमिशन प्रि-वेटरिनरी टेस्ट के द्वारा होता है। उसमें जो मेरिट पर आता है वह लिया जाता है और परिगणित जाति के लिये १० परसेंट मार्क्स कम वाले भी शामिल किये जाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है और मेरिट पर सेलेक्शन होता है।

*३०---श्री भजनलाल (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

कोआपरेटिव सीड स्टोरों का गल्ला चोरी होने की शिकायत

*३१---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के ए० डी० एम० ने दिसम्बर, १९५८ के द्वितीय सप्ताह में कोआपरेटिव सीड स्टोरों का गल्ला चोरी जाते हुए कुछ ट्रकें पकड़ी थीं? यदि हां, तो किन-किन कोआपरेटिव स्टोरों पर और कितनी ट्रकें पकड़ी गईं और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---ए०डी०एम० खीरी ने कोई ट्रक कोआपरेटिव स्टोर से गल्ला चोरी जाते हुये नहीं पकड़ी अतएव इस प्रश्न के बाकी भाग का उत्तर शून्य है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि फूल बेहड़ ब्लाक के कोआपरेटिव सीड स्टोर से कुछ ट्रक गल्ले से लदे हुए पकड़े गये और उनको ए० डी० एम० ने स्वयं पकड़ा था?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा कि मैं कह चुका हूं ए०डी०एम० ने कोई ट्रक गल्ले का नहीं पकड़ा।

बिजनौर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*३२---श्री नरदेवसिंह दतियानवी (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में सस्ते गल्ले की कुल कितनी दुकानें खोली गयी हैं और उन दुकानों में से कितनी दुकानें बाढ़पीड़ित क्षेत्र में खोली गई हैं?

नोट---तारांकित प्रश्न २९ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला बिजनौर में इस समय खुली हुई दुकानों की संख्या २७ है। इनमें से २ दुकानें, अतिवृष्टि तथा पानी की रुकावट (water-logging) से पीड़ित क्षेत्र में खोली गई है।

श्री नरदेवसिंह दतियानवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दो दुकानें कब और किस मुकाम पर खोली गयी हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यहां से कोई ऐसा आदेश था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इतनी दुकानें खोली जायं या यह जिला अधिकारियों ने अपनी तरफ से किया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह बाढ़ पीड़ित नहीं वाटर लागिंग का क्षेत्र है और यहां से यह आदेश हैं कि बाढ़ पीड़ित तथा वाटर लागिंग वाले क्षेत्र में दुकानें खोली जायं।

श्री नरदेवसिंह दतियानवी—मंडावर और दतियाना जो बाढ़पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं क्या वहां सरकार दूकानें खोलने पर विचार करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वहां की खाद्य समिति तथा जिला मैजिस्ट्रेट यदि लिख कर भेजेंगे तो इस पर विचार किया जायगा।

*३३—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—[९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर में डेयरी की आवश्यकता

*३४—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर में डेयरी (दुग्धशाला) खोलने का विचार सरकार कर रही है? अगर हां, तो कब तक?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं?

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में डेयरियां खोली गयी हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यहां ७, ८ डेयरियां काम कर रही हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर में दूध आसानी से मिलता है और काफी मात्रा में, तो वहां डेयरी खोलने में क्या दिक्कत है?

श्री मोहनलाल गौतम—इन सब बातों पर विचार करके खोलने का इरादा था, लेकिन चूंकि कोआपरेटिव की सीलिंग में कमी हो गयी, रुपया कम है इसलिये वह स्कीम स्थगित कर दी गयी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या गत वर्ष गोरखपुर से कुछ लोगों ने वहां डेयरी खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या फैसला हुआ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने निवेदन किया, हम यह महसूस करते हैं कि इसकी जरूरत है लेकिन क्योंकि रुपये की कमी है इसलिये नहीं खोल पा रहे हैं।

रौनापार जूट केन्द्र पुनः चालू करने का आयोजन

*३५—**श्री इन्द्रभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार इस बात की सूचना प्राप्त करने की कृपा करेगी कि ग्राम रौनापार, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में कोई जूट केंद्र सन् १९५० में था या नहीं? यदि था, तो क्या उसके तोड़े जाने का कारण भी बताने की कृपा करेगी और अब क्या उसे पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, एक केंद्र था। केंद्र के आस-पास उन्नत ढंग से खेती का प्रयास असफल रहा इसलिये बन्द कर दिया गया। अब फिर ग्राम के आस-पास के ग्रामों में कुछ जूट का बीज सूरजपुर जूट विकास केंद्र से बोआई करने के लिये दिया गया है। यदि सफलता प्राप्त हुई तो रौनापार में जूट विकास केंद्र स्थापित होने की संभावना है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या सरकार के पास इसका कुछ परिणाम आया है? यदि हां, तो क्या?

श्री मोहनलाल गौतम—परिणाम तो बहुत अच्छा है इसीलिये वह जूट का बीज सूरजपुर में बुआई के लिये दिया गया था। जो रिसर्च थी वह सक्सेसफुल हुई और वह लोगों को दिया गया कि बोया जाय।

श्री गेंदासिंह—पहले जो जूट केंद्र बन्द कर दिया गया था क्या उसका कारण यह था कि जूट लोगों ने कम दाम होने की वजह से बोना बन्द कर दिया था?

श्री मोहनलाल गौतम—यह भी कारण हो सकता है, मैं ठीक नहीं कह सकता कि कारण क्या था।

*३६-३७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

केन्द्रीय भूमि-बंधक-बैंक स्थापना की योजना

*३८—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय भूमि-बंधक-बैंक (Central Land Mortgage Bank) स्थापित करने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह बैंक शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। आरम्भ में इस की कुछ शाखायें खोल कर कार्य शुरू कर दिया जायेगा जिसके द्वारा किसानों को दीर्घ-कालीन ऋण दिया जायेगा। यह ऋण भूमि को बन्धक रख कर पुराने ऋण को अदा करने तथा भूमि पर स्थायी उन्नति करने के लिए दिया जायेगा। यह बैंक डिबेंचर प्रसारित करके कार्यरत पूंजी एकत्र करेगा, यही इस योजना की प्रमुख बातें हैं।

कोआपरेटिव सीड स्टोर, बेहजम ब्लाक संबंधित शिकायत

*३९—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सीड स्टोर, बेहजम ब्लाक, जिला खीरी से दिसम्बर, सन् १९५८ को रबी के बीज को ब्लैक मार्केट में बेच लेने की कोई शिकायत सरकार के पास आई है?

श्री मोहनलाल गौतम—बीज को अनुचित ढंग से बेचने की शिकायत जिला सहकारी अधिकारी के कार्यालय में आई थी।

*४०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या यह सही है कि उक्त भ्रष्टाचार की जांच ए० डी० एम० खीरी द्वारा की जा चुकी है? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम हुये?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी जांच ए० डी० ओ० सहकारिता (Assistant Development Officer, Co-operative), बेहजम के द्वारा की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत कब आई थी और किस कर्मचारी के विरुद्ध थी?

श्री मोहनलाल गौतम—दिनांक ९-१२-५८ को बेहजम सहकारी संघ के कुछ संचालकों ने सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत की थी।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर (कोआपरेटिव) कर रहे हैं उसके पहले इसकी जांच ए० डी० एम० महोदय कर चुके हैं और कागजात सील किये जा चुके हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे पास जो सूचना है उसमें यही है कि ए० डी० एम० ने यह जांच सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), बेहजम के सुपुर्द की। कागज बदले गये हों, ऐसी बात मुझे मालूम नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत बीज बेचने की की गई थी वह कितने बीज की थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे पास पूरा ब्योरा तो नहीं है लेकिन जितनी सूचना है उसमें कुछ लोग जोकि काश्तकार थे उनके नाम से, जोकि उमराव खां, गोरई, हरद्वारी, महमूद खां, अलाउद्दीन खां, हफीजुल्ला खां हैं, हस्ताक्षर करके यह बीज लिया। इन काश्तकारों ने बीज लेकर खेतों में बोया या अनुचित ढंग से बेच दिया, इसकी पर्याप्त सूचना नहीं है और इसकी जांच हो रही है

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि जो शिकायत आई थी वह बेहजम ब्लाक के परमात्मा बख्श, सुपरवाइजर के खिलाफ आई थी और जो कागजात इसकी इंक्वायरी में आये थे वे इस वक्त तक मोहरबन्द पड़े हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे पास तो यह सूचना है कि सुपरवाइजर, बेहजम के खिलाफ थी, उसका नाम मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर इस तरह की कोई बात हो, वह मेरी नोटिस में लाई जाय तो मैं उसकी जांच करूं। इस तरह की सूचनायें तो उपलब्ध नहीं होती हैं।

गढ़वाल जिले में आटा, मैदा, सूजी का कोटा

*४१—**श्री घनश्याम डिमरी** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला गढ़वाल के लिये आटा, मैदा और सूजी का माहवार कोटा क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला गढ़वाल के लिये आटा, मैदा और सूजी का कोई मासिक कोटा नहीं निश्चित हुआ है। आवश्यकता के अनुसार स्टाक दिये जाते हैं।

*४२—**श्री घनश्याम डिमरी** (अनुपस्थित)—क्या यह कोटा जिला गढ़वाल को बराबर दिया जा रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला गढ़वाल के लिये आटा, मैदा तथा सूजी का जो स्टाक दिया गया उसको जिले के थोक व्यापारी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फडरेशन ने नहीं उठाया। अतः इस संस्था के अलावा तीन और व्यापारियों को थोक का काम दे दिया गया है। उन्होंने २,३५० मन आटा उठा लिया है। आशा की जाती है कि अब सब माल उठने लगेगा।

नीलगांव कृषि यांत्रिक फार्म पर घाटा

*४३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि यांत्रिक फार्म, नीलगांव, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर को १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों में प्रति वर्ष कितना घाटा रहा ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४१-४२ श्री प्रतापसिंह ने पूछे।

श्री मोहनलाल गौतम---कृषि यांत्रिक फार्म, नीलगांव पर पिछले तीन वर्षों के घाटे का विवरण इस प्रकार है :---

१९५५-५६	..	..	..	६३,४३३
१९५६-५७	..	..	..	५२,९५२
१९५७-५८	..	..	..	९३,६६३

*४४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घाटे से चल रहे कृषि यांत्रिक फार्म, नीलगांव, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर को भविष्य में सरकार विघटित करके उक्त जमीन को भूमिहीन किसानों को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---नीलगांव कृषि यांत्रिक फार्म के भविष्य के प्रश्न पर सरकार कृषि यांत्रिक फार्म समिति की रिपोर्ट आने पर विचार करेगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सभी सरकारी फार्मों में घाटा है या यहीं पर है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुछ में घाटा और कुछ में मुनाफा है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि इस फार्म ने गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की थी इसलिये इसे घाटा पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना चाहिये ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार इस फार्म को काश्तकारों को सहकारी खेती करने के लिये देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक कमेटी बना दी गई है जिसमें एनीमल हस्बेंडरी, एग्रीकल्चर और मेकेनाइज्ड फार्म के अफसर हैं, उनकी रिपोर्ट आने पर तय होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---यह घाटा किन कारणों से हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---जब ये फार्म बनाये गये थे उस समय अधिक अन्न उपजाओ की भावना ज्यादा जोर में थी, इसलिये बहुत-सी जगह बड़े-बड़े फार्म किये गये जहां बहुत-सी जमीन ऊंची-नीची या ऊबड़--खाबड़ थी । उसका डेवलपमेंट करने के कारण खर्चा ज्यादा हुआ । बहुत-सी जगह ५०, ६० जानवर तक इसलिये रखे जाते थे कि उन पर गेहूं और चावल के भूसे का असर देखा जाता है । ऐसे गाय बैल मरने का घाटा भी इसमें शामिल है । यह भी देखा जाता है कि कहीं रेयर जानवरों की वेराइटीज गायब न हो जावें जो कि अनइकोनामिक हैं, इसलिये घाटा है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या ये फार्म व्यक्तिगत लोगों की जमीन लेकर बनाये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---नोटिस की जरूरत है ।

श्री गेंदासिंह---यह फार्म कब से खोला गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यह ठीक याद नहीं है । सूचना चाहिये ।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---सरकार को क्या किसी भी फार्म में फायदा नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह बात सही नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि यांत्रिक फार्म समिति के सुपुर्द रिपोर्ट देने का कार्य किस तारीख तक है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म्स से सम्बन्धित जब कई प्रश्न सरकार के सामने आये तो सरकार ने एक सब-कमेटी बना दी जिसमें एनिमल हस्बेंडर कमिश्नर, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर और डिप्टी डाइरेक्टर (मेकेनाइज्ड फार्म्स) हैं । अभी कुछ दिन ही हुए जब कि यह सब-कमेटी बनायी गयी थी और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही रिपोर्ट आये।

खाद्यान्नों के भाव

*४५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५८ से १५ जनवरी, १९५९ तक प्रत्येक महीने में गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा तथा चावल के प्रदेश में क्या-क्या भाव थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगस्त, १९५८ से जनवरी, १९५९ के प्रथम पखवाड़े तक उत्तर प्रदेश की मंडियों के औसत थोक भाव की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी को पता है कि गत जनवरी में उनका बताया हुआ गेहूं का भाव २५ रुपये ११ आने फी मन की अपेक्षा कई जिलों में ३० और ३२ रुपये तक हो गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस तालिका में ३२ रुपये कहीं नहीं है। उनकी इत्तला गलत है, मेरी सही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी कई वर्ष से साल दर साल अनाजों के भाव तेज होते जाने के कारण उनकी जांच के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भगवान के ऊपर क्या कमेटी बैठाऊं मैं ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तालिका में जो भाव उन्होंने दिये हैं उनका आधार क्या है, कौन-सी मंडियों के वे भाव हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ये दोनों तरह की मंडियों के हैं, असेम्बलिंग मार्केट के और आम मंडियों के । ये हापुड़, कोसी कलां और बड़े-बड़े शहरों की मंडियों के भाव हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह सूचना रीजिनल फूड कंट्रोल के दफ्तर की है या इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स हर जिले में रहते हैं और आर० एफ० सी० के द्वारा यह भाव हर सप्ताह आते हैं ।

श्री गेंदासिंह---सन् १९५८ में शुरू में और अन्त में गेहूं, चना और चावल के भाव क्या थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगस्त १९५८ में गेहूं का भाव २२.८५ रु० मन और जनवरी में २५.११ रुपये था, चावल का २६.३८ अगस्त में और १८.७८ जनवरी में था । इसी प्रकार चने का अगस्त में १६.७५ और जनवरी में १९.८३ था ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात की सूचना को काफी समझते हुए कि सदन के सदस्यों को जानकारी है कि अगस्त में ३० और ३२ रुपये मन गेहूं का भाव था, पुनः जानकारी हासिल करावेगी और अपनी सूचना को सुधारेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमारे रेकार्ड में जो जानकारी है वह मैंने आपको बता दी । बाकी कहां से हासिल की जायगी ?

देहाती क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दूकानों पर गेहूं रखने का आदेश

*४६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर बजड़ी के अलावा गेंहूं तथा चावल रखने का भी आदेश जिला अधिकारियों के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं रखने के आदेश प्रारम्भ से ही थे। बाद में आयात किये हुए गेहूं के स्टाक को ध्यान में रखते हुए देहाती क्षेत्रों में स्थित दूकानों पर केवल लाल बजड़ी ही वितरण करने के लिये जारी किये गये परन्तु ३-१-५९ से इन दूकानों पर पुनः गेहूं वितरण करने के आदेश जारी कर दिये गये।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है उसके वितरण करने के आदेश की तिथि निम्न प्रकार है -

अल्मोड़ा-गढ़वाल टेहरी-गढ़वाल	४-९-५८
नैनीताल	१-१०-५८
पूर्वी जिले	१०-९-५८
अन्य जिले	२४-१०-५८

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि १०-९-५८ को पूर्वी जिलों में जो चावल रखने के आदेश गये थे लेकिन क्या यह सही है कि यह आदेश कुल दूकानों पर नहीं गये। देहाती और शहरी दूकानों पर केवल गेहूं और बाजरा बिक रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुमकिन है कहीं ऐसा भी हुआ हो। भेजने का इरादा तो था और भेज भी रहे हैं, मुमकिन है स्टाक की कमी की वजह से न पहुंच पाया हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कौन सही उत्तर है-१०-९-५८ को आदेश जा चुके हैं, जिसको तीन महीने से ज्यादा हो गये और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जा रहा है, गया है, इन दोनों में कौन सही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उनको लिखा अवश्य गया है और भेजा भी जा रहा है लेकिन देहात में चावल की फसल अच्छी हुई है इसलिये शायद वहां न भेजा गया हो।

*४७--श्री गनेशचन्द्र काछी--[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित उन्नीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली

*४८--श्री वीरसेन (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलवन्त मोटर्स लि०, बरेली ने कितनी धनराशि के कृषि यंत्र १९५६-५७ तथा १९५८ के अद्यावधि काल में तराई स्टेट फार्म तथा कृषि विभाग के अन्य उप विभागों को सप्लाई किये ?

श्री मोहनलाल गौतम--बलवन्त मोटर्स लि०, बरेली ने किसी भी धनराशि के कृषि यंत्र १९५६-५७ तथा १९५८ में तराई स्टेट फार्म तथा कृषि विभाग के अन्य फार्मों को सप्लाई नहीं किये।

*४९--श्री वीरसेन (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५७ तथा १९५८ के अद्यावधि काल में उक्त बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली को तराई स्टेट फार्म तथा कृषि विभाग के अधीन अन्य फार्मों की उपज इत्यादि के लाने तथा ले जाने (cartage) के लिये कितनी धनराशि अदा की गयी तथा उक्त कार्टेज के रेट्स (rates) क्या थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--१९५७-५८ के अवधि काल में उक्त बलवन्त मोटर्स लि०, बरेली को कृषि विभाग के अधीनस्थ फार्मों की उपज के लाने तथा ले जाने के लिये (कारटेज) कोई भी धनराशि अदा नहीं की गयी क्योंकि इनसे ऐसा काम नहीं कराया गया।

*५०--श्री वीरसेन (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कारटेज (artage) के लिये टेण्डर द्वारा ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस के क्या-क्या कोटेशन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

ट्रैक्टर्स व पम्पिंग सेट के लिए प्रार्थना-पत्र

*५१--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट के लेने के लिये उसके पास १९५८ में अब तक आने वाली दरख्वास्तों की संख्या को जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन दरख्वास्तों के लिये कोई समय रखा गया था कि कब तक आ जानी चाहिये या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--कोशिश की जायगी कि जल्द हो जाय ।

राजकीय बीज भण्डार, तालबेहट

*५२--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बीज भंडार, तालबेहट, जिला झांसी से जून से अगस्त, १९५८ तक खरीफ का बीज २५ मन से अधिक किन-किन लोगों को दिया गया है ? क्या सरकार उन को सूची उन के बीज लेने के वजन सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६० पर)

मैनपुरी जिले में खरीफ आन्दोलन पर व्यय

*५३--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत खरीफ आन्दोलन में मैनपुरी जिले में कितना रुपया खर्च किया गया तथा उक्त खर्च की मोटी-मोटी मदें क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी जिले में गत खरीफ आन्दोलन में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ इस की सूचना अब तक एकत्रित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जहां तक इन आन्दोलनों का ताल्लुक है, उन में कोई खास खर्चा करने की योजना नहीं थी । जो डिपार्टमेंट का अपना बजट था उसी के अनुसार इस योजना को चालू किया गया । केवल ५००--५०० रुपये पब्लिसिटी के लिये उनको दिये गये थे । अब किस किस जगह क्या क्या खर्च हुआ है इस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फर्टीलाइजर और सीड्स के लिये कितना रुपया दिया गया तथा जिन और डिपार्टमेंट्स का कोआपरेशन लिया गया उनके यहां सूचना एकत्रित करनी है ।

खरीफ आंदोलन पर व्यय

*५४--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत खरीफ आन्दोलन में अलग-अलग किन-किन मदों में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रबी अभियान पर व्यय

*५५--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित रबी अभियान में सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अभियान में पेट्रोल कितना खर्च हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जितना किया गया वह मुनासिब किया गया ।

किरावली तहसील से रबी के बीज की मांग

*५६--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील किरावली, जिला आगरा के किसानों द्वारा १९५८ की रबी की फसल के लिये कितने बीज की मांग की गयी थी और वह मांग किस-किस प्रकार के कितने बीज की थी तथा सरकार अब तक किस-किस प्रकार के कितने-कितने बीज की व्यवस्था कर सकी ?

श्री मोहनलाल गौतम--किसानों द्वारा पहले से मांग नहीं आती । पुराने अनुभव के आधार पर हर वर्ष लक्ष्य नियत किये जाते हैं और जैसे किसान आते जाते हैं उनको बीज दिया जाता है । इस वर्ष रबी का लक्ष्य २३,५०० मन किरावली तहसील का था और २२,१७१ मन बंटा, जिसका पूर्ण बिवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६१ पर)]

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि २३,५०० मन बीज का जो लक्ष्य निर्धारित था वह किस आधार पर किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह जो योजना है वह इम्प्रूव्ड बीज बांटने की है, हर बीज बांटने की योजना नहीं है । कितना इम्प्रूव्ड बीज हमारे पास एवेलेबिल है, इन सब का कंसिडरेशन किया जाता है और यह सब देख कर ही योजना बनती है, उसी हिसाब से यह तय हुआ है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किसानों के बीज की आवश्यकता के आंकड़े एकत्रित कराये थे ? यदि हां, तो तहसील किरावली के किसानों ने कितने बीज की आवश्यकता बतलायी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--बीज की आवश्यकता के आंकड़े हम एकत्रित नहीं कराते हैं और न करा सकते हैं और न हमारे पास इतने बीज हैं कि जितनी आवश्यकता है, सभी को बीज हम दे सकें । जो योजना है वह यह है कि कितना इम्प्रूव्ड बीज हम उनको सप्लाई करें ।

पीलीभीत जिले के बीज गोदाम

*५७--श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत से कृषि विभाग के अधीन कितने बीज गोदाम जून, सन् १९५८ तक थे और उनमें कितने किराये वाले भवन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--कुल २१ गोदाम थे और उसमें से १८ किराये के भवन में थे ।

*५८--श्री मलिखानसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किराया कितना अदा कर दिया गया और कितना देना बाकी है ? यदि बाकी है, तो क्यों और कितना व कितने महीने का ?

श्री मोहनलाल गौतम--लगभग २,६११ रु० ३३ नये पैसे अदा कर दिये गये हैं और लगभग ९८७ रु० ३७ नये पैसे जून सन्, १९५८ तक के बाकी हैं । जिन भवनों का किराया बाकी है उन्हे खाद और बीज के रखने की जगह की कमी के कारण जिला कृषि अधिकारी ने संचालक की पूर्व स्वीकृति के बिना ही ले लिये थे । स्वीकृति भेजने में कुछ जांच की कमी जिससे देरी हुई और कुछ कृषि गोदामों का किराया जिनकी सूची संलग्न है, बाकी है । आदेश जारी हो रहे हैं कि यह भी फौरन अदा हो जाना चाहिये ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६२ पर)

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गजूराम--[९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी जिले में मत्स्य पालन कार्य

२--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में मत्स्य पालन विभाग किस सन् से कार्य कर रहा है ? कितने तालाबों में कहां-कहां इस कार्य को किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--वाराणसी जिले में मत्स्य पालन विभाग १९४५ ई० से कार्य कर रहा है । २१ तालाबों में मत्स्य पालन कार्य हो रहा है जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६३ पर)

परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के मार्केटिंग इन्स्पेक्टर

३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्केटिंग आफिसर, यू० पी० के दफ्तर में कितने क्लर्क हैं उसमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रांविशियल मार्केटिंग आफिसर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में १२ क्लर्क हैं । उसमें परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कोई नहीं है ।

४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर व मार्केटिंग इन्स्पेक्टर हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उत्तर प्रदेश में १०२ सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर व २८७ मार्केटिंग इन्सपेक्टर हैं। उनमें ३ सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर व १२ मार्केटिंग इन्सपेक्टर परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं।

ऐग्रीकल्चर आफिस बदायूं की जंच रिपोर्ट

५--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में ऐग्रीकल्चर आफिस की साल १९५७-५८ की आडिटर द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, रिपोर्ट बहुत लम्बी है। सदस्य महोदय इसे सचिवालय में देख सकते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कुछ सूचना चाहता हूं।

श्रीमन् के सामने प्रश्न संख्या ४६ आया था जिसमें "बजड़ी" शब्द आया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "बजड़ी" कौन-सा अनाज है ?

श्री अध्यक्ष---खाद्य मंत्री जी बता दें कि "बजड़ी" कौन-सा गल्ला है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---यह इम्पोर्टेड मिलो है, उसी को "बजड़ी" कहते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---अब आज मेरे पास दो अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के लिये आये हैं। मैंने दोनों को अविलम्बनीय महत्व का न समझ कर स्वीकार नहीं किया।

एक तो श्री राजनारायण जी का है। उन्हें यह खबर मिली है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों का ऐनलिस्टमेंट बन्द कर दिया गया है और उससे खलबली मची है होम्योपैथिक डाक्टरों में। मैं समझता हूं २, ४ दिन बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे अनुदान के समय, उस वक्त इसकी चर्चा हो जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मरीज परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष---यह कब से हुआ है ?

श्री राजनारायण---३१ दिसम्बर के बाद से एनलिस्टमेंट बन्द हो गया है।

श्री अध्यक्ष---दिसम्बर से यह हुआ और असेम्बली ९ तारीख से बैठ रही है। तो ९ तारीख से लेकर २२ तक आपने विलम्ब किया और फिर अविलम्बनीय विषय आप कहते हैं उस प्रश्न को जिसमें आप खुद विलम्ब कर चुके हैं। इसलिये मैंने उचित समझा कि २, ४ दिन और ठहर जाइये आपको उत्तर मिल जायगा।

दूसरा है कि "अकबरपुर तहसील में तकावी और मालगुजारी तीन-तीन. चार-चार किस्त की एक साथ वसूल की जा रही है।" यह ऐसा प्रश्न है कि इसमें २,४ दिन में कुछ विलम्ब नहीं हो जायगा। इसका जिक्र मालगुजारी का अनुदान जब आयेगा उस समय हो जायगा।

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष––अब वित्तीय वर्ष १९५९–६० के आय व्ययक की मांगों पर मतदान ···

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––श्रीमन्, मेरा एक प्रस्ताव था और माननीय मंत्री जी से भी इजाजत ले ली है । आज जो हम बहस करेंगे इसके मुताबिक जैसा ऐग्रीड है अनुदान संख्या १५––गांव सभायें और पंचायतें, लिया जायगा । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ३६, ४१ और १५ एक साथ ही मंत्री जी मूव कर दें । इस सम्बन्ध में मंत्री जी भी राजी हो गये हैं और सारा स्वायत्त शासन विभाग इसमें आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष––मेरे पास जो अभी माननीय सुरथबहादुर शाह जी का लिखित पत्र आया है उसमें . . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––हम लोगों का सम्मिलित पत्र है । तो ४८ घंटे पहले कटौती आने का जो कायदा है उसको वेव कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––प्रोग्राम बनाने में यह तय हुआ था कि १ से लेकर १६ अनुदान तक बहस नहीं होगी और उनके ऊपर राय वैसे ही ले ली जायगी । इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते ह आप ? आपका क्या सुझाव है, मैं माननीय सुरथबहादुर शाह जी से जानना चाहूंगा ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)––मैं यह कहना चाहता हूं इस विषय में, कि माननीय सदस्यों के अनुरोध पर मालूम हुआ कि मंत्री महोदय से उनकी वार्तालाप हुई । तो मैंने उनसे जानकारी हासिल की । उन्होंने यह फरमाया कि उनको कोई आपत्ति नहीं होगी । इसी विषय पर कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर प्रजा समाजवादी पार्टी के उपनेता श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने माननीय मुख्य मंत्री से तथा वन मंत्री से बात की थी । तो अनुदान संख्या ५ पर मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि उनको कोई आपत्ति न होगी । यह आपसे निवेदन है कि अनुदान संख्या ५ दूसरे दिन रख लिया जाय और जो अनुदान संख्या १५ है, जैसा कि गोविन्द सिंह जी कह रहे हैं, उसके साथ अनुदान संख्या ३६ और ४१ भी मिला लिये जांय ।

श्री अध्यक्ष––अनुदान संख्या ५ तो कटौती में नहीं आता ।

श्री सुरथबहादुर शाह––जो अनुदान संख्या ५ बिना विवाद के हो रहा था, उसके लिये निश्चित हुआ कि उस पर थोड़ी देर के लिये विवाद होगा । तो वह बात कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष––अनुदान संख्या ५ के ऊपर विवाद चाहते हैं, ३६ के ऊपर चाहते हैं और ४१ के ऊपर और अनुदान संख्या १५ के ऊपर चाहते हैं ?

श्री सुरथबहादुर शाह––३६ और ४१ को १५ के साथ कर दिया जाय और ५ बाद में कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––इस परिवर्तन में वित्त मंत्री और स्वशासन मंत्री को आपत्ति तो नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना था कि यही तय पाया है कि इसके लिये कुल दो घंटे शुरू में ले लेंगे, वन विभाग के बारे में यानी १२ बजे के बाद शुरू होगा और दो घंटे होगा । उसके बाद जो कल का प्रोग्राम है वह चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें दो घंटे लगेंगे। स्वशासन मंत्री इस विषय में बतलावें कि आइटम संख्या १५, १६, १७ इन पर अभी नये कटमोशन ले लिये जांय और उनके ऊपर बहस हो जाय, तो आपत्ति तो नहीं है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के नेता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये कृपया बता दें कि किन-किन अनुदानों पर बहस होगी और किस क्रम में होगी तथा उनकी तिथियां क्या होंगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो वितरित कर दिया गया होगा सबको। यह १८ फरवरी को सूचना सब जगह दे दी गयी और उसमें यह भी दे दिया गया था कि किन-किन अनुदानों पर बहस होगी और किन-किन पर नहीं होगी। अब उसमें जो परिवर्तन चाहते हैं वह तो तत्काल ही होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरी प्रार्थना है कि सब सदस्यों को वितरित नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि सब सदस्यों को समान सुविधा मिले।

श्री अध्यक्ष—तो मैं वह सबको वितरित करा दूंगा। जिन सदस्यों को नहीं मिली है वह नोटिस आफिस से ले लें कृपा करके, क्योंकि हमको यह मालूम नहीं है कि किसको नहीं मिली है।

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन—लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,५२,५८,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन-लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,५२,५८,५०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४,७९,१७,६०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४,७९,१७,६०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षकः ३९--जनस्वास्थ्य

श्री हुकुम सिंह विसेन--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षकः ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,२२,८५,६०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--जन स्वास्थ्य--लेखा शीर्षकः ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,२२,८५,६०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षकः ९--स्टाम्प

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--स्टाम्प--लेखा शीर्षकः ९--स्टाम्प के अन्तर्गत ७,३२,४०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--स्टाम्प--लेखा शीर्षकः ९--स्टाम्प के अन्तर्गत ७,३२,४०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षकः ११--निबन्धन

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--निबंधन-लेखा शीर्षकः ११--निबन्धन के अन्तर्गत १७,२९,१०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--निबंधन-लेखा शीर्षकः ११--निबन्धन के अन्तर्गत १७,२९,१०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षकः ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें--लेखा शीर्षकः ५५--बुढ़ौती (superannuation) भत्ते और पेन्शनें के अन्तर्गत २,२९,४८,२०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें--लेखा शीर्षकः ५५--बुढ़ौती (superannuation) भत्ते और पेन्शनें के अन्तर्गत २,२९,४८,२०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षकः १२--क--बिक्री-कर के कारण व्यय

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--बिक्री-कर के कारण व्यय--लेखा शीर्षक १२--क--बिक्री-कर के अन्तर्गत ४०,९९,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८-बिक्री-कर के कारण व्यय--लेखा शीर्षक १२-क--बिक्री-कर के अन्तर्गत ४०,९९,७०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक: ८३--पेन्शनों की संराशि का भुगतान

श्री सैयद अली जहीर--मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक ८३--पेन्शनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १८,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक ८३--पेन्शनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १८,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४--लेखा शीर्षक: त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (advances) के अन्तर्गत १२,७७,६४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार के द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (advances) के अन्तर्गत १२,७७,६४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक: ८--राज्य आबकारी

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,०९,००,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,०९,००,७००,रुपये का मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक:१२--मोटर गाड़ियों पर कर

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय--लेखा-शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,८९,७३,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,८९,७३,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग और ४४--उड्डयन

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--परिवहन विभाग लेखा शीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग (Miscellaneous Department) और ४४ --उड्डयन (Aviation) के अन्तर्गत ६,७४,२६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---परिवहन विभाग --लेखा शीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग (Miscellaneons Department) और ४४ --उड्डयन (Aviation) के अन्तर्गत ६,७४,२६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक: ७०--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत तथा ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--कृषि इंजीनियरिंग , सरकारी बस सर्विसों , सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक ७०--जन-स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२ राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,५०,०६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक ७०--जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,५०,०६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य तथा अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक : ५७--प्रकीर्ण-व्यय

श्री अध्यक्ष--यह तीनों मांगे आप एक साथ एक के बाद एक उपस्थित कर दें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--गांव सभायें और पंचायतें--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०५,३८,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,१५,५७,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय-लेखा शीर्षक ५७-प्रकीर्ण (Miscellaneous) के अन्तर्गत ६,५५,७८,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इन मांगों को स्वीकृति के लिये पेश करते हुए मुझे निवेदन करना है कि अभी थोड़ी देर पहले यह ख्वाहिश जाहिर की गई कि मैं तीनों मांगों को एक साथ पेश करूं। वैसे विचार यही था कि सिर्फ पंचायतों के सिलसिले में ज्यादा विवाद होगा। मेरा ख्याल यह है और उचित भी यही है सब से ज्यादा हमें पंचायतों के बारे में बिचार करना चाहिए। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरियाज का ताल्लुक है ये बहुत पुरानी संस्थायें हैं, एक मुद्दत से चली आ रही है और उनके विषय में बहुत ज्यादा हेर-फेर करने की जरूरत नहीं है। कम से कम उनके विधि विधान में कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। जो सब से बड़ा प्रश्न उनके ठीक तरह से काम करने में बाधक हो रहा है वह यह है कि जो सुविधायें और अधिकार इन स्वायत्त संस्थाओं को मिले हुए हैं उनका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है और उनका ज्यादातर समय, जो माननीय सदस्य चुनकर इन संस्थाओं में आते हैं, आपस की दलबंदी में और पावर पोलिटिक्स में खर्च होता है। बहुत कम ऐसी संस्थायें हैं जहां पर संगठन और रचनात्मक काम करने का वातावरण हो और आपस के लड़ाई झगड़े कम हों। जिले के जिले ऐसे हैं जिनकी बाबत कहा जा सकता है कि वहां एक भी म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा नहीं है जो बिना झगड़े के हो। एक साल की शर्त थी और कोई नो कान्फिडेंस मोशन इस बीच में नहीं आ सकता था इसलिये लोग रुके हुए थे और जैसे ही अवधि खत्म हुई तो बिलकुल जैसे एक बाढ़ या सैलाब आता है वैसे नो कान्फिडेंस मोशन आने लगे हैं।

गांव पंचायतों की बाबत यह कहा जाता है और बहुत बार यह संदेह प्रकट किया जाता है कि वास्तव में इनसे सुधार होने की जगह पर गांवों में झगड़े बढ़ गये हैं, पार्टीबाजी बढ़ती है और जातिवाद इनमें चलता है। यहां तक लोग कहते हैं कि जो पुराने जमींदार थे उन्हीं लोगों ने इनके द्वारा पुरानी जमींदारी कायम कर रखी है या दूसरे जमींदार पैदा हो गये हैं। इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। यह संस्थायें ७२,४०० के करीब हैं और इसलिये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ में यह शिकायतें सच भी हों लेकिन आमतौर से यह कहना कि उनकी वजह से हमारा सामाजिक वातावरण खराब हुआ है, सही नहीं होगा। मानव की मनोवृत्ति ऐसी है कि करोड़ों आदमी शान्ति से जीवन व्यतीत करें, उनका व्यापार ठीक चले और एक दूसरे से अच्छा सलूक बरतें तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता है और उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है लेकिन एक कत्ल हो जाय या झगड़ा हो जाय तो अखबारों की ओर सभी लोगों की उस पर दृष्टि पड़ती है और कौतूहल होता है। उसकी तरफ सब की तवज्जह हो जाती है। ऐसे ही इन संस्थाओं में हजारों ऐसी पंचायतें, और न्याय पंचायतें ऐसी हैं जो ठीक से काम कर रही हैं। उनकी मार्फत रचना और समाज सुधार का काम हो रहा है।

इसके अलावा अगर हम सचमुच चाहते हैं कि लोकतन्त्र की प्रणाली बढ़े तो हमारे लिये कोई चारा भी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिये जहां इस बात की आवश्यकता है कि सारा मानव समाज लड़ाई छोड़कर, परस्पर समझदारी और सहयोग की भावना से शान्तिपूर्वक रह सके वहां विकेन्द्री-

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

करण भी उतना ही आवश्यक है। जो गांव-गांव की समस्याएं हैं उनका हल किसी एक जगह से नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश में १ लाख १० हजार के करीब गांव हैं जिनकी हमने ७२ हजार के करीब गांव सभाएं बनायी हैं। इतने बिखरे हुए गांवों की समस्याओं का हल किसी एक केन्द्र में बैठ कर या ४०, ५० केन्द्रों में बैठ कर जिले के स्तर पर होना नामुमकिन है। इसलिये हमारे लिये कोई चारा ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि जन-समूह इस स्वतंत्रता का उपभोग कर सके तो यह जरूरी है कि रचना का काम, अपना प्रबन्ध करने का काम, इसकी जिम्मेदारी उन पर डाली जाय। इस प्रकार सिद्धांत की दृष्टि से भी हमारे लिये कोई दूसरा चारा है नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इनमें काम हुआ है वह ऐसा नहीं है जो हमें यह चेता नी देता हो कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि यह कहा जायगा कि बावजूद इन थोड़ी दिक्कतों के और अपवादों के साधारणतया पंचायतों का काम अच्छी दिशा में जा रहा है।

यह सही है कि जितना रुपया हम खर्च कर रहे हैं शायद इसका सारा पूरा प्रतिफल हमको मिलता नहीं है। जैसा ठीक काम होना चाहिए वैसा शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के जितने नये विभाग चलते हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो सरकार के सामने होती है वह यह है कि उसके लिए ट्रेंड परसोनेल नहीं होता है। कोई ट्रेडीशंस नहीं होती हैं। पुराने विभागों में ट्रेडीशंस पड़ जाती हैं। लोग सीखते जाते हैं और काम करते-करते उनको काम का अनुभव हो जाता है। नये विभाग में यह दिक्कत हमारे सामने आती है। इस दृष्टि से इस प्रदेश की पंचायतों का विभाग नया है। यह सही बात है कि हमारे देश में इनका प्रचलन बहुत प्राचीन था, लेकिन पुरानी परम्परा को हमने नये तरीके से कायम किया है। संगठन की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से एक नयी चीज है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि जितने सुचारु रूप से संगठन का काम होना चाहिये वह नहीं हुआ है, लेकिन सब मिला कर अगर सारा काम देखा जाय तो जो पैसा हमने खर्च किया है उससे कहीं ज्यादा हमको फायदा मिला है और धीरे-धीरे लोगों के अन्दर यह भावना आती जा रही है कि हमारे कुछ अधिकार हैं। हम श्रमदान कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं और अपने मुकदमें खुद कर सकते हैं। इस तरह का बिचार आ रहा है। इसीलिये हम पूरी तरह इनके अधिकारों में इजाफा भी करते आये हैं। अभी तक न्याय पंचायतों को सिर्फ १०० रुपये तक के मुकदमों को फैसल करने का अधिकार था। अभी हमने इस साल उसको १०० रुपये से उठाकर ५०० रुपये तक उसकी सीमा को बढ़ा दिया है।

इसके अलावा सब से बड़ी दिक्कत जो इन ग्राम सभाओं को होती थी वह इस वजह से होती थी कि इनका पैसा जमा रहता था डाइरेक्टर के नाम से और हमारे डी० पी० ओज० के नाम से। अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सारी पंचायतों का पैसा उनके नाम से डाकखाने में जमा रहेगा और वह स्वयं उसको जब जब उन्हें आवश्यकता होगी निकाल सकेंगे। मेरे पास स्वयं बहुत बार शिकायतें आई कि हमने प्रस्ताव पास कर लिया, हम चाहते हैं कि हम खड़ंजा अपने यहां लगा लें, अपने यहां सड़क बना लें, लेकिन हम पैसा नहीं निकाल सकते और पांच-पांच छः-छः महीने तक कभी-कभी पैसा नहीं निकल पाता था कई दिक्कतों की वजह से। अब यह दिक्कत उनके सामने नहीं रहेगी। वह जब चाहेंगे तब अपना पैसा ले सकेंगे और काम कर सकेंगे।

इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इनके अन्दर जिम्मेदारी बढ़े तो जो इनको सौ, दो सौ, पांच सौ, एक हजार या दो हजार रुपया मिलता है इतना भी अगर हम विश्वास नहीं कर सकेंगे इनके ऊपर कि इसका हिसाब ये ठीक रख सकेंगे, उसका ठीक उपयोग कर सकेंगे और वहां के लोग काफी आवश्यक नियंत्रण नहीं रख सकेंगे तो यह ग्राम पंचायतें सफल नहीं हो सकतीं। इसलिये यह नयी व्यवस्था कर दी गयी है। अभी हाल ही में यह किया गया है। अभी तक करीब ५० हजार के लगभग ग्राम पंचायतों ने अपना हिसाब इस तरह से डाकखानों के अन्दर खोल लिया है।

इसके अलावा पुराना कर जो था लाखों की तादाद में हमारा पड़ा हुआ था। कई करोड़, करीब तीन चार करोड़ के बकाया पंचायतों का पड़ा हुआ था। उसके वसूल करने में भी बड़ी शिकायतें होती थीं और यह शिकायत भी हमारे पास आयी, विरोधी दल के बहुत से माननीय सदस्य इस शिकायत को लेकर मेरे पास आये कि बहुत ज्यादती हो रही है इस पंचायत कर को वसूल करने में। पहला इस विषय में जो हमने सुधार किया है वह यह है कि ग्राम की पंचायतों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी गयी है कि अगर वह चाहें तो इसे सबको माफ कर सकते हैं चाहें तो जिस स्थिति में, जिस खास व्यक्ति का माफ करना चाहें, माफ कर सकतें हैं और कुछ जिलों में इस अधिकार से लोगों ने फायदा भी उठाया है और वहां पर माफ भी किया है, लेकिन आम तौर से पूरे प्रदेश के बाबत में निवेदन करना चाहता हूं कि आम-तौर से लोगों ने पिछले करों को माफ करना उचित नहीं समझा और उसका सब से बड़ा जो कारण है वह यह है कि जिन भले आदमियों ने समय से पैसा दे दिया पैसा उनसे तो आपने ले लिया और जो नादिहन्द हुए, जानबूझ कर जिन्होंने नहीं दिया उनका आप छोड़ दें तो इसका मतलब यह है कि जो नहीं देने वाले हैं या अनसोशल लोग हैं उनको तो फायदा हो जाय और जो देने वाले हैं वह नुकसान में रहें। इसलिये साधारणतः इस समय स्थिति यह है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला शाहजहांपुर)––मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई अनुदान जिस समय प्रस्तुत कर रहे हों, माननीय मंत्री महोदय, उस समय क्या विरोधी पक्ष के किसी भी नेता का यहां होना आवश्यक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष––इसके बारे में तो मैंने एक रोज उसका जिक्र कर ही दिया था कि जो कटौती वगैरह के प्रस्ताव देते हैं और जो नेता उन्हें भेजते हैं तो उनका भी उपस्थित रहना यह औचित्य की दृष्टि से उचित ही है। सभी नेताओं के लिये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके कटमोशंस उपस्थित हों उनकी पार्टी के नेता का तो उपस्थित रहना उचित जरूर है। लेकिन मैं बाध्य किसी को नहीं कर सकता हूं क्योंकि बैधानिक प्रश्न यह नहीं है। औचित्य के बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)––मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अनुदान रखते समय मंत्री महोदय को समय इतना दिया जा सकता है कि विरोधी पक्ष के सुनने वालों के लिये टाइम की कमी हो जाय।

श्री अध्यक्ष––नहीं, समय जो है वह तो उचित ही लेंगे। मैं समझता हूं जिस समय अनुचित समय लेने लगेंगे दिन भर का तो मैं रोक दूंगा उनको।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमन्, मेरा भी एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष––जी नहीं, आपके निवेदन की आवश्यकता नहीं है। एक वैधानिक प्रश्न उठाया गया था उसका मैंने जवाब दे दिया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा––यदि माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो इसलिये निवेदन कर रहा था कि उससे थोड़ा पता चल जाय कि किस तरह का काम हो रहा है। वह भी बहुत संक्षेप में कह रहा था जिससे माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने में, सुझाव देने में ज्यादा आसानी होगी, लेकिन यदि वह समझते हैं कि मैं समय ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे कोई खास दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मैं अपनी बात कहता जाऊं जिसको लोग सुनना भी न चाहें। मैं यह समझता हूं कि सुनने वालों में शायद एक ही दल है।

पंचायतों की ज्यादातर भावना यह मालूम होती है कि पिछला कर वसूल किया जाय और बहुत थोड़े समय में वसूल कर लिया जाय। इस साल ६२,२९,५७९ रुपया वसूल किया जा चुका

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

है। हमारे संचालक, पंचायत राज ने मुझे यह आश्वासन दिलाया है कि साल दो साल के अन्दर करीब-करीब सारी रकम वसूल कर लेंगे। वसूल करने के सम्बन्ध में थोड़े से सुझाव और दिये हैं। पंचायतों को बकाया पैसे की शक्ल में शायद सब लोग न दे सकें। तो यह हो सकता है कि श्रमदान की शक्ल में, सर्विसेज में लोगों से पैसा वसूल कर लिया जाय। जो लोग गरीब हैं और जिनके पास पैसा देने के लिये नहीं है तो वह ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कि पंचायतों की रचना का काम, मिट्टी डालने का काम, तालाब खोदने का काम, रास्ते बनाने का काम, इस तरह से श्रमदान की शक्ल में उनसे लिया जा सकता है। इससे लोगों को बोझ भी कम मालूम होगा और फायदा भी होगा और माफ करने वाली बात का दोष भी नहीं आयेगा। आशा की जाती है कि इस तरह से काफी जल्दी यह प्रश्न हमारा हल हो जायगा।

जहां तक न्याय पंचायत का सवाल है उसकी बाबत में पिछली रिपोर्ट कई बार इस सदन के सामने पेश कर चुका हूं। उसे मैं नहीं दुहराऊंगा, लेकिन इधर हमारी जो रिपोर्ट रही है वह भी बहुत अच्छी रही है। उन्होंने १ अप्रैल, से ३० सितम्बर तक ७३,३४७ मुकदमों में ३२,२०८ का निपटारा किया। ३२,२०८ मुकदमों में आपसी समझौता कराया गया। यह एक काफी अच्छा शुभ लक्षण है कि ये पंचायतें जहां तक हो सकता है कोशिश यह करती हैं कि आपस में निपटारा समझौते से हो जाय और कम से कम दंड देने की बात रहे। पिछला रिकार्ड ऐसा है जो अच्छा है। जिन मामलों में निगरानी या अपील की गुंजायश है उनमें जो परसेन्टेज रहा है वह जो कि अपील स्वीकृत हुई है वह मुश्किल से १, १ १/२ परसेंट की रही है। तो यह जो कहा जाता है कि मुकदमें बहुत गलत तरीके पर किये जाते ह, कायदे कानून का उनको पता नहीं है तो उसका जवाब यह है कि इतनी कम परसेन्टेज में रिवीजन होते हैं जो कि २ परसेन्टेज से नीचे हैं। इतने कम परसेन्टेज में अपील स्वीकृत की जाय और जो उनके फैसले हों वह गलत करार न दिये जायं तो यह एक बहुत अच्छा लक्षण है और मुझे आशा है कि इस साल भी जो मुकदमों का स्टैंडर्ड रहा होगा वह अच्छा ही रहा होगा। इस समय मेरे पास रिवीजन के आंकड़े नहीं हैं।

जो पंचायतों की मार्फत काम हुआ है उसका थोड़ा-सा विवरण मैं यहां पढ़ देता हूं। १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर तक जो काम हुआ है वह यह कि ग्राम पंचायतों ने १५५ मील लम्बी पक्की सड़कें बनायीं, ७५६ मील कच्ची सड़कें बनायीं, ९० मील पक्की सड़कों की मरम्मत की और २,९१२ मील कच्ची सड़कों की मरम्मत की। ३,९५,००० गज खड़ंजे लगाये जो गलियां और सड़कें होती हैं देहातों में उनमें ३,१२,००० गज पक्की नालियों का निर्माण किया, ५,७८५ पानी पीने के कुएं बनाये, ४४,१६५ सोख्ते बनाये, १९१ स्कूल खोले, ५४५ रेडियो सेट लगाये, २८६ स्कूलों के भवनों और ४०० पंचायत घरों का निर्माण किया, १,५१३ कम्युनिटी सेन्टर्स स्थापित किये, १,३८९ पुस्तकालय, बाचनालय तथा सूचना केन्द्र खुलवाये, २,२६२ प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें चलवायीं, जिनमें २१,४८४ प्रौढ़ों को प्रशिक्षित किया गया, २,१८५ लालटेनें लगायी गयीं और ५५७ उन्नतिशील सांड़ लिये गये और इसके अतिरिक्त जो भी विकास के कार्य गांव में चल रहे हैं उनमें पंचायतों का पूरा सहयोग प्राप्त है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह काम तो प्रचार विभाग करता है। हमको पता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---माननीय सदस्य अगर गांवों में जाकर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह प्रचार केवल कागज में ही नहीं है बल्कि काम हुआ है, खड़ंजे भी लगे हैं और सड़कें भी बनी हैं। मैं स्वयं देख आया हूं कितने ही मील मैंने देखा है। यह रिपोर्ट शत प्रतिशत सही न हो यह मैं मान सकता हूं, इसमें आंकड़े बढ़ा कर दिये जा सकते हैं ,लेकिन आम तौर पर काम नहीं हुआ है और सब बनावट है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके अलावा ग्रो मोर फूड के सिलसिले में कृषि के सम्बन्ध में पंचायतों की २,३३,००० बैठक करायी गयी और ५९,३३१ कृषि समितियां भी बनायी गयीं और इस तरह से उनके मार्फत काफी अच्छा काम हो रहा है और जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई

चारा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो, गांव वाले अपने प्रश्नों को खुद अपने आप हल करें तो हमें इन गांव वालों को अधिकार देना ही होगा। वह गलतियां करेंगे और मैं समझता हूं कि हम जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर हैं और हमारी जो सीमित पार्टियां हैं उनकी वर्किंग को अगर हम देखें तो उसको देखते हुए यह कहना कि सारा दोष उनका है, अनुचित होगा। जिस तरह से बावजूद अपनी गल्तियों के हमें आगे बढ़ना ही है, इस लोकतंत्र को सफल बनाना ही है और धीरे-धीरे हम गल्तियां करके सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, अपने कर्तव्य का अनुभव करेंगे, उन गल्तियों से बचने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से वह मानव जो इन देहातों के अन्दर है वह भी सीखता है। वह भी गल्तियां करेगा और उनसे अनुभव प्राप्त करेगा और सीखेगा और फिर आगे बढ़ेगा। हमें आशा है कि हम इन पंचायतों की मार्फत अपने गांवों का एक तरह से आज नहीं तो कुछ ठहर कर पुनर्निर्माण कर सकेंगे और वहां के मानव को शान्ति के साथ, स्नेह के साथ, सहयोग की भावना के साथ आपस में रहना सिखला सकेंगे। उसमें हमें सबका सहयोग चाहिये। सिर्फ सरकार का ही यह काम नहीं है, सारे प्रदेश का है, सारे माननीय सदस्यों का है, सब पार्टीज़ का है, पढ़े-लिखे भाइयों का है, शहर वालों का है और मुझे आशा है कि सबका सहयोग मिलेगा। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बहुत से भाइयों के जो वक्तव्य होंगे उससे अगर कोई प्रकाश मिलेगा अपनी भूल सुधारने के लिये, तो सुधार करूंगा और अगर कोई शंकाओं के प्रश्न होंगे तो उन पर भी प्रकाश डालूंगा। अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इन तीनों मांगों को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष (श्री गोविन्द नारायण तिवारी से)—आप जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करेंगे वह एक ही विषय पर करेंगे और आपका भाषण भी उससे सम्बद्ध होना चाहिये।

***श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५०, अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७ तथा अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब है कि तीनों मांगों की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आपको तीनों मांगों के लिये अलग-अलग एक-एक कारण बताना पड़ेगा।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी थी कि एक साथ ही तीनों प्रस्ताव पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—एक साथ आप पेश कर दें, वह तो ठीक है, लेकिन कटौती का प्रस्ताव जब आप दें तो उसका कारण आपको देना चाहिये। इस सम्बन्ध में तीन प्रकार के नियम हैं। एक तो यह है कि अगर नीति के सम्बन्ध में आपका कोई विरोधी हो तो वह 'नीति अननुमोदन कटौती' कही जायेगी। आपका प्रस्ताव इसी प्रकार का मालूम होता है इसलिये वह कौन सी नीति है जिसे आप अननुमोदित करना चाहते हैं, उसे बताना होगा। हर एक मांग के लिये आपको अलग-अलग बताना होगा। वह कटौती-प्रस्ताव में आना चाहिये और उसी पर विवाद सीमित होगा। नियम में यह दिया हुआ है कि "ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

सदस्य उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शायेगा।" लेकिन कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तों का जो नियम है उसके उपनियम (३) में यह दिया है कि "वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायेगा"।

तो एक ही विषय सीमित रहेगा और विषय आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वह जेनरल डिस्कशन हो जायेगा, कटौती नहीं रहेगी। आपने दो विषय तो बताये हैं जिसमें एक अंतरिम जिला परिषद् की नीति के सम्बन्ध में है। दूसरा यह है कि झांसी म्युनिसिपैलिटी विशेषतया और दूसरी म्युनिसिपैल्टियों के विषय में जो नीति है उसके सम्बन्ध में। आप इन दोनों मांगों में से एक मांग के लिये एक विषय ले लीजिये और दूसरी मांग के लिये दूसरा विषय ले लीजिये तथा पंचायत के लिये तीसरा विषय ले लीजिये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, यह जो एक ही विषय ले लेने की बात है इसमें लेखा शीर्षक ५० और अनुदान संख्या ३६ में नगरपालिका झांसी में जो सरकार की नीति है उसके विषय में चर्चा होगी और ४१ के अन्तर्गत जिला अन्तरिम परिषद् के विषय में ही चर्चा होगी। पंचायतों के विषय में उनके विधान में मौलिक परिवर्तन करने तथा अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है और उसके सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक भाषण उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने एक बात यह फरमाई कि जो विभाग पुराना होता है, उस विभाग के कुछ ट्रैडीशन्स हुआ करते हैं और जो नया विभाग होता है उसके ट्रैडीशन्स स्थापित करने में कुछ समय लगता है। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में जो यह नगरपालिका का विभाग है वह उन्नीसवीं शताब्दी का है और बीसवीं सदी में यानी १९१६ में उसके लिये बाकायदा कानून बना दिया गया था। इस हिसाब से इस विभाग की ट्रेडीशन्स को कम से कम ३३-३४ साल हो गये। इन सब ट्रैडीशन्स के होने के बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नगरपालिका जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वह उतना जनता का हित अथवा उतना अच्छा काम कर पाती है जितना अच्छे तरीके से उनको यह काम करना चाहिये ? मेरा निवेदन यह है कि नगरपालिकाओं के इस प्रकार के खराब काम की जिम्मेदारी शासन की ओर से जो आये दिन हस्तक्षेप हुआ करता है, उसके कारण हैं।

मैं आपकी आज्ञा से यह भी निवेदन कर दूं कि जो नगरपालिका कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, अगर उसकी शिकायत माननीय मंत्री जी या सरकार से की जाती है तो कोई भी सुनवाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई नगरपालिका जो विरोधी दलों के हाथ में है, अगर उनकी कोई शिकायत की जाती है तो फौरन कार्यवाही की जाती है। उदाहरणस्वरूप मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जालौन जिले में उरई की नगरपालिका नवम्बर, १९५७ के चुनावों से दो माह पहले भंग कर दी गयी थी और उसको भंग करने के जो कारण थे वे आज भी मौजूद हैं। परन्तु झांसी म्युनिसिपल बोर्ड की बाबत अभी माननीय सदस्यों को एक पुस्तिका मिली होगी और मुझे उम्मीद है वह पुस्तिका माननीय मंत्री जी को भी मिली होगी लेकिन उसके खिलाफ इतनी शिकायतें होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं होती, न बोर्ड में ही सुनवाई होती है और न स्वायत्त शासन विभाग में ही कोई सुनवाई होती है। विरोधी दल के जो सदस्य स्वायत्त शासन संस्थाओं में हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं समझता हूं इस स्वायत्त शासन विभाग में खुलकर पार्टीबन्दी होती है। मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह पार्टीबन्दी मिनिस्टोरियल लेविल पर होती है। दूसरे विभागों में जो पार्टीबन्दी होती है, जो बेउनवानी होती है वह आफिसर लेबिल पर हुआ करती है लेकिन स्वायत्त शासन विभाग में जो पार्टीबन्दी हुआ करती है उससे कांग्रेस के विरोधी लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है तथा कांग्रेस वालों को नाजायज फायदा पहुंचाया जाता है और वह मिनिस्टीरियल लेबिल पर हुआ करती है। म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐक्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट हो, चाहे पंचायतराज ऐक्ट हो, उन सब में सारा अधिकार केवल गवर्नमेंट के हाथ में है और किसी

दूसरे का अधिकार नहीं है। अगर कोई कहे तो मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि सब से ज्यादा पार्टीबन्दी अगर किसी विभाग में हो सकती है तो वह स्वायत्त शासन विभाग में ही होती है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इससे अच्छा मौका कब मिलेगा ?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---तो इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बार उरई और कोंच म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में कहना चाहता हूं। वे इस बात को जान लें कि कोंच म्युनिसिपल बोर्ड....

श्री अध्यक्ष---एक सीमा उसकी रहेगी, जो माननीय मंत्री जी के प्रति आपको शिकायत है उसी के सम्बन्ध में टीका सीमित रहेगी। कोई म्युनिसिपैलिटी के बारे में, उसके चेयरमैन के बारे में या उसके काम के बारे में आप टीका नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अध्यक्ष यहां मौजूद नहीं हैं। आप सरकार की तथा सरकार की नीति की टीका कर सकते हैं।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---मैं किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या मेम्बर के बारे में कोई शिकायत इस सदन में नहीं कर रहा हूं। जो कुछ मुझे शिकायत है वह मंत्रिमण्डल से है। तो कोंच नगरपालिका पी० एस० पी० के हाथ में थी, उसी पार्टी का वहां चेयरमैन था लेकिन आपने पी० एस० पी० के केवल २ सदस्यों को निलम्बित कर दिया ताकि और सभी सदस्य डर जायं और कांग्रेस का समर्थन करें। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण और दूं कि उरई म्युनिसिपल बोर्ड पर १० लाख का कर्जा था जो अब बढ़ कर ११ लाख का हो गया है। उरई म्युनिसिपल बोर्ड जो है उसका मंत्रिमण्डल ही आज सर्वेसर्वा है। उस बोर्ड को भंग इसलिये किया गया कि उसके ऊपर कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी उस म्युनिसिपल बोर्ड पर उस हद तक कर्जा है। फिर २ महीने के लिये उसे भंग करने में क्या सेंस था ? केवल इसलिये भंग किया गया ताकि पी० एस० पी० वाले हट जायं और कांग्रेस फिर पावर में आ जाय।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जनता के वर्डिक्ट के लिये उसे भंग किया गया।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---माननीय मंत्री जी ने जनता के वर्डिक्ट की बात कही, तो मैं इस आदरणीय सदन की जानकारी के लिये केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनता का वर्डिक्ट ही लेना हो तो आयन्दा जनरल एलेक्शन के मौके पर मंत्रिमण्डल ६ महीने पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दे तो मालूम हो जायगा कि जनता का वर्डिक्ट क्या होगा। म्यूनिसिपल बोर्ड को भंग करते समय यह दलील दी गयी कि जनता के वर्डिक्ट के लिये उसे भंग कर दिया गया।

इसी तरह से ग्राम सभाओं की एक दो बातों के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है और इस आदरणीय सदन के सदस्यों का भी मत है कि ग्राम-सभाओं के चुनाव में जो खुले तरीके से चुनाव होते हैं उसके कारण आज गांवों की जिन्दगी बड़ी खराब हो गयी है। आज जो देहातों में अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गयी है उसका कारण केवल यह है कि वहां खुले तरीके से हाथ उठा कर वोट हुआ करते हैं। गवर्नमेंट से जब इस बात को कहा गया तो उसने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के सदस्य और सभापति जब चुनाव लड़ते हैं तो सदस्यों को ६ रु० और सभापति को १२ रु० देने पड़ते हैं। और इस तरह से दो-दो सौ, चार-चार सौ रुपये केवल चुनाव मद में आते हैं मगर गांव के मद में उसे खर्च नहीं किया जाता। पार्लियामेंट या असेम्बली की मेम्बरी के लिये जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसे फीस के रूप में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, उसे तो केवल जमानत जमा करनी पड़ती है। मगर वही आदमी ग्राम सभा के सदस्य या सभापति के लिये चुनाव लड़े तो उसे ६ रु० और १२ रु० क्रमशः जमा करने पड़ते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार उस पर पुनः

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

विचार करे कि देहातों की हालत आज ऐसी नहीं है कि वे इस तरह से रुपया दे सकें। ग्राम सभाओं के चुनाव के नाम पर इस तरह से हजारों रुपये कमाने की नीति किसी सूरत से उचित और मुनासिब नीति नहीं है। गांव वालों में अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है और गांव वालों को स्वायत्त शासन ऐसी संस्थाओं की शिक्षा देनी है तो कम से कम कमाने वाली बात मंत्री महोदय के मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिये।

मेरा सुझाव यह भी है कि हाथ उठा कर चुनाव नहीं होना चाहिये, बैलट के जरिये होना चाहिये और किसी किस्म का पैसा ग्राम सभाओं से नहीं लिया जाना चाहिये। जो ग्राम सभायें हमारे प्रदेश में हैं उनकी बाबत मेरा निवेदन यह है कि आज उनकी हालत बहुत खराब है और शासन के अधिकारीगण जैसे पंचायत सेक्रेटरी, तहसीलदार, कानूनगो, हाकिम परगना ग्राम सभाओं पर हावी हैं। इवैलुएशन कमेटी का एक पत्र ग्राम सभा के सभापतियों के पास आया। ९१ प्रतिशत ग्राम सभापतियों ने एक लफ्ज नहीं लिखा। इन्सपेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी तथा बी० डी० ओ० ने कहा इस पत्र का इस प्रकार उत्तर लिख कर भेजो। अगर ग्राम सभा के सभापतियों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वे अपनी कोई राय दे सकें तो यह ग्राम पंचायत राज मेरा निवेदन है कि बिलकुल मखौल होगा। इससे पता चलेगा कि इस मनोवृत्ति के कारण उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं की कैसी छीछालेदर है। एक हुक्मनामा है "जनाब तहसीलदार साहब तहसील, उरई का मुकदमा दीवानी ३९२/५७ दिनांक ३० अगस्त, १९५७ का--- और मिनजानिब गांव समाज बयान तहरीरी दाखिल करे। इसके बाद हाजिर तहसील उरई होकर अपना जवाब दे कि वह पैरवी मुकदमा में असावधानी क्यों किया करता है जब कि तामील सम्मन हो जाता है फिर भी वकील साहब सरकारी से नहीं मिलता।" यह भाषा ग्राम सभाओं के सभापतियों के लिये तहसीलदार, कानूनगो और हाकिम परगना लिखा कर भेजा करते हैं। जब चुने हुए सभापतियों की यह इज्जत होती है तो फिर ग्राम सभाओं का काम कैसे ठीक चल सकेगा? ग्राम सभाओं के पास कोई शक्ति नहीं है सिवा इसके कि कोई मंत्री महोदय चले जायं, कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब तशरीफ लायें तो जलसा हो जाय। उसके अलावा गांव में और कोई कल्याण नहीं हुआ।

इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब लोक सभा में एक बिल पेश हुआ तो उसकी बहस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट के एक सदस्य ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश की गांव सभाओं में गुंडों का राज्य है'। माननीय सदन के एक सदस्य ने बुलन्दशहर जिले में पदयात्रा समाप्त करने के बाद व्याख्यान दिया कि आज गांव की हालत बड़ी खराब है। हालत यह है कि जिसके हाथ में लाठी है उसी के हाथ में शक्ति है और जो कमजोर है उसके पास कोई शक्ति नहीं है। इस तरह से ग्राम सभाओं की दयनीय दुर्दशा जो उत्तर प्रदेश में है उसका कोई कयास नहीं लगा सकता।

आज यह कहा जाता है कि यह नया बिल है। यह नया ऐक्ट है, ऐसी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९२० में अंग्रेजों के जमाने में एक विलेज पंचायत ऐक्ट था। उसके बाद यह १९४७ में ऐक्ट पास हुआ और १९४८ से इस ऐक्ट का निफाज हुआ। लेकिन १० साल की ट्रेनिंग के बाद भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। ६ साल में हाई स्कूल पास करने के बाद लोग ग्रेजुएट, ला ग्रेजुएट और एम० ए० हो जाया करते हैं, तो १० साल का समय तो किसी भी संस्था के लिये, आगे बढ़ने के लिये काफी था। अगर गवर्नमेंट के अधिकारियों को और गवर्नमेंट को यह दिलचस्पी है कि गांव वाले अपने भाग्य का फैसला करें, गांव वाले इस मुल्क को आगे बढ़ायें, मिलजुल कर काम करें, तो इस सरकार की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वह उन संस्थाओं के लिये समुचित ध्यान दे। जैसा मैंने कहा एक अजीब परिस्थिति है, ग्राम सभाओं में सेक्रेटरी तो सरकार नियुक्त करती है, बाकी पंचायत राज ऐक्ट में दिया है कि अन्य अधिकारी गांव सभा या गांव पंचायत नियुक्त कर सकती है। नतीजा यह होता है कि सेक्रेटरी हमेशा हुक्म दिया करता है। वह ग्राम सभाओं की मीटिंग में लिखवाता है कि

तुम यह फैसला ऐसे लिखो और अगर उसकी मंशा के मुताबिक नहीं लिखते तो वह कहता है कि हम तुम्हारी शिकायत डी० पी० ओ० से कर देंगे। तो सेक्रेटरी को गांव सभाओं का सबार्डिनेट होना चाहिये और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्राम सभाओं में किसी तरह का कोई कल्याण होने को नहीं है?.

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

पंचायत राज ऐक्ट में जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है उसमें से सरकार ने सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर की नियुक्ति अपने हाथ में ले रखी है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऐक्जीक्यूटिव अफसर उनके मातहत होता है, चेयरमैन को सस्पेंड करने और बोर्ड को रिमूव करने का अख्तियार होता है उसी प्रकार का अधिकार ग्राम पंचायतों और गांव सभाओं को सेक्रेटरी की बाबत होना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि देश में नियोजन की बड़ी बात कही जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को आयी, तृतीय योजना भी चालू होने वाली है मगर क्या प्रदेश में नियोजन किसी भी सूरत में ग्राम सभाओं की वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है? मेरा कहना है अगर ग्राम सभाओं पर विश्वास किया जाय, उनके बजट का पैसा उन्हीं को दिया जाय और उन्हीं को नियोजन की इकाई बनाया जाय, तब तो नियोजन हो सकता है अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से ऊपर से अफसर पंचायतों को निर्देशन देते हैं उससे कोई नियोजन नहीं हो सकता।

सरकार की ओर से बड़े-बड़े आन्दोलन चलाये गये, कागजात दुरुस्ती का आन्दोलन चलाया गया। लेकिन इस बात के कहने में हमको कोई संकोच नहीं है कि इसके चलाने में एक-एक कानूनगो ने एक-एक सर्किल में बीस-बीस हजार रुपया पैदा किया। नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे कागजात गलत हुए। अगर सचमुच ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना है तो इन्हीं के हाथ में लैंड रिकार्ड्स का काम सुपुर्द करना पड़ेगा। सरकार को इन संस्थाओं को जिम्मेदार समझना चाहिये, लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझती है। इसलिये अगर लैंड रिकार्ड्स को सही माने में दुरुस्त कराना है तो लेखपालों को ग्राम सभाओं और गांव पंचायतों का सबार्डिनेट होना पड़ेगा और सेक्रेटरी को भी। दाखिल खारिज के वे मुकदमे जिनमें कोई लड़ाई नहीं हुआ करती है तो क्या जरूरत है कि वह आदमी हाकिम परगना, तहसीलदार के यहां दरख्वास्त द जब कि कोई उससे लड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे दाखिल खारिज के मुकदमों का जिनमें कोई झगड़ा न हो, अधिकार ग्राम सभाओं को होना चाहिये।

रही बात मालगुजारी वसूल करने की। इस बात पर इस सदन के माननीय सदस्य विचार करें कि मालगुजारी वसूल करने के सिलसिले में---जैसा कि मालगुजारी के कानून का इन्टरप्रिटेशन लगाया जाता है---बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है और मालगुजारी के वसूल करने में किसान को जो परेशानी होती है, यह सब परेशानी दूर करने के लिये और सरकारी धन में मितव्ययता करने के लिये यह बात निहायत जरूरी है कि ग्रामसभाओं को मालगुजारी वसूल करने का पूरा-पूरा अधिकार हो। सभापति वहां रहता है, किसान भी वहां रहता है, जब किसान के पास पैसा होगा, वह जाकर अपना रुपया जमा करेगा और रसीद ले लेगा, न कुर्की का सवाल होगा और न वारंट का और न और तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, उस तरह का कोई आरोप ही रहेगा।

इसी तरह से आज एजूकेशन की बात कही जाती है। पंचायतराज ऐक्ट में ग्रामसभाओं को जो ड्यूटीज दी गयी हैं अगर उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

को बड़ी भारी शक्ति दे दी गयी है। मगर वास्तविक रूप में देखा जाय तो मालूम होता है कि उनमें कोई भी शक्ति नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर ग्राम सभाओं को मजबूत इकाई बनाना है, ऐसी इकाई बनाना है कि जो जनता के आन्दोलन के रूप में काम करे तो इस बात की आवश्यकता होगी कि जो प्राइमरी एजूकेशन है उसका सारा का सारा काम, हर तरह की बात ग्राम सभाओं के हाथ में सौंप दी जाय और अन्य अधिकारी जिनका कि केवल थोड़ा-सा सुपरविजन का कार्य है, केवल वही कार्य करें क्योंकि अगर ग्राम सभाओं के हाथ में प्रारम्भिक शिक्षा का सारा का सारा प्रबन्ध नहीं सौंपा गया तो जो हमारी आने वाली सन्तान है उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था किसी भी सूरत में शासकीय आज्ञाओं के द्वारा या जिला अन्तरिम परिषद् के द्वारा नहीं हो सकती।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है जैसा कि बजट की डिबेट के सिलसिले में विरोधी दल के नेता महोदय ने एक सुझाव दिया था, उस पर भी इस सदन के माननीय सदस्य विचार करें। वह है एफ० आई० आर०। गांव में जो प्रारम्भिक सूचना लिखी जाती है वह थाने में लिखी जाती है और दीवान जी लिखते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हाईकोर्ट का जजमेंट है। मेरा निवेदन है कि ७० फीसदी मुकदमे जो बड़े-बड़े जघन्य अपराधों के हैं वह केवल प्रारम्भिक सूचना के कारण छूट जाते हैं। नतीजा यह होता है कि गांव में बराबर जुर्म का तांता बना रहता है। अगर यह एफ० आई० आर० का काम ग्राम सभाओं के सुपुर्द कर दिया जाय तो मेरा दावा है कि जुर्म बहुत हद तक कम हो जायेंगे और जो सही स्टोरी है वह आयगी। अभी थाने में यह होता है कि अगर ५ आदमी या उससे ज्यादा के नाम लिखाते हैं तो दीवान जी चार या तीन ही लिखते हैं कि कहीं १४७ का मामला न बन जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपके कटौती के प्रस्ताव में यह विषय नहीं है। उसमें केवल यह है कि चौकीदारों को उनकी तहत में करना तथा गांव सम्बन्धी विकास योजना उनके द्वारा चलाना। रिपोर्ट के विषय में आपने लिखा नहीं है। कृपया आप उस विषय पर अपना भाषण करें जो कटौती के प्रस्ताव में है। कृपया आप उसे देख लें और उसी पर भाषण सीमित रक्खें। विषय के बाहर बोलने की मैं आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---मेरा निवेदन है कि चौकीदार के विषय से ही एफ० आई० आर० सम्बन्धित है। चौकीदार का काम ही गांव में होता है कि एफ० आई० आर० लिखाये चूंकि चौकीदार का तजकिरा है इसलिये एफ० आई० आर० इससे सम्बन्धित हो गया। मेरा निवेदन है कि चौकीदार ही जाकर थाने में एफ० आई० आर० लिखाता है।

श्री अधिष्ठाता---आपके प्रस्ताव से चौकीदार उनके तहत में हो, उसके ट्रान्सफर वगैरह की बात आ सकती है। लेकिन रिपोर्ट इसमें कवर नहीं हो सकती।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---जैसी आप आज्ञा दें मुझे तो केवल इतना निवेदन करना था कि चौकीदार का काम है थाने में एफ० आई० आर० लिखाना, इसलिये यह चौकीदार एफ० आई० आर० लिखाने का काम गांव में ही करें। इस सम्बन्ध में यह चीज बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता---रिपोर्ट के अलावा उसका और भी कार्य होता है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---आज गांव का चौकीदार दरोगा जी के मातहत है, आज वह दीवान जी के मातहत है और इसका नतीजा यह होता है कि जब गांव में कोई घटना होती है और वह उसकी इत्तला करने थाने में जाता है तो वह, क्योंकि थानेदार के मातहत है इसलिये जैसे चाहें वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसलिये इस चीज को दूर करने के लिये यदि आप को चौकीदार का लाभ उठाना है तो उसको आप ग्राम सभाओं के अन्डर में कर दें। जब ऐसा आप कर देंगे तो चौकीदार का काम केवल यह रह जायगा कि वह थाने

में जाकर रिपोर्ट दे दे और वह वैसे ही वहां रजिस्टर में दर्ज हो जाय। अगर ऐसा हो जाय तो थाने में केवल एफ० आई० आर० के रजिस्टर होने का सवाल रह जायगा और वह लिखी तो पहले ही ग्राम सभा में जायगी। इसका दूसरा लाभ यह होगा कि ग्राम सभा का जो आज का स्टेटस है और उनके सभापतियों का जो स्टेटस है उसकी हालत यह है कि कोई कांस्टेबिल भी आता है तो वह समझता है कि सभापति हमारे मातहत है। हमें जगह-जगह देखने को मिलता है कि सभापतियों को चौकीदार के द्वारा थाने में बुलाया जाता है और उनकी जिल्लत की गयी है। इसका कारण यह है कि पुलिस वाले समझते हैं कि वह उनके मातहत हैं। अगर उनके मातहत चौकीदार को कर दिया जायगा तो पुलिस वाले महसूस करेंगे कि आज तो उनके मातहत चौकीदार को ही किया गया है और कहीं कल ऐसा न हो कि कांस्टेबिल और दरोगा जी को भी उनके मातहत कर दिया जाय। इससे अच्छा असर होगा और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि चौकीदार को सभापतियों के मातहत कर दिया जाय।

अभी ग्रामसभाओं के सिलसिले में मौलिक परिवर्तन की बात कही गयी। मेरा निवेदन है कि पंचायती अदालतों के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये और कहा कि केवल १ प्रतिशत मुकदमें उनके बड़ी अदालतों से रद्द हुए। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि वह जानते हैं कि पंचायतराज ऐक्ट में कहीं भी अपील का प्राविजन नहीं है। जब अपील का कोई प्राविजन नहीं है और केवल निगरानी का ही प्राविजन है तो उसमें वाकयाती मामला कभी नहीं देखा जाता, इस कारण से ही पंचायती अदालतों के फैसलों का बड़ी अदालतों से रद्द होने का सवाल पैदा नहीं होता और इस वास्ते यह इस बात का सबूत नहीं है कि जो फैसले वहां से हुए वह सब सही हुए। किसी सुपीरियर कोर्ट ने वहां के मामलों को वाकयाती बेसिस पर एग्जामिन नहीं किया। इसलिये मेरा सुझाव है कि कानून में यह मौलिक परिवर्तन किया जाय कि पंचायती अदालतों के फैसले को अपीलेबिल रखा जाय। इस सरकार की विचित्र पालिसी है, उनको ५०० रुपये तक के मामलों को फैसल करने के अधिकार दिये गये हैं और इतना बड़ा अधिकार सरपंचों को दिया गया है कि उनकी अपील भी प्रोवाइड नहीं की गयी है। मुन्सिफ जो इतने एक्सपीरियेंस्ड और ट्रेन्ड होते थे उनको जो अधिकार थे वही उनको दे दिये गये हैं और उसका एक कारण है। मुझको इस बात के कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि पिछली पंचायतों का जो गठन हुआ वह केवल इस आधार पर किया गया है जिसकी बाबत मैं कह सकता हूं कि ८० फीसदी यह बात सही है कि पंचायती अदालतों के पंच ८० फीसदी कांग्रेसमैन हैं। उदाहरणस्वरूप मेरे जिले जालौन की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सरपंच हैं हालांकि कानून में यह लिखा हुआ है कि जो आदमी पंचायत अदालत में होगा वह पालिटिक्स में भाग नहीं लेगा। मेरा कहना तो यह है कि जब तक एलेक्टेड जुडिशियरी होगी तब तक न्याय नहीं मिल सकेगा। गांव पंचायत का जो चुनाव लड़ा जाता है उसके बाद न्याय पंचायत का सरपंच जिलाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो आदमी गांव में एलेक्शन सीक करता है, जिसके सामने खड़े होकर गांव वाले उसके खिलाफ वोट करते हैं वह आदमी जब न्यायाधीश के पद पर बैठेगा तो क्या कभी उसके द्वारा न्याय हो सकेगा ? इसलिये अगर दरअस्ल न्याय की परम्परा देहात में स्थापित करनी है तो इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि पंच लोग किसी भी सूरत में एलेक्ट हो कर न आयें। मैं सुझाव यह दूंगा कि अगर नामिनेशन ही होना है पंचों का तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ एक मुन्सिफ भी बैठा करे या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या ए० डी० एम० (जे०) हो और बाकायदा इंटर व्यू हुआ करे जिससे उनकी योग्यता का पता चलेगा। जैसा आज होता है कि कलेक्टर साहब अपने कमरे में बैठे हैं और एक पंचायत सेक्रेटरी ने नाम

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

भेजा, एक इन्स्पेक्टर साहब ने भेजा, एक ऐडवाइस एम० एल० ए० या एम० एल० सी० साहब ने की और उसके बाद बिला जानकारी किये हुए कलेक्टर साहब ने नामजदगी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरे जिला जालौन में ऐसे लोग पंच मुकर्रर हुए हैं कि एक साहब पंच मुकर्रर हो गये, उनका लड़का पंच हो गया और उनका नौकर भी पंच मुकर्रर हो गया और वह पंच ऐसे आदमी हैं कि जो गांव में सबसे ज्यादा अनपापुलर हैं।

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो चुन के आये होंगे ?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---माननीय उप-मंत्री महोदय जान लें कि वह चुन कर नहीं आया करते, वह तो कलेक्टर द्वारा एप्वाइंट होते हैं। यही नहीं, मैं एक दूसरा उदाहरण दूं। आपकी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एक बड़े भारी दोस्त हैं जो सरपंच बनाये गये हैं लेकिन वे दफा ३०४ में, छोटे कत्ल में सजायाफ्ता हैं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय तिवारी जी, कृपया आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें, केवल पालिसी की बात करें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं किसी का नाम नहीं लेता। अपने तर्क की पुष्टि के लिये केवल एक उदाहरण देता हूं और उसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि जो उदाहरण मैंने दिया उसको कोई गलत साबित करे। मैं तो समझता हूं कि जैसा जालौन जिले में हो रहा है वैसा ही ५१ जिलों में हो रहा होगा। मुमकिन है और जिलों में न भी हो लेकिन मेरे जिले में जिस कदर जिल्लत है और जितनी तकलीफ जनता को है उसको मैं इस वक्त सदन में मंत्री महोदय के सामने केवल व्यक्त कर रहा हूं और उसके लिये उदाहरण भी देता हूं और कोई दूसरा इरादा उदाहरण देने का नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति यहां पर उत्तर नहीं दे सकता उस पर आप आक्षेप लगा रहे हैं। आप जनरल उदाहरण दें। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की नीति है पंचायतों के बारे में उसको डिसएप्रूव करके आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की नीति होनी चाहिये इस पर आप व्याख्यान दीजिये।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मंत्री जी ने प्रश्न कर दिया और यदि वह पूछें और हम जवाब न दें तो आपके प्रति और उनके प्रति गुस्ताखी होगी।

श्रीमन्, नीति कोई एब्सट्रैक्ट चीज नहीं मालूम होती है, वह तो फैक्ट्स से सम्बंधित होती है इसलिये जब उदाहरण देंगे तभी तो बता सकेंगे कि यह गैर मुनासिब नीति है। वैसे यदि जनरल कहना है तो यह कह सकते हैं कि जब चुनाव हुआ करता है तो कांग्रेसी लोग ग्राम सभाओं के सभापतियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सरकारी आदमी हो। इस तरह से उनके दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि वह अब सरकारी आदमी हो गये और जनता के आदमी नहीं रहे। हमने भी प्रचार किया। लेकिन आपके सूचना विभाग और स्वायत्त शासन विभाग का यह काम होना चाहिये कि उनको बतायें कि तुम जनता के चुने हुए आदमी हो, तुम सरकार के या किसी पार्टी के आदमी नहीं हो। अगर यह बात उनके दिमाग में बिठा दी जायगी तो उससे उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होगा। यह मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का कल्याण न हो इसलिये उनको ऐसी ट्रेनिंग न दी जाय। उत्तर प्रदेश का कल्याण किसी भी सूरत में नहीं हो सकता यदि पंचायत के आदमियों के दिमाग में यह बात पैदा हो जाय कि वे सरकारी आदमी हैं। यह देश के लिये बड़ी मुश्किल बात होगी।

अधिष्ठाता महोदय, इसलिये इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं निवेदन कर रहा था कि जो न्याय पंचायतों के पंच मुकर्रर किये जाते हैं उसका तरीका दूसरा होना चाहिये ताकि गांवों में सही माने में न्याय हो सके।

श्री अधिष्ठाता---यह बताइये कि क्या होना चाहिये ?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---श्रीमन्, प्रत्येक जिले में एक कमेटी हो और उसमें जुडिशियल आफिसर जरूर बैठें। पोलिटिक्स में भाग लेने वाला कोई न बैठे और दो आदमी और बैठें। इसके अलावा पंचों का इंटरव्यू हो और उनकी योग्यता का पता चलाया जाकर उनका नामांकन होना चाहिये ऐसे लोग मुकर्रर किये जाने चाहिये। ऐसा न हो कि कलेक्टर जाने नहीं और मुकर्रर कर दे बाप को भी, बेटे को भी और नौकर को भी। इस तरह की बातें नहीं होंगी। यह शासन के लिये कलंक की बात होगी। यह कहा जाता है कि हमारा देश आगे बढ़ा है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और यह दलील दी जाती है कि गांव सभायें इस योग्य हो गयी हैं कि उन्होंने सारे का सारा काम संहाल लिया है। यह सब बेकार बातें हैं।

श्रीमन्, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि पंचायत राज विभाग ही एक ऐसा विभाग मिला कि जहां सरपंच और सभापतियों के सम्मेलन में उनको कोई भत्ता वगैरह नहीं मिला। वह अवैतनिक हैं और उनको भत्ता भी न मिले यह ठीक नहीं है जब कि आपके सेक्रेटरी साहब को, कांस्टेबिल को और लेखपाल को मिलता है। मेरे जिले में पंच सम्मेलन हो रहा था वहां मुझे बताया गया कि वह अपना खर्च करके आये हैं और उनके खाने-पीने तथा ठहरने का इंतजाम नहीं है। मंत्री जी पहुंच जाते हैं तब भी सम्मेलन हो जाता है और सब को हुक्म दे दिया जाता है। अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं, उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, गरीब लोग ही पंच हुआ करते हैं और गरीब लोग ही सभापति हुआ करते हैं अगर उनको बुलाने का सरकार को शौक है अगर मंत्री महोदय यह चाहते है कि उनका जिंदाबाद बोलने के लिये लोग जरूर आयें तो यह भी खयाल रखा जाय कि जब वह ऐसे मौकों पर बुलाये जाया करें, चूंकि वे अवैतनिक होते हैं, उनका मार्ग व्यय और रुपया दो रुपये भत्ते की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। ऐसा अगर नहीं होगा तो पंच और प्रधान समझेंगे कि हम लोग सरकार की बेगार करने वाले हैं। अगर यह मनोवृत्ति आयेगी तो उनका इनीशिएटिव खत्म हो जायगा। मुझे इस बात के कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि स्वायत्त शासन विभाग सब से करप्ट डिपार्टमेंट है। रोज विरोधियों के साथ, जनता के साथ बेईमानी होती है और उनकी मखौल उड़ाई जाती है, इसलिये मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता (श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा से)---तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। उन्हीं पर आप अपना भाषण सीमित रखेंगे। आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। किसी तरह का रिपीटीशन नहीं होगा और इन्हीं पर सीमित रखेंगे।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मंत्री महोदय ने उपस्थित किये हैं उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने बड़े गौर से अपने माननीय मित्र श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी की स्पीच को सुना, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक नौजवान आदमी इस सदन में उन अधिकारों को कम करने के लिये कहने को खड़ा हुआ जो अधिकार हमारे सभापतियों और पंचायतों को मिले हुए हैं। मैं तो यह उम्मीद करता था कि तिवारी जी इन गांव पंचायतों को और अधिकार दिये जाने की मांग करेंगे। जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनको वह कम करेंगे। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ अगर न्याय पंचायतों को पांच सौ रुपयों तक के मुकदमें करने के अधिकार दिये गये वह पसन्द करते हैं कि उन अधिकारों को किसी सरकारी मुंसिफ को दे दिया जाय तो ठीक है। लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों (न्याय पंचायतों) को न दिये जायं।

एक सदस्य---वकालत खत्म हो जाती है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---आप का शक ठीक हो सकता है । मैंने एक बात और देखी वह यह कि पंचायतों के चुने जाने के तरीके पर भी उनको एतराज हुआ । वह चाहते हैं कि जुडीशियल आफिसर, कोई सरकारी मुलाजिम पंचायतों को चुने । इसमें वह बड़ी शान समझते हैं । जनता ने जिन लोगों को चुना उनमें से अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने चुनकर न्याय पंचायतें बना दीं तो क्या बड़ी भारी आफत हो गयी ? जिस आदमी को जनता का विश्वास प्राप्त है, जनता जिसको समझती है कि नेकनीयत और सच्चरित्र है, उसी को वह अपना वोट देती है । उसमें से अगर जिला मैजिस्ट्रेट न्याय पंचायत के लिये चुन लेता है तो क्या फर्क पड़ जाता है ? जुडीयिशल अफसर के क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो कलेक्टर के नहीं हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जमींदारी खत्म हुई तो हमारे लिये लाजमी था कि हम ऐसा कदम उठाएं जिससे प्रजातांत्रिक शासन दृढ़ता पकड़ सके । वह काम जो ग्राम तौर पर जमींदार किया करता था, उसे हमने ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें बना कर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों को दिया और मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं कि थोड़ी सी पंचायतों को छोड़कर, ग्राम पंचायतों ने जो काम किया है वह सराहनीय है । बाज-बाज गांवों को देखें, उनमें ऐसा काम हुआ कि गावों को पहचानना मुश्किल हो गया है, गांव के रास्ते ठीक किये, रास्तों को चौड़ा किया, सोखते बनाये । (व्यवधान) अवस्थी जी कभी अपने घर से निकलते नहीं मुझे यही शिकायत है । अगर वह इधर-उधर घूमें तो उनको मालूम होगा कि गांवों में इतने सुधार कार्य हुए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मेहरोत्रा जी, मुझे ऐड्रेस करें । आपस में बातचीत न करें ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---इन विकास के कार्यों में गांव सभाओं ने जिस तरह से दिलचस्पी ली है वह सराहनीय है । कहा गया कि सेक्रेटरी गांव सभा के सभापतियों का अफसर है । अगर ऐक्ट को पढ़ा जाय तो ऐक्ट में अफसर है नहीं । तिवारी जी जैसे सज्जन जो कानून के पंडित हैं उनसे तो मैं चाहूंगा कि वह यह देखें कि पंचायत ऐक्ट में सेक्रेटरी की पोजीशन क्या है ? अब यह कि कोई सभापति उस सेक्रेटरी पर प्रभावशाली न हो सके, उससे काम न ले सके तो यह कानून की कमजोरी नहीं है । यह तो उस आदमी की कमजोरी हो सकती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे साफ करेंगे कि हमने इस ऐक्ट के द्वारा ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिये हुए हैं उनका ठीक-ठीक उपयोग नहीं हो पाता । वे लोग उनका उपयोग कर नहीं रहे हैं । ग्राम सभाओं की जितनी बैठकें होनी चाहिये, लोगों को जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये, गांवों की उन्नति के लिये जितने काम होने चाहिये उतने नहीं हो पाते हैं । जितनी कि हमको आशा करनी चाहिए उतना काम नहीं हो पाता है ।

कुछ गांव ऐसे हैं जहां कि सफाई भी होती है, रोशनी भी रहती है और रास्ते भी ठीक रहते हैं । लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कहीं सभापति को इस प्रकार के काम कराते हुए दफा १०७ का शिकार होना पड़ जाता है । पुलिस उसको परेशान करती है । मैं तो यह सोचता हूं कि जो आदमी इस तरह से गांव की उन्नति की बात सोचे, करे, उसको थोड़ा सा संरक्षण मिले और वह दफा १०७ का शिकार न होने पाये ।

ग्राम सभाओं की आमदनी टैक्स के द्वारा थोड़ी सी हो जाती है । लेकिन विकास के जिस तरह के काम इन गावों में होने चहिये उनके लिये यह जरूरी है कि गांव सभाओं के पास काफी पैसा भी होना चाहिये । जब आप उनसे सारे काम लेते हैं तो यह काम भी आप उनसे लीजिए कि उनके जरिये से मालगुजारी भी वसूल की जाय और उसका एक बड़ा हिस्सा उनको दीजिए ताकि वह उसको गांव के विकास में खर्च कर सकें । कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां स्कूल चलते हैं, मवेशीखाने हैं, मैं समझता हूं कि ये दोनों काम भी आप गांव सभाओं को दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मेहरोत्रा जी, आप कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं ?

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--सुझाव दे रहा हूं साथ-साथ ।

श्री अधिष्ठाता--देखिए, आप जरा बैठ जाइए । इसमें जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें चार, पांच चीजें हैं--कागजात देही, मालगुजारी, प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध, मालगुजारी का ५० प्रतिशत, चौकीदार और योजना संबंधी यह चार पांच चीजें हैं । इन चार, पांच बातों पर ही अपना भाषण सीमित रखें । आप इसको एप्रूव करते हैं या नहीं ? जो गवर्नमेंट की नीति है उसके विरोध में उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है । तो आप उसी का जबाब दें ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--मैं बिलकुल समर्थन करता हूं गवर्नमेंट की नीति का और साथ-साथ सुझाव भी दे रहा हूं । मेरा मंशा सुझाव देने का हरगिज यह नहीं है कि मैं उस पर शक करता हूं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, एक प्रश्न उठेगा कि जो लोग इस डिमांड के ऊपर आम बहस करना और आम सुझाव देना चाहते हैं उनको मौका इस कटौती के प्रस्ताव के गिरने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--जी, बिलकुल नहीं मिलेगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--तो इसका मतलब यह है कि अगर यह कटौती का प्रस्ताव शाम तक रहा तो किसी को मौका नहीं मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव जो पेश है इस पर थोड़ी बहस करने के बाद राय ले ली जायगी और फिर बाकी जो प्रस्ताव हैं उनको ले लिया जायगा । कोई सदस्य यह समझे जिसको आम बहस करनी है, तो आम बहस का सवाल नहीं है । इसके संबंध में तीन चार बातें रखी हैं, इनके ऊपर बहस होगी और फिर इस पर राय ले ली जायगी । फिर दूसरा ले लिया जायगा और इसी तरह जितने भी कटौती के प्रस्ताव हैं उनके अन्दर जितनी बातें हैं उन्हीं के ऊपर भाषण होगा ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं । साथ ही साथ लाजिमी है कि अगर उन्होंने सुझाव नहीं दिया तो मैं सुझाव रख दूं । क्योंकि कटौती का प्रस्ताव तीनों तरह का उन्होंने उपस्थित किया है तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूं और अगर ठीक नहीं हूं तो आपसे गाइड हूंगा, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है ।

मैं इसलिये कह रहा था कि इन गांव सभाओं को काम करने के लिये चौकीदार की बात आती है । चौकीदार गांव सभाओं का काम कर सकता है । लेकिन सचमुच वह गांव सभा की बहुत अच्छी सहायता कर सकता है अगर वह जिम्मेदारी चौकीदार के काम में भी शामिल कर दी जाय, अगर यह समझा जाय कि चौकीदार की नियुक्ति भी गांव सभा करेगी । यह ठीक है, मैं समझता हूं कि इस तरह की जिम्मेदारी सभापति के हाथ में है और जब इस तरह का प्रश्न आता है तो गांव सभा का सभापति अपने सुझाव दिया करता है । रही बात यह कि गांव सभा के खर्चे चलाने की बात मालगुजारी के सिलसिले में तो मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गांव सभाओं की आमदनी बढ़ाने के लिये एक भाग मालगुजारी का गांव सभाओं को भी दें ।

अन्तरिम जिला परिषदों के विषय में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इन अन्तरिम जिला परिषदों ने जिस तरह से काम किया है वह भी किसी दर्जे तक बहुत अच्छा

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

रहा है । जितनी हमारी जिला नियोजन समिति थी उनमें ऐसे आदमी नहीं थे जो निर्माण के कार्य को चला सकें और उसकी निगरानी हो सके । अब जब से जिला परिषदें कायम हुई हैं वह बहुत आसानी से काम की निगरानी करती हैं और जो काम नियोजन समितियों के द्वारा प्रदेश में चल रहा है, उसको देखती हैं । लेकिन जो एक रवानी थी उसमें एक थोड़ी सी रुकावट भी आ गई है । मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमारी जिला कौंसिल बनें । जिला कौंसिल बनाने का एक बिल माननीय मंत्री जी लाने वाले हैं जिसकी मंत्री जी सूचना इस सदन को दे चुके हैं । तो जब वह बिल आये उसमें इस बात की गुंजायश रहे कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें उनको प्राथमिकता मिले । हो सके तो हमारे यहां जो ब्लाक की कमेटीज हैं, इनको अधिकार रहे और इनके अधिकार बढ़ें और साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़े यह ब्लाक की कमेटीज बड़ी जिम्मेदार कमेटीज हैं । इनका अधिकार बहुत कम है । इनको अधिकार मिल जायगा तो विकास के काम में बहुत प्रगति होगी .....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, प्रशासन तो इसके अन्दर नहीं आ सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---(श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा से) यदि माननीय सदस्य नियम १९०,१९१ पढ़ लिये होते तो इस वक्त यह आवश्यकता नहीं होती कि सुझाव देते । इस वक्त कटौती का प्रस्ताव पेश है । उसी को आप एप्रूव करें या डिसएप्रूव करें ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---मैं इसी पर सीमित रहूंगा । मैं यह कह रहा था कि गांव-सभाओं का जिस तरह से निर्माण हो रहा है उनको प्रगति देने के लिये यह जरूरी है कि आप गांव सभाओं के आर्गनाइजेशन की कुछ योजना बनायें । कुछ ऐसी चीज आये जिससे यह गांव सभायें अपनी बचत करने लग जायं और अपनी जिम्मेदारी को समझें । गांव सभा का सभापति भी अपनी जिम्मेदारी समझता है । मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं कि वह सभापति सरकारी मुलाजिम है । वह बिलकुल स्वतंत्र आदमी है और अपने को स्वतंत्र समझता है । अगर उसको सरकारी मुलाजिम कहा जाय तो वह अपना अपमान समझता है ।

सरपंचों के चुनाव इस प्रदेश में हुए । वह खुल्लमखुल्ला तरीके पर हुए । जिला मैजिस्ट्रेट ने उनको नियुक्त किया हैं । उससे वह अच्छी सलाह लेंगे । जिस तरह का काम हमारी न्याय पंचायतें कर रही हैं वह अधिकतर आपस में समझौता करा कर फैसला करती हैं । इससे मालूम होता है कि जो मुकदमेबाजी में पैसा बरबाद होता था वह बहुत कुछ कम हो जायगा । इससे हमारी न्याय पंचायतें कामयाब साबित हो रही हैं । साथ ही साथ गांव सभाओं ने भी जिस तरह से काम किया है वह सफल साबित हुआ है । जिस संस्था को अभी थोड़ा ही समय हुआ है और १० वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं उसने अच्छा काम किया है । अगर उस संस्था को और अधिकार दिया जाय और उसकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि वह अधिक सफल साबित होगी । जिस तरह के स्वशासन की जरूरत हमारे प्रदेश में थी उसकी पूर्ति हो रही है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आज हमको कुछ करना है तो विकेन्द्रीकरण के आधार पर करना है और उसी आधार पर हमें न्याय पंचायतों इत्यादि को बनाना है । आज हम यह देखते हैं कि गांवों में दिन-दहाड़े डकैतियां, चोरियां हो रही हैं और गांव का कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझ पा रहा है । ऐसी सूरत में गांव सभाओं को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी दिया जाना चाहिये ताकि वह अपने यहां फायर आर्म्स आदि रख कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लें । आज प्रत्येक जिले में चोरियां, डकैतियां हो रही हैं और शाम को ७ बजे से ही आरम्भ हो जाती हैं । ऐसी सूरत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में अगर आस-पास के गांव वाले भी मदद करने आते हैं तो मदद नहीं कर सकते क्योंकि जो फायर आर्म्स उनको मिले होते हैं वह उन्होंने अपनी प्रापर्टी के हेतु लिये होते हैं और आज तो उनका केवल यही कार्य रह गया है कि दावतों में जायं और वहां बंदूक एक दो बार चला दें। जिनके पास आज बंदूकें हैं उनको दावतों में, नामकरण संस्कारों पर मय बन्दूक के न्योता मिलता है, संबंध कोई न भी हो तो भी निमंत्रण मिलता है इसलिये कि खाना खायगा तो क्या, दो बार बंदूक भी तो चलायेगा, रौनक आ जायगी। आज मैं देखता हूं कि यह व्यवस्था होना अनिवार्य है कि हर जगह आबादी के लिहाज से गांव समाज लाइसेंस ले ले और अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करे। शाम के बाद देहात में लोग अपनी फसल के पास तक नहीं जा सकते और सुबह ६ बजे के पहले घर से नहीं निकल सकते जब कि किसान सवेरे चार बजे ही अपने खेत पर पहुंच जाना चाहता है। तो जहां गांव के समस्त कार्य उनके सुपुर्द करने की बात है वहां सुरक्षा का कार्य भी ऐसा है कि जिसे हम उनको सौप सकते हैं और वहां शान्ति व्यवस्था स्थापित होने के बाद हम दिन रात अपनी चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। अगर देहात में शान्ति न हो तो कोई अपना कार्य नहीं कर सकता। हमारी अन्न की समस्या भी इसके बिना हल नहीं हो सकती। सुरक्षा का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम २२ करोड़ रुपया मालगुजारी गांवों से वसूल करते हैं उसका ५० फीसदी हमको गांव के उपयोग में ही लाना चाहिये क्योंकि पंचायत टैक्स की कोई आशा नहीं है। गांवों में आज जच्चाखाने नहीं है, यह रुपया गांव को देने से वहां शफाखानों का प्रबंध हो जायगा। आज ५ मील के रेडियस में एक आयुर्वेदिक और युनानी शफाखाना है, लेकिन वहां अगर वैद्य है तो दवाई नहीं रहती और अगर दवाई रहती है तो वैद्य नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था में अगर हम ११ करोड़ रुपया उनको दे दें तो सभी गांवों में दवाखाने खुल जायंगे और उनको सुविधा मिल जायगी।

शिक्षा में––बालक नहीं पढ़ रहे हैं हालांकि सुविधा है। प्रत्येक दो मील पर स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि बालक से मवेशी ही चरवा लें ताकि जीवन आसानी से चल सके। पटवारी सही मामले खतौनी में दर्ज नहीं करते और इसलिये तिवारी जी ने ठीक मांग की है कि गांव सभा द्वारा कागजात में दुरुस्ती और रख रखाव का काम कराया जाय। आज बहुत सा खादर पड़ा हुआ है और काश्तकारों और मजदूरों से लेखपालों ने सांठ-गांठ कर रखी है और वे कागजों में उनको दर्ज नहीं करते हैं। बीसों बार गलत इन्दराज किये जाते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं होता है क्योंकि कानूनगो और ऊपर के अधिकारी लेखपाल से कुछ प्राप्त किया करते हैं इसलिये वह यही कहते हैं कि लेखपाल ठीक कहता है और प्रधान गलत कहता है। इसलिये तिवारी जी ने ठीक कहा कि गांव के कागजात गांव सभा के द्वारा ही बनाये जाने चाहिये नहीं तो लेखपाल हमेशा गड़बड़ी किया करेगा। आज बड़े-बड़े जमींदार जिनके पास बहुत जमीन है लेकिन वह बेकार पड़ी रहती है और लेखपाल उनके चंगुल में रहता है वह उसमें लिख देता है "तुख्म सौख्त"। माननीय मंत्री जी जो बीज बाटते हैं उसको भी वे ले जाते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जमीन बोते नहीं हैं और लेखपाल लिख देता है "तुख्म सोख्त"। इसका नतीजा यह होता है कि वह पकड़े भी नहीं जाते और उनका खेत भी बचा रहता है। इसलिये जरूरी है कि गांव के सारे कागजात गांव सभा तैयार करे। अगर गांव सभा कागज तैयार करेगी और अगर उनका खेत खाली रहता है तो खसरा भी खाली रहेगा और अन्त में वह गांव समाज की संपत्ति बन जायेगी। इस तरह से सच्चे वाकयात लिखे जाया करेंगे। आज हर जगह पार्टी-बन्दी चल रही है। किसी का कत्ल हो गया तो देखा यह जाता है कि कौन-कौन मेरा दुश्मन है उसका भी नाम आ जाये तब रिपोर्ट लिखी जाय, लेकिन अगर चौकीदार गांव समाज के अन्डर में रहेगा तो यह नहीं होने पायेगा। कत्ल तो हो गया, अब जिनसे उसकी रंजिश है उनके अलावा जो और उसके रिश्तेदार है जिसके पास बन्दूक है उसका नाम भी लिखाया जाता

[श्री हिम्मत सिंह]

है । थानेदार तो जैसा चाहते हैं वैसा मनमाने ढंग से लिख देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने पायेगा । आज हम देखते हैं कि किसी ने अगर ५० रुपये दिए हैं तो वह ५०० रुपये की नालिश कर देता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है लेकिन डिग्री हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता---यह विषय इसमें नहीं है, यह विषय फिर आयेगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी ने कटमोशन मूव किया जिसका उद्देश्य नीति के ब्योरे पर चर्चा करना है यानी किस बुनियादी ढंग पर ग्राम सभाओं को होना चाहिये तो उस पर बोलने का मौका मिलना चाहिये नहीं तो फिर हम सभी लोग अपने कटमोशन को मूव करने की कोशिश करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---हमारे जो नये रूल्स बने हैं उसके रूल १९१ में यह दिया हुआ है: "shall not make suggestions for the amendment or repeal of existing laws" तो इसमें यह है कि विधियों में संशोधन के लिये सुझाव नहीं दिये जायंगे । यह जो कटमोशन स्वीकार कर लिया गया है, मैं नहीं कह सकता कि कैसे हो गया । लेकिन उसके विषय में यहां बहस नहीं हो सकती । नये रूल्स में कटमोशन को बहुत ही सीमित कर दिया गया है । इसलिये आम बहस की बातें यहां पर न कही जायं । यहां कोई बात बार-बार दोहराई न जाय ।

श्री राजनारायण---हम एगजिस्टिंग लाज पर सजेशन तो कर नहीं रहे हैं । गांव पंचायत लाज में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिये हम कर रहे हैं । इसमें नीति संबंधी बातें आ जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता---गांव सभाओं के विधान में मौलिक परिवर्तन करना, उसमें साफ लिखा गया है ।

श्री राजनारायण---जो भी उन्होंने लिख दिया हो, हम उसके सिद्धान्तों पर नहीं जा रहे हैं । नीति-संबंधी ये सारी बातें उसमें आ सकती है ?

श्री अधिष्ठाता---आ सकती हैं लेकिन जो बात कह चुके हैं उसे दोहराना नहीं चाहिये । तिवारी जी ने जो बातें कही हैं उन्हीं को आप एप्रूव करिये ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी---गांव सभाओं के विधान में मौलिक परिवर्तन करना, एग्जास्टिव नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---आप पालिसी के ऊपर कर सकते हैं, उनके रूल्स तथा लाज पर नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कट मोशन्स कई आधार पर हैं । तो क्या दूसरे कट मोशन्स पर चर्चा इस मौजूदा कट मोशन के संबंध में नहीं हो पावेगी ?

श्री अधिष्ठाता---इस कटमोशन पर बहस के बाद हम राय ले लेंगे और फिर दूसरा और फिर तीसरा, इसी तरह, लिये जावेंगे ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---आज के एजेंडा में केवल अनुदान संख्या १५ ही लिखा था किन्तु माननीय मंत्री ने ३६ और ४१ भी प्रस्तुत किया । तो जिन सदस्यों ने ३६ और ४१ पर अपने कट मोशन का प्रस्ताव दिया है, वे किस प्रकार से अपने सुझाव देंगे ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी ने और सदन ने यह बात स्वीकार कर ली है और उस पर कटौती का प्रस्ताव भी ले लिया गया है और आप बोल सकते हैं। अगर आप सुबह यहां होते तो यह प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होती।

श्री हिम्मत सिंह---माल विभाग के मुकदमे लेखपाल के इंदराज पर चलते हैं और नीचे से लेकर बोर्ड आफ रेवेन्यू तक उसका ही इन्दराज सही माना जाता है। आज कोई प्रधान अदालत में जाकर सच कह देता है जो लेखपाल के इंदराज से नहीं मिलता है और उसके बयान पर डिक्री हो जाती है तो हमारे एम० डी० ओ० महोदय उससे जवाब तलब कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमको क्यों न मुअत्तल कर दिया जाय क्योंकि तुमने गांव समाज की सम्पत्ति का पूरी तरह से संरक्षण नहीं किया है। ऐस० डी० ओ० के यहां उस पर मुकदमा दायर हो जाता है और उसमें बीसियों तारीखें पड़ता हैं। ऐसी सूरत में गांव का प्रधान परेशान होता है। गांवों में बंजरों के सैकड़ों मकान हैं जो बीसियों वर्ष से हैं और लेखपाल ने नहीं लिखे हैं और जब उसे होश आता है तो १ या २ वर्ष से उन्हें लिखा देता है। गांव समाज में मुकदमा दायर होने पर लोग बेदखल हो जाते हैं और अगर गांव का प्रधान सच बात कहता है तो उस पर मुकदमा दायर हो जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि गांव के प्रधान के लिये भी एक व्यवस्था कर दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं गोविन्द नारायण जी तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक ही साथ तीन अनुदान प्रस्तुत हैं और केवल एक ही अनुदान के कटौती के प्रस्ताव छपे हैं, बाकी प्रस्ताव सदन के सामने नहीं हैं। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि या तो अलग-अलग अनुदानों के लियें समय निश्चित कर दिया जाय और कटौती के प्रस्ताव सभी सदस्यों के पास भेज दिये जायं या तीनों को एक ही साथ नीति के सिलसिले में विचार करने का अवसर हो।

श्री अधिष्ठाता---श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी ने तीनों कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं। दो इसमें नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिये थे। जब उन्होंने पेश किये थे तो माननीय सदस्यों ने सुन लिया होगा। तीनों कटौती के प्रस्तावों पर आप बोल सकते हैं।

श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत मांग पर कटौती के प्रस्तावों का विरोध करता हूं और मूल मांगों का समर्थन करता हूं। इस संबंध में जो एतराजात कटौती के प्रस्ताव में उठाये गये हैं उनमें सिवाय इसके कि कार्य-प्रणाली किस प्रकार से चल रही है, उसमें कितनी दिक्कतें पैदा होती हैं, उनके नतीजों पर ज्यादा संकेत किया गया है। मूलतः जो हमारा स्वायत्त शासन, गांवों का प्रबन्ध, पंचायतों के जरिये है, उस पर अगर हम निगाह डाले तो हम हम इस नतीजे पर आवेंगे कि कोई बात ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम गांव में एक स्थिति लाना चाहते हैं, ऐसा करने के लिये कानूनी तरीके पर उसमें कुछ मनाही हो। कानूनी तरीके से उसमें हम किसी चीज को न ले आ सकें, ऐसी बात नहीं है। गांवों में गांव सभाओं और गांव पंचायतों का जो भी संगठन हुआ है वह अपनी जगह रखता है और गांवों की इस छोटी इकाई के भीतर किसी दूसरे तरीके से संगठन करना, उसकी आर्थिक आवश्यकताओं से बाहर है, वह उसके आर्थिक ढांचे में समा नहीं सकता है। अतः जो विधान गांव सभा के चुनावों का रखा हुआ है उसमें कोई बात मूलतः खराबी की नजर नहीं आती है। अब रही यह बात कि कागजातदेही वहां तैयार की जाय, चौकीदार उसके मातहत कर दिया जाय, मालगुजारी की वसूली उनके सुपुर्द कर दी जाय। अगर हम

[श्री उदयशंकर दुबे]

उस के विधान को देखें तो उसमें इन बातों की कोई मनाही नहीं है। बल्कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को देखें तो उसमें स्वेच्छा से अपने तरीके से जो काम करने चाहिये, उनमें जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार हैं, उतने ही अधिकार गांवों में गांव सभाओं को हैं। अगर वह अपने गांव के भीतर किसी चीज को लाना चाहें और गांवों की शक्ल बदलना चाहें तो किसी तरह की मनाही या रुकावट उनके काम में नहीं है। इतना अवश्य सत्य है कि इतने दिनों के बीच जब से सरकार गांव सभाओं का संगठन चला रही है, किसी चीज की कमी अवश्य है। जितना जनप्रिय उनको गांवों में होना चाहिये उतनी जनप्रिय नहीं हो रही हैं। यह चीज अपनी जगह पर सत्य रूप में स्थित है। हर पंचायत अदालत पर एक सेक्रेटरी है, उसकी जितनी गांव सभायें हैं उनको अपना बोझा मानती है और वह अपने आपको पंचायत इन्सपेक्टर या पंचायत अधिकारी का कागज रखने वाला मानता है। जितना व्यय सरकार उस पर करती है, जितना गांव सभाओं को उसको देना पड़ता है, उस लिहाज से उससे पूरा-पूरा काम गांव सभायें नहीं ले पातीं, यह एक शिकायत है। मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये कि जितना हम एक आदमी को पैसा देते हैं, उतना उससे काम लें। लेकिन वह तो ज्यादातर कागजात की उलझन में पड़ा रहता है और उससे कोई विशेष लाभ गांव वालों को नहीं होता। मेरा सम्पर्क अपने क्षेत्र की गांव सभाओं से बहुत काफी है।

जिले के भी अधिकांश हिस्से की ग्राम सभाओं से मेरा सम्पर्क है और मैं उस बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि ग्राम सभाओं के भीतर अधिकतर ग्राम सभाएं इन सेक्रेटरियों को अपने लिये बोझ सदृश समझती हैं। जो उनके गांव समाज के सेक्रेटरी हैं वे लेखपाल हैं। अब क्या कारण है कि जो गांव सभाओं के सभापति हैं वे अपने पूरे अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जगह तो यह देखने में आया कि रेवेन्यू विभाग और पंचायत विभाग ये दोनों या तो अपने आपको यह समझते हैं कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं या कुछ सौतेला सा इनका व्यवहार है और उस व्यवहार के नाते अपनी जगह जिसे कहते हैं प्रभावशाली होने की बात, वह अपनी जगह प्रभावशाली नहीं हो पाते। उसका नतीजा यह है कि अगर आप गांव समाज मैनुअल को उठा कर देखें तो आज भी गांव सभा को कानून के भीतर पूरा अख्तियार है कि वह लेखपाल को बुला करके अपने सामने इन्तखाब दिला सके और गांव के कागजात को देख सके कि सही इन्दराज हुआ है या नहीं।

एक सदस्य---यह मैनुअल की किस धारा में है ?

श्री उदयशंकर दुबे---मैं इस वक्त किताब नहीं लिये हुए हूं, लेकिन यह है उसमें। उसे यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन दिक्कत इस चीज की है, जैसा मैंने कहा कि गांव के भीतर हमारा जो आर्गेनाइजेशन है पंचायतों का, यह कुछ जनप्रिय सा नहीं हो रहा है। देखा यह गया है कि इन कठिनाइयों और परेशानियों के भीतर गांव सभा के सभापतियों के चुनाव में दो शक्लें सामने आती हैं कि वे किसी चीज पर कोई ऐक्शन नहीं लेते हैं जब तक कि उनका कुछ निजी स्वार्थ न हो या वे किसी संकट में ही न पड़ गये हों। यदि कोई निजी स्वार्थ न हुआ तो किसी लागडाट में पड़ गये या कहीं दुश्मनी में पड़ गये तो उसे सामने ला कर गांव समाज के अधिकारों का उपयोग करते हैं। सिर्फ गांव समाज की जो सम्पत्ति है उस सम्पत्ति की ठीक-ठीक रक्षा करने में एक गौण सी चीज समझते हैं। उसे देखने के लिये जितना उन को ध्यान देना चाहिये वह नहीं देते। मिसाल के लिये मैंने अदालतों में देखा कि २०९ के दावे रेवेन्यू कोर्ट में हो जाते हैं। कायदे के मुताबिक लोगों की अपनी जायदाद निजी-तौर पर देने के बाद वह गांव समाज की सम्पत्ति हो जानी चाहिये और यदि गांव समाज के पास वह सम्पत्ति आ जाय तो उससे बहुत सारे भूमिहीन लोगों की भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन होता क्या है ? होता यह है कि गांव समाज का सभापति जो है वह दिलवस्पी नहीं लेता और वे दोनों जा करके सुलह कर लेते हैं। इस तरह से जो जमीन गांव समाज में

आनी चाहिये वह आपसी समझौते से, दोनों आदमियों के मिल जाने से और गांव समाज के सभापति द्वारा कोई दिलचस्पी न लेने के कारण दोनों को भूमि गैर कानूनी तरीके से चली जाती है, उनको निकालने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। सभापति, सेक्रेटरी, लेखपाल इनमें से किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। इस तरह पर जो भूमि कायदे के मुताबिक मिल करके एक तरह से भूमिहीनों की समस्या में मदद करने में कुछ सहायक होती वह अपनी जगह बिलकुल कुंठित सी हो रही है और उस जगह कोई काम नहीं हो रहा है। यह एक परेशानी है जिस ओर मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये।

अब गांवों के भीतर एक और परेशानी है जिसे गांव समाजों को ही करना चाहिये। वह यह है कि हम नये-नये सिंचाई के साधन दे रहे हैं, परन्तु गांवों के भीतर जो पुराने सिंचाई के साधन पड़े हुए हैं जैसे तालाब हैं, पोखरे हैं, कुएं हैं जो गांव समाजों में निहित हो गये, लेकिन उसके बाद वह सब बरबाद हो रहे हैं। कितनों को लोग अपने नाम लिखा रहे हैं, कितनी सीरदारी भूमिधरी में परिणत हो गयी, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन गांव समाजों को कोई दिलचस्पी नहीं है। गांवों के भीतर अगर इस मसले को उठावें तो जैसी स्थिति गांवों की भीतर है उनको डर लगता है कहीं मेरा घर न फुक जाय, या कोई और परेशानी उन पर न आ जाय। तो जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि जहां तक विधान और संगठन, नीति का सवाल है वह तो ऐक्ट में जितनी दी हुई है वह अपनी जगह ठीक है अगर उतनी ही कार्यान्वित करा दें, पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर विधान है कि अगर उनके इलाके के अन्दर रहने वाला कोई अधिकारी गलत तरीके से काम करता है तो वह उस पर भी अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और उसकी परवाह की जायगी। लेकिन होता यह है.....

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उदयशंकर दुबे—तो मैं यह कह रहा था कि जितना ऐक्ट के भीतर है और जितना विधान में पंचायतों के बारे में बनाने की बात है, उनके संगठन आदि की बात है, उसमें उसके भीतर जो काम करने की बात है वह नहीं हो पा रही है। गांवों के भीतर जितने उनके पुराने सिंचाई के साधन थे वह सब नष्ट प्रायः हो रहे हैं उनके लिये न तो मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, केवल उन पर श्रमदान की बात चाहते हैं कि उसके जरिये उनकी मरम्मत हो। उसमें एक परेशानी यह है कि गांवों के भीतर करीब ४० फीसदी जमीन पुराने जमींदारों के पास है और ६० फीसदी जमीन गांवों के और लोगों के पास है, यह मैं औसत की बात कह रहा हूं, हो सकता कि कहीं इतनी न हो, लेकिन औसत यह है। तो जो जमीन जमींदार के पास है उस जमीन के वह जमींदार लोग, इन पोखरों को, इन तालाबों को ठीक करने में एक धेला भी उठाकर रक्खे, नहीं हुआ। वह लोग एक झौआ मिट्टी भी उठाकर दूसरी जगह डालें, नहीं हुआ, लेकिन अगर तालाब तैयार हो जाय तो सिंचाई के लिये सबसे पहले पहुंच जाना चाहेंगे। अब नतीजा उसका यह है कि गांव के जो और किसान हैं वे कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैं क्यों जाऊं इसमें, और श्रमदान की धार कुंठित हो जाती है। वह उस श्रमदान में नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ एक तमाशे की बात श्रमदान की रह गई है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय दुबे जी, कृपया बैठ जाइए। आप कटौती के प्रस्ताव को पढ़ लें। श्रमदान की कोई चर्चा नहीं है। चार-पांच बातें हैं। आप उनको एप्रूव करते हैं या डिसएप्रूव करते हैं और यदि एप्रूव करते हैं तो किस हद तक, इसी पर सीमित रखिये।

श्री उदयशंकर दुबे—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यद्यपि श्रमदान की बात इसमें नहीं थी, लेकिन विकास संबंधी बात की जो चर्चा है इस प्रस्ताव में उस संबंध में कैसा विकास करने का प्रयास है सरकार का और किस तरह से विकास होना चाहिये, उसमें क्या रुकावट है, यह उसमें श्रमदान की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन उसके ऊपर उनका कोई विरोध नहीं है । श्रमदान तो माना है कि ठीक काम है, और किन बातों से विकास हो सकता है ? यह प्रश्न है कि गांव के लिये क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध हों कि विकास हो सके ।

श्री उदयशंकर दुबे—तो मैं मिसाल के तौर पर कह रहा था । अब यह चीज है । मौलिक चीजों पर मंत्री महोदय को विचार करना है कि किस प्रकार हमारी वह पुरानी चीजें कायम रह जायं ? किस तरह से गांव समाज की जो सम्पत्ति है उनकी रक्षा करने में मदद करे ?

एक चीज कही गयी एफ० आई० आर० के संबंध मे । मैं निहायत अदब के साथ यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आज के जैसे कानून, कायदे हैं उनके मुताबिक गांव सभाओं को कोई रुकावट नहीं है कि अगर चौकीदार उनकी मातहती में न दिया जाय, उनके क्षेत्र के भीतर यदि कोई बात हो तो उसकी रिपोर्ट न कर सकें । गांव सभाओं के पास एक चपरासी होता है । वह चपरासी अदालती क्षेत्र भर के भीतर एक होता है । कई गांवों को मिलाकर एक चौकीदार होता है । कम से कम हमारी तरफ ऐसा ही है । यह बात ठीक है बहुत हद तक कि थ.ने वाले बहुधा जुर्मों को छिपाते हैं । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन उसका इलाज अगर चौकीदार को गांव सभा की मातहती में कर दिया जाय तो उससे कुछ बहुत तरक्की हो जाएगी, ऐसी मुझे आशा नहीं है ।

अब पुलिस वालों के संबंध में कहा गया तो जब तक आप कानून नहीं बदलेंगे, जब तक जो सब्सटेन्शियल ला है या आपका जो प्रोसीजरल ला है उसको बदलेंगे नहीं तब तक आप यही उम्मीद करें कि खाली आप की गांव सभाओं के द्वारा रिपोर्ट जाने से बड़ा सुधार हो जायगा, मुझे इस में बड़ा सन्देह है । मैं समझता हूं कि जो मुकदमों के छूटने की आज बात है उस में और वृद्धि हो जायगी । अभी हमारे एक भाई ने जिक्र किया कि गांवों की सुरक्षा और रक्षा के लिये इन गांवसभाओं को हथियार दिये जाने चाहिये, समितियां बनाकर यह गांवसभा होने के नाते वह एक विचारणीय विषय है और इस ओर ध्यान जाना चाहिये कि कोई व्यवस्था ऐसी निकाली जाय कि जिसमें गांवों के अन्दर जैसे प्रान्तीय रक्षादल है, या जैसे गांवों में डिफेन्स सोसाइटियां गांव वाले बना लेते हैं उनको पक्का करके ऐसे आदमियों को रखा जाय जो अपना समय दे सकते हैं । ऐसा करने से गांवसभाओं की बहुत सहायता हो सकती है, गांवसभाओं को सक्रिय बनाने के लिये जब तक आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते तब तक जो मुर्दनी सी उन में छाई हुई है, वह दूर नहीं हो सकती । आज गांव सभाओं के पास पैसा नहीं है, हम ने उन्हें अपने कानून में अधिकार तो जिला बोर्डों जैसे दे दिये, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है किन्हीं-किन्हीं गांवसभाओं के पास पैसा बिलकुल नहीं है, उनको चलाने के लिये पैसा कहां से आये ? जब तक सरकार उनको काम करने के लिये साधन नहीं देगी तबतक उनमें बल और ज्योति नहीं आयेगी । सरकार को इस तरह से अधूरा काम नहीं करना चाहिये, अगर कोई काम करे तो साधन जुटा कर दे दें तभी गांव वाले काम कर सकेंगे, बिना साधनों के कोई काम नहीं हो सकता चाहे कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो । मुझे कमी यही मालूम हो रही है कि सरकार उनको साधन नहीं देती ।

रही पंचायती अदालतों की बात । कहा गया कि ८० प्रतिशत अदालतों में कांग्रेस के आदमी हैं, मुझे इस में बड़ी हैरत हुई । इसी सदन ने कानून बनाया कि पंचायती अदालतों

का ढांचा क्या होगा और छोटे बड़े मुकदमों को तय करने के उनको अधिकार दिये । जिला बोर्ड के चेयरमैन को, हल्के के एम० एल० ए० को वहां के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को साथ लेकर सब काम किया तो फिर वह सवाल कैसे आ सकता है । अब अगर चुनाव में खुशकिस्मती या बदकिस्मती से कांग्रेसमैन ही ज्यादा आयें तो इससे चुनाव की नीति कहां गलत हो गयी ? चुनाव में अगर लोग ज्यादा कांग्रेसमैनों को चुनते हैं तो यह केवल कोसने की बात तो हो सकती है लेकिन उससे कोई अन्तर नीति में हो ही नहीं सकता ।

यह कहा गया कि वहां जज या मुंसिफ ले जाइये और उनके सामने नामिनेशंस हों लेकिन मेरी समझ में ऐसे नामिनेशंस अच्छे नहीं होंगे । ६० फीसदी पंचायती अदालतों के कामों की शिकायतें नहीं हैं अगर हों तो ४० फीसदी की हो सकती हैं । उनमें कुछ सच्ची भी हैं लेकिन सामान्य अदालतों की भांति जो तरीका वहां चलता है, अच्छे-अच्छे वकील जाते हैं और काफी पैसा और तैयारी से लोग मुकदमे लड़ते हैं । तो जो कोर्ट्स में होता है उससे यहां कम ही होता है ।

श्री टीकाराम पुजारी---व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, माननीय सदस्यों के लिये १० मिनट या १५ मिनट निर्धारित कर दीजिये, उतने में ही लोग अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अधिष्ठाता---अभी भाषण हो रहा है । आप बैठें । उसके पश्चात् आप यह प्रश्न उठावें ।

श्री उदयशंकर दुबे---जब हम अपनी अदालतों में भी १६ आने न्याय की बात नहीं पाते तो यह गांव पंचायतों के भीतर भी कुछ प्रतिशत ऐसी दिक्कतें जरूर आती होंगी । जहां ऐसी दिक्कतें हों वहां हमें कोशिश करनी चाहिये कि उनमें ठीक आदमी आवें ।

तो मैं यह समझता हूं कि बजाय इसके कि कटौती का प्रस्ताव लाकर यह कहा जाय कि सब गड़बड़ी है बेहतर यही होता कि जो चीजें अच्छी हों उनको ठीक ढंग से करने के लिये गावों के लोगों में भावना भरते और जो कमी होती उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते और जहां जहां कानूनी रुकावटें पड़ती हैं उन रुकावटों को पीस करके जहां-जहां कमियां होतीं उनको पूरा करते । बनिस्बत इसके कि हम यह कहते हैं कि ढांचा ही गलत है जो सरकार के विभिन्न विभागों में आपस में सौतेलेपन का व्यवहार होता रहता है और जिनकी वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही है उसको दूर कराने का प्रयत्न करते । इन शब्दों के साथ में जो मूल मद है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय टीकाराम जी पुजारी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री टीकाराम पुजारी---मेरा निवेदन है कि प्रत्येक माननीय सदस्य के लिये १० या १५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय नहीं तो श्रीमन्, उसी तरह समय चला जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---आपका सुझाव क्या है ?

श्री टीकाराम पुजारी---मेरा सुझाव है कि १५ मिनट सदस्यों के लिये और नेता तो यहां कोई हैं ही नहीं और अगर कोई हों भी तो उनको तो मिलना ही नहीं चाहिये । सदस्य का ही मान होना चाहिये क्योंकि आज का सदस्य कल का मिनिस्टर और परसों का फिर सदस्य ।

श्री अधिष्ठाता---चेयर के लिये तो सभी सम्मानित सदस्य हैं ।

श्री ऊदल---जैसा कि पुजारी जी ने सुझाव दिया, मैं चाहता हूं कि १५ मिनट सभी के लिये निश्चित कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है कि यह कटमोशन है और कटमोशन पर आप हमेशा देखते हैं कि विरोधी दलों का ही रहता है। सरकारी पक्ष के लोगो को कटमोशन पर बोलना ही नहीं चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---यदि कोई सरकारी सदस्य आपका समर्थन करना चाहें तो ?

श्री राजनारायण---कटमोशन पर बोलने के लिये खड़े होंगे तो समय नष्ट हो जायगा। जवाब तो मंत्री जी देंगे ही। इसलिये पहले सब के कटमोशन मूव होने चाहिये। हम लोगों ने अपने-अपने नाम दे दिये हैं, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भी आपको नाम दे दिये हैं और दूसरे लोगों ने भी दे दिये होंगे। तो पहले कटमोशन आ जाने चाहिये फिर मंत्री जी जवाब दें।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---मैं १५ मिनट के प्रस्ताव का तो समर्थन करता हूं लेकिन यदि कोई वक्ता आपकी आज्ञा से २-४ मिनट ज्यादा बोलना चाहे तो उसको अधिक समय दे दिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---मेरा सुझाव यह है कि आप १५ मिनट का समय निश्चित कर दें।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा, जब कटमोशन इधर से आते हैं तो उन पर सारा समय विरोधी दल को मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये। यहां पर समय निर्धारित करने का प्रश्न है। मेरी राय में १५ मिनट के लिये सदन की सर्वसम्मति है।

माननीय राजनारायण जी, आपकी आपत्ति थी कि पहले वर्षों में कटमोशन्स मूव हो जाते थे लेकिन अब की तो कटमोशन्स भिन्न-भिन्न आशय के हैं।

श्री राजनारायण---अधिष्ठाता महोदय, क्षमा करें, आपके सचिव महोदय हमारे पास आये थे। उन्होंने आपकी सम्मति बतायी कि हम अपने कटमोशन मूव न करवाये और चूंकि गोविन्द नारायण जी के कटमोशन में नीति सम्बन्धी बात आ गयी है इसलिये उस पर सब बोलें। तो यह व्यवस्था तो आपकी तरफ से हो रही है।

श्री अधिष्ठाता---आपका विषय तो बिलकुल इसमें आता है। यदि आपका विषय अलग होता तो दूसरी बात थी।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न दूसरा है, श्रीमन्। जब आपकी ओर से यह बात तय हो गयी कि माननीय गोविन्द नारायण जी ने कटमोशन मूव कर दिया है, अब हमारे सदस्य जो बोलने वाले हैं वे उसी पर बोलेंगे तो हम तो नहीं मूव करेंगे...

श्री अधिष्ठाता---इसमें भिन्न-भिन्न हैं, जैसे पंचायती अदालतों को ५०० रुपये तक की सीमा रखने की बात है। तो ये अलग-अलग पेश होंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आप सब को एक साथ मूव करा दीजिये ताकि जिनको बोलना हो वह बोलें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह से कर गये थे।

श्री राजनारायण---एक दफा यदि ऐसा हो जाता तो सब लोग बोलते चले जायंगे और आप वोट सब पर अलग-अलग ले लें।

श्री अधिष्ठाता---अगर सदन की इच्छा हो तो सभी कटौती के प्रस्ताव एक साथ ले लिये जायं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--माननीय राजनारायण जी ने जो सुझाव दिया था कि सारे कटौती के प्रस्ताव पर लोग बोल लें तो उसी में सारा समय चला जायगा और किसी को समय नहीं मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि यह कटौती के प्रस्ताव एक ही तरह के हैं। इसलिये जब माननीय अध्यक्ष उपस्थित थे तो जैसा कि त्रिलोकी सिंह जी ने गोविन्द नारायण तिवारी जी को आथोराइज कर दिया था कि वह उसको रखें और उसी पर पक्ष और विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है उसी पर बोलना चाहिये। सारे प्रस्ताव जिनके नाम में लगे हुए हैं यदि वह बोलने लगेंगे तो सदन का सारा समय उसी में चला जायगा और सदन का समय बरबाद होगा। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि कटमोशन पर केवल विरोधी पक्ष के लोग ही बोलें।

श्री अधिष्ठाता--इसके लिये तो मैंने आज्ञा नहीं दी। राजनारायण जी का प्रस्ताव यह है कि जो तीनों विषयों पर प्रस्ताव हैं, एक तो पहला है जो पेश हो चुका है, दूसरा राजेन्द्रसिंह जी का है, एक हाथ उठा कर चुनाव होने के सम्बन्ध में है और एक ५०० रुपये तक के दीवानी के अधिकार देने के सम्बन्ध में है। तो राजनारायण जी का प्रस्ताव यह है कि सारे कटौती के प्रस्तावों को एक साथ ले लिया जाय और फिर सदस्य इन पर बोल लें और वोट्स अलग-अलग ले लिये जायं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, आपका सुझाव बिलकुल ठीक है और दो प्रस्ताव मेरे भी हैं, उन सब को शामिल कर लिया जाय और एक साथ ही बहस हो जाय।

श्री अधिष्ठाता--अब इस में एक समस्या यह हो गयी जैसे कि गोविन्द सिंह जी विष्ट ने अभी अपना प्रस्ताव भेजा तो माननीय सदस्य अगर कटौती के प्रस्ताव भेजते जायंगे तो वही लोग कटौती के प्रस्तावों पर बोलते चले जायंगे। दूसरे सदस्यों को समय नहीं मिलेगा। तो जितने प्रस्ताव अभी तक आ चुके हैं उन्हीं के ऊपर दो तीन को इजाजत दे दूं। उन पर लोग बोलते जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि हर एक सदस्य को १५ मिनट मिलेंगे। तो बजाय इसके कि एक ही मोशन पर सीमित रखें.....

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जायं। जैसा प्रस्ताव अभी माननीय विष्ट जी ने भेजा है वैसे ही कटौती के प्रस्ताव अगर माननीय सदस्य भेजते जायंगे तो मैं नहीं लूंगा। दो-तीन प्रस्ताव जो अजेंडे में हैं उनको एक साथ पेश कराये देता हूं, उन्हीं पर विचार कर लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं इसमें जरा स्पष्ट कर दूं। मैंने आज विशेष इजाजत इसके लिये ली थी। आज आते ही मैं मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा और उनसे कहा। उन अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव ही नहीं थे।

श्री राजेन्द्र सिंह--मेरा यह प्रस्ताव है कि सभी कटौती के प्रस्तावों पर आप एक साथ बोलने की आज्ञा दे दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीडयोर के नियम १९० की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें तीन प्रकार के कटौती के प्रस्ताव हैं। अगर तीनों प्रकार में से अलग-अलग बोलने की इजाजत दी जाय तो.....

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये। आपको पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने तय कर दिया था कि जो प्रस्ताव नहीं आये थे वह भी ले लिये जायं। उसको इस सदन ने स्वीकार

[श्री अधिष्ठाता]

कर लिया है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न यह है कि जितने कटौती के प्रस्ताव आ चुके हैं उन्हीं की इजाजत दे दी जाय और उन्हीं पर बहस हो जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

तो ठीक है।

श्री टीका राम (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---

(१) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का स्रोत न होना,

(२) नियोजन के पर्याप्त साधनों की कमी,

(३) भूमि के.....

श्री अधिष्ठाता---कमी करने के उद्देश्य में जो नम्बर ३ हैं मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने सीलिंग फिक्स नहीं की है। इसलिए गांव सभा में प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण---जो डिमार्केशन है, उसके लिए भी है। इस में सब है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय टीकाराम जी, दो को आप पेश कर रहे हैं।

श्री टीकाराम---हदबन्दी तीसरी चीज है। मैं गांव सभा का प्रधान भी हूं। मैंने देखा है गांव सभाओं में। यहां पर मंत्री जी से सुना कि लालटेनें लग गईं, रेडियो सेट, कम्पोस्ट और नालियां यह सब बातें उन्होंने कह डालीं। ठीक है। मंत्री जी कहते हैं तो १ परसेंट उनमें गलत हो सकती हैं, बाकी सब सही ही होंगी। यह ठीक है उनका कहना कि लालटेनें उन्होंने लगवायी हैं। मैंने देखा है लालटेनें लगी हैं। लग तो गईं, टंग तो गईं, लेकिन रोशनी नहीं हुई। सब टूट के गिर गईं। सारा रुपया बर्बाद हुआ लालटेनों पर। रेडियो सेट लगा दिये गांवों में जिसकी कि बड़ी तारीफ की जाती है। लेकिन रेडियो सेट लगा कर बैटरी रख दी गई है। गांव वाला कोई सुनना भी पसन्द नहीं करता। ये सड़कें और नालियां जो बनी हैं वह भी बर्बाद हो चुकी हैं। उसमें भी रुपया बर्बाद हो रहा है।

आगे चलते हैं। अब हमारे सामने गांव सभाओं का रुपया जो वसूल किया जा रहा है, सन् १९५५-५६ में ५६,१४,००० रुपये की आमदनी कर से हुई। सन् १९५६-५७ में ३३,०२,००० रुपये की आमदनी, १९५७-५८ में ७३,४१,००० की आमदनी कर से हुई। लाइसेंसों की फीस ९०,००० रुपया १९५५-५६ में, १९५६-५७ में १,०१,००० रुपया, ५७-५८ में २,६१,००० रुपया। अब ये लाइसेंस किस-किस पर लगाये गए। घोड़ा लादता है उस पर भी लाइसेंस, चूड़ियां बेचता है उस पर भी लाइसेंस, और दो रुपये की दूकान किये बैठा है उस पर भी लाइसेंस। यह हालत लाइसेंसों की है। गांव वाले इन लाइसेंसों और करों से बहुत परेशान हैं। करों का हिसाब सुनिये। कानून है कि मई में एक मीटिंग हो, और नवम्बर में एक मीटिंग हो। खरीफ वाली जनरल मीटिंग की जाय और रबी वाली जनरल मीटिंग की जाय। सन् १९४९ से आज तक मैं गांव सभा का प्रधान हूं। मैंने कभी कुल जिले में यह नहीं देखा कि जनरल मीटिंग में वह कोई कर पास किया गया हो जो कि आज डंडे मार-मार कर वसूल किया जा रहा है। कानूनी तरीके से यह कर नाजायज है और जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। बैल खोल कर ले जा रहे हैं। इस महंगाई और मुसीबत के दिनों में इस तरह से इस कर की वसूली हो रही है और नौ-नौ साल का वसूल किया जा रहा है। लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी और अमीन, ये तीन घूम रहे हैं। उनके लिए आर्डर है कि १०० रुपया बचत योजना में जमा कराओ। कर भी वसल करायें और

१०० रुपया बचत योजना में भी जमा करायें। अगर बचत योजना में नहीं जमा कराते हैं तो बस्ता रख दें। बस्ते रखवाये जा रहे हैं। इस तरह गांव सभाओं की हालत बहुत ही दयनीय हो रही है।

इसके बाद चुनाव प्रणाली का जिक्र किया कि चुनाव प्रणाली बड़ी अच्छी है। हमने देखा, मैं भी बैठा था मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन कांग्रेसी, कलेक्टर कांग्रेसी, यह सब कांग्रेसी मुलाजिम और एक एम० एल० ए० बैठे। अब उसने बाप भी पंचायत का पंच और लड़का भी पंचायत का पंच। मैंने एतराज किया तो सेक्रेटरी साहब ने जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने बगल से एक परचा निकाल कर कलेक्टर साहब को दे दिया। उन्होंने वही वोट दे दिया। उनके तीन वोट हो गये। सब के सब वैसे के वैसे ही हो गये जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब तैयार कर लाये थे। यह हालत हुई चुनाव की। उन्होंने धांधली क्या की--एक पंचायती अदालत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके वह सरपंच चुने गए। उनकी यह हालत कि जिसने उनको वोट नहीं दिया था उससे कहा कि अच्छा रहो। उठाया, १०० रुपये की नालिश कर दी। अब वह भागा-भागा फिरता है। गवाह इकट्ठे किये और डिग्री कर दी उसके ऊपर और वसूल कर लिया। कुछ लोग बीच में पड़ गए तो चलो ५० रुपये की डिग्री का ४० रुपये पर तस्फिया हो गया। तो यह हालत हो रही है अदालती पंचायत के पंच के चुनाव की। और ५०० रुपया तो अभी किया है, उस ५०० से अब क्या हालत होगी?

आगे चल कर यह कहा जाता है कि अर्थाभाव से हम चुनाव नहीं करा सके। यह चुनाव की प्रणाली जो हाथ उठा कर आपने रखी है इसने सैकड़ों घरों को बरबाद कर दिया है। जहां गुंडे आये और ५० लठबन्द खड़े हो गये तो पूछते हैं कि मोहन किसको राय दोगे। रात के ९ बजे वह बाहर निकल कर देखता है कि लाठी बल्लम, भाले लिये हुये लोग खड़े हैं। वह डर कर कहता है कि प्रधान को राय देंगे या जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। अगर वह उनकी मर्जी के मुताबिक राय नहीं देता है तो उसका घर उजड़े और उसका खेत उजड़े। यह हालत वहां पर पंचायतों की हो रही है। मैं यह देखता हूं कि जिसके हाथ में गुंडे और डंडे हैं उसी के हाथ में पंचायतों की व्यवस्था है। मैं अपने गांव के लिये बेकार हूं। मेरा गांव में जाना बन्द है और पंचायत का काम भी बन्द है। जमींदार और लेखपाल आज गांवों में मिले हुये हैं। जहां पर मुद्दत हुये सिवाड़े लगते थे आज भी उसमें उसी तरह से लिखा जा रहा है। वह कह देता है कि असामी का नाम भरा हुआ है। तालाब में जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर असामी का नाम लिखा हुआ है। यह वहां की हालत है।

इन्दराज की हालत यह है कि एक गांव में प्रधान की सलाह पर सब कुछ लिख दिया जाता है। खेत में गेहूं बोया गया है, लेकिन लेखपाल बाजरा लिख देता है। एक जगह तहसीलदार साहब गये। वहां पर लेखपाल से पूछा तो उसने बाजरा बतला दिया लेकिन खेत में गेहूं खड़ा है। वहां पर धान को मटर लिख दिया जाता है। यह हालत अपने गांव की पड़ताल की मैंने देखी है। वह कभी मेरे पास नहीं आता है अपने घर में बैठ कर पड़ताल कर लेता है और कह देता है कि सब कुछ ठीक हो गया। वहां के इन्दराजात की यह हालत है जो लेखपाल करता है।

पंचायतों में छोटे-मोटे मामले पंचायतों के जरिये से तय हो जाते हैं। लेकिन आगे चल कर अगर दाखिल खारिज का कोई मुकदमा नोट हो गया तो उसमें बहुत वक्त लग जाता है। एक मुकदमा दाखिल खारिज का १५ नवम्बर सन् १९५६ को दायर हुआ, आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हो सका है। यह हालत तहसील में दाखिल खारिज की है जिस पर अमल दरामद नहीं हो पाता।.५० रुपये जब तक नीचे के अहलकारों को न दिये जायं तब तक

[श्री टीकाराम]

दाखिल खारिज पर अमल दरामद नहीं होता। आप देखिये कि हजारों मुकदमे आज तहसील में दाखिल खारिज के पड़े हुये हैं। मेरे जिले में ५ तहसीलें हैं। उन पांचों तहसीलों में इन्दराजात की यह हालत है।

मेरा निवेदन यह भी है कि अदालती पंचायतों को सरकार ने अधिकार दिये हैं, लेकिन पहले जनता चुनती थी, अब वहां पर कलेक्टर के हाथ में ताकत आ गई है। सत्ता को सरकार ने केन्द्रित कर लिया है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता के हाथ में ताकत जाय। कहा यह जाता है कि अभी गलती करते हैं बाद को सम्भल जायंगे। यह वोट का कायदा नहीं होना चाहिये। जिस तरह से पहले बैलेट डालने का कायदा था उसको ही आप रखिये और वही तरीका चुनाव का होना चाहिये। आप कलेक्टर के जरिये से क्यों चुनाव करा रहे हैं? मंत्री जी ने अब कहा कि आर्थिक ढांचे में कमी है। पैसा नहीं है इसलिये देहात का चुनाव बैलेट से हम नहीं करा सकते। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि जैसे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव करते हैं वहां म्युनिसिपैलिटी की आबादी ६०, ७० हजार होती है। तो गांव में तो २,०००, २,५०० या ३,००० की आबादी होती है। वहां पर मुहल्ले भी थोड़े ही होते हैं। वहां पर इतनी बन्द जगह रहती है कि आसानी से आप वही चुनाव वहां करा सकते हैं। अगर सरकार कराना चाहे तो वह चुनाव कराना मुश्किल नहीं है। यह पहले तय हो जाय कि इतनी आबादी पर इतने होंगे और इतने मुहल्ले से इतने चुने जायंगे। हर गांव मुहल्ला और हिस्सों में बंटा हुआ है। तो अगर आप कहना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है। जब तक आप चुनाव की प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक ताकतवरों और गुन्डों का बोझ गांव वालों के सर से दूर नहीं होगा, नहीं उतरेगा।

एक बात यह कि गांव सभाओं में मीटिंग होती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी रिपोर्ट मंगवायें कि गांव सभा की कितनी मीटिंगें होती हैं। साल-साल भर हो जाता है, माहवारी मीटिंग होना तो दरकिनार, छमाही मीटिंग तो होना दर किनार, बरसों हो जाते हैं, मीटिंगें नहीं होतीं। चाहे लेखपाल लिख लेते हों लेकिन वहां मीटिंगें नहीं होतीं, बजट भी पास नहीं हो पाता है। जैसा सेक्रेटरी ने लिख दिया वही हो जाता है। उसने एक आना लिख दिया तो एक आना हो जाता है। १८ तारीख को मैं गया था। पहले १४ तारीख को मीटिंग होने वाली थी, स्थगित हो गयी। १८ तारीख को पहुंचा कि मीटिंग होनी है, बजट पास करना है तो वहां कोरम ही नहीं था। सब कुछ लिख-पढ़ कर रख आया और फिर भागा हुआ यहां आया। तो वहां जनता को दिलचस्पी नहीं रही और वह इसलिये कि वह अच्छी तरह समझती है कि इधर पैसा रहा तो सरकार ने ले लिया और फिर यह झाड़ने आयेंगे कि गांव सभा का टैक्स लेकर पिछले ६, ६ साल का दो। तो वह इसको एक बवाल समझते हैं। अगर सरकार गांव की आमदनी का चौथाई हिस्सा गांव सभा को दे विकास के लिये तो भी काम चल सकता है। सरकार को तो तीन भाग हमको देना चाहिये और एक भाग खुद रखना चाहिये। सरकार तो चौथ लेने वाली ही है। तो हम उतने में ही अपना सारा इन्तजाम खुद कर लेंगे। कोई जरूरत हमको थाने की नहीं होगी, दवाखाने की जरूरत भी हमको नहीं होगी। उस तीन हिस्से से हम अपना सारा इन्तजाम कर लेंगे। मेरे गांव की तहसील २०,००० रुपया है, २,००० की आमदनी हमको तालाब से हो सकती है। एक स्कूल और एक अस्पताल हम अपना चला रहे हैं, तो अगर हमको मदद दी जाय तो हम गांव को स्वर्ग बना दें। लेकिन आपने घोड़े पर बैठा तो दिया, लगाम अपने हाथ में रखी। कानून बना दिया, लेकिन उसे चलाते आप हैं। हम तो इत्तला करने वाले थनैत हैं, वैसे प्रधान तो कलेक्टर होता है। इसलिये जब तक यह ऐक्ट रहेगा तब तक गांवों में पंचायतों का राज नहीं चल सकेगा। पंचायतों को अधिकार हो कि अपनी राय से काम कर दें, ऐक्ट को न देखें। लेकिन सरकारी वकील वहां बैठे हैं। वह कहते हैं कि कानून की दफा में आता नहीं, कर कैसे दें? गांव में तो सीधी सादी बात कह दी जाती है। तो जब तक गांव पंचायतों को आप गांव पंचायत ऐक्ट से चलायेंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। पंचायतें चलाने

के लिये गांव के आदमियों से गांव का कानून बनवाइये कि कौन से कानून पर तुम चलना चाहते हो। ऐसा करने से वे चलेंगी। आपके कानून को वह समझते नहीं और न उस पर अमल करते हैं। तो यह सबसे बड़ी चीज है। यही मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १५--गांव सभायें और पंचायतें, लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं। कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--पंचायत टैक्स का अनियन्त्रित ढंग से वसूल करना और अधिक टैक्स लगाना।

अधिष्ठाता महोदय, अधिक टैक्स लगाने के सम्बन्ध में कोई अन्य बात या सुझाव देने से पहले मैं आपके द्वारा मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि उनके टैक्सों ने गांव में क्या स्थिति उत्पन्न कर दी है। गांव में नाई रहता है, उसके छुरे पर टैक्स, कुम्हार रहता है उसके चाक पर टैक्स, तौला रहता है उसके तराजू पर टैक्स, तेली रहता है उसके कोल्हू पर टैक्स, भुर्जी रहता है उसके भाड़ पर टैक्स, धोबी रहता है उसके पाटे पर टैक्स, १० रुपये की पूंजी का छोटा दूकानदार रहता है उसके सामान पर टैक्स या कोई किसान लेस-पोत कर अपना घर बनाता है तब उस पर भी यह कांग्रेस शासन टैक्स लेता है।

अधिष्ठाता महोदय, और सुनिये। गांव में जब प्लानिंग के सरकारी अधिकारी जाते हैं तो किसान से कहते हैं कि पंचायत का टैक्स दे चुके, लेकिन अगर विकास चाहते हो तो श्रद्धा चाहे श्रम के रूप में या रुपये के रूप में दो, इससे तुम्हारी तरक्की होगी। शहरों में बड़े-बड़े नलकूप बने हुये हैं, नालियां बन रही हैं, लेकिन शहरों के निवासियों से श्रद्धे की मांग नहीं की जाती है। अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपको बताया कि देहात में जितने भी कार्य करने वाले हैं उनके प्रत्येक कार्य पर टैक्स लिया जाता है पंचायत राज ऐक्ट के मातहत। एक ही व्यवसाय पर पंचायत अलग टैक्स लेती है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग टैक्स लेता है। अधिष्ठाता महोदय, किसान गरीब है उसे लगान और आबपाशी देनी पड़ती है और यदि खेती से बचे हुये समय में वह अलग से कोई कार्य करता है तो यह शासन दो तरह से टैक्स लेता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते से और पंचायत के रास्ते से। एक ही व्यवसाय पर दो टैक्स नहीं लेने चाहिये लेकिन कांग्रेस शासन एक छोटे व्यवसाय पर दो टैक्स लेती है जब कि शहरों में ऐसा नहीं है। देहात के साथ यह उपेक्षा की जाती है। मैं आपको बताऊं कि टट्टू पर टैक्स, ऊंट पर टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, घोड़े पर टैक्स और घोड़ा गाड़ी दोनों मिला कर घोड़ागाड़ी पर टैक्स। ऐसा अधिष्ठाता महोदय, पंचायत राज ऐक्ट की धारा ३५ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि शासन ने इस तरह पंचायतों को गलत टैक्स बांधने के अधिकार को देकर भूल की और यदि यह भूल न की होती तो ७ साल के टैक्स की वसूली में सरकार जल्दी क्यों न करती।

अधिष्ठाता महोदय, टैक्स लगाने का अधिकार तो दे दिया, फिर माननीय मंत्री जी ने भूल अवश्य स्वीकार की होगी इसीलिये टैक्स वसूल नहीं करवाया। ७ वर्षों से टैक्स की वसूली नहीं हुई, इसे वह समझते होंगे और मानते होंगे कि यह टैक्स गलत है और किसान ७ साल का टैक्स इकट्ठा नहीं दे सकता लेकिन फिर भी उनका आदेश इस तरह का पहुंच जाता है कि टैक्स वसूल किया जाय। ७ वर्षों का टैक्स वसूल करना किसानों के साथ अन्याय है और मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि वे अपने बजट के सम्बन्ध में उत्तर देते हुये घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये ७ वर्षों का टैक्स माफ कर दिया गया और अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिये वह यहां पर विधेयक प्रस्तुत करें।

अधिष्ठाता महोदय, आज गांव सभा और गांव समाज में चुनाव प्रत्यक्ष कराये जाते हैं। गांव सभाओं में जो पक्ष जीत जाता है वह हारे हुए पक्ष के समर्थकों पर अधिक से अधिक टैक्स

[श्री राजेन्द्र सिंह]

लगाता है। माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं। मैंने उनसे परामर्श किया था और उन्होंने यह माना था कि गांव सभाओं के सभापतियों का चुनाव परोक्ष होना चाहिये; लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने इस विचार का हल इस बजट में प्रस्तुत नहीं किया और गांव सभाओं का चुनाव परोक्ष करने के लिये इस अनुदान में कोई व्यवस्था नहीं की।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गांव समाज से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसके बारे में जनसंघ की यह नीति है कि इस तरह के टैक्स को नहीं लेना चाहिये। उसने इसके लिये एक दूसरा तरीका भी प्रस्तुत किया है और वह यह है कि क्योंकि गांव की तरक्की के लिये धन की आवश्यकता है, वह धन कहां से आये। जमींदारी खत्म करने से पहले जो धन जमींदारों के पास बचता था, उस धन का उपयोग सरकार को इसमें करना चाहिये। पहले ऐसा होता था कि जो लगान किसान से लिया जाता था उसका ४० प्रतिशत जमींदार सरकार को देता था, ६० प्रतिशत जमींदार की जेब में जाता था। अब उस रुपये का क्या होता है? निश्चय है कि वह रुपया अब सरकारी खजाने में जाता है। इसलिये आप उस ६० प्रतिशत रुपये को उनको दे दीजिये। अगर आप ६० प्रतिशत को नहीं देते तो ५० प्रतिशत दे दीजिये, १० प्रतिशत रुपया अपने खर्चे के लिये रख लीजिये। ५० प्रतिशत तो लगान माफ कर दीजिये और उस १० प्रतिशत में से ५ प्रतिशत पंचायतों को दे दीजिये और करों के रूप में पंचायतें कोई टैक्स न लगायें। इस तरह से माननीय अधिष्ठाता महोदय, गांवों के विकास के लिये यह निश्चय हो जायगा कि सरकार एक धनराशि देगी और उस धनराशि का व्यय, जैसा कि हम यहां आय-व्ययक पर विवाद करके खर्चा करते हैं, उसी तरह से वहां भी हुआ करेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि प्रधान के चुने जाने के बाद, क्योंकि वह अपने अधिकारों को नहीं जानता है इसलिये, उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आपका प्रस्ताव टैक्स के सम्बन्ध में है, उससे बाहर आप न जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह---अधिष्ठाता महोदय, टैक्स ज्यादा इसीलिये लगता है कि प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते। प्रधान को पढ़े लिखे होने के लिये ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस तरह से उसका तारतम्य है। अब मैं आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि कोई देश ऐसा नहीं है जहां ऐसा कानून हो जो न्याय करता हो और न्याय करने वाले को तनख्वाह न दी जाती हो।

श्री अधिष्ठाता---इससे टैक्स का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह---मैं अभी टैक्स से इसका सम्बन्ध किये देता हूं। मैजिस्ट्रेटों को तनख्वाह मिलती है, जज को मिलती है, हाई कोर्ट के जज को मिलती है, लेकिन आप पंचायत अदालत के पंच को तनख्वाह नहीं देते हैं।

श्री अधिष्ठाता---तनख्वाह से उसका सम्बन्ध जोड़ा नहीं जा सकता। आप टैक्स के औचित्य अनौचित्य पर ही भाषण सीमित रखें। अगर आप के पास कहने को और कुछ नहीं है तो भाषण खत्म कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह---मैं यह कह रहा हूं कि पंच और सरपंच को जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन के लिये उनको अलाउन्स मिलना चाहिये। मैजिस्ट्रेट को तनख्वाह मिलती है और जब उन्हीं बातों को वह पंच या सरपंच तय करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिये वे इतना समय वहां नहीं देते हैं जितना देना चाहिये, इसीलिये न्याय नहीं हो पाता है। इसलिये इसके होने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता---यह आपके प्रस्ताव से मेल नहीं खाता। टैक्स के विषय में अगर कोई अलहदा प्वाइन्ट आपके पास नहीं है तो आप रहने दें।

श्री राजेन्द्र सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पंचायतों ने प्रत्येक व्यापारी पर, प्रत्येक व्यवसाय पर जो टैक्स बांध रखा है, यह गलत है और यह नहीं बंधना चाहिये और ७ वर्ष का टैक्स जो इकट्ठा वसूल हो रहा है वह भी नहीं वसूल किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---वह तो आप कह चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---अच्छा, तो अब मैं आपकी आज्ञा से अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं कि तीन अनुदान एक साथ प्रस्तुत किये गये हैं और विभिन्न मदों पर कटौती के प्रस्ताव पेश हैं, तो जो सदस्य इन तीनों पर बोलना चाहें वे बोल सकते हैं कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---आप सब पर बोल सकते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत अनुदान संख्या १५ में सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---पंचायती अदालतों को ५०० रु० तक के दीवानी के समकक्ष मुकदमों को देखने का अधिकार दिये जाने की शिकायत करना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने ३ अनुदान प्रस्तुत हैं । जो कटौती का प्रस्ताव श्री गोविन्द नारायण तिवारी के नाम से अन्य अनुदानों में पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान बजट के अंश होते हैं ....

श्री अधिष्ठाता---आपने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, केवल उसी पर अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां न्याय पंचायतों की स्थापना का सम्बन्ध है, इसमें जो ५०० रु० तक के दीवानी के मुकदमों को देखने का प्रस्ताव है, उस पर मैं कटौती का प्रस्ताव इसलिये पेश कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि सरकार की नीयत गांव सभाओं को एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में स्थापित करने की है ....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। क्या यह सदन के नियमों के औचित्य में होगा कि एक ही पार्टी के दो-दो संशोधन आवें जिनमें से एक में तो १०० रु० की कटौती का प्रस्ताव हो और दूसरे में १ रु० घटा कर करने का प्रस्ताव हो ?

श्री अधिष्ठाता---मैं आपका प्वाइंट समझ गया। देखना यह है कि माननीय अध्यक्ष जब यहां पर बैठे हुये थे तो शायद उन्होंने उनको पेश करने की अनुमति दे दी । इस वक्त श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी उपस्थित नहीं हैं इसलिये इजाजत इनको देनी पड़ी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक ही पार्टी के सदस्य दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता---हां, वे पेश कर सकते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो न्याय अदालतें देहातों में कायम हैं इनमें ५०० रु० तक के दावे दाखिल किये जा सकते हैं। मैं आपके द्वारा देहात में पंचायती अदालतों की जो हालत है उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में यह कहा कि हमने एक बहुत बड़ा अधिकार गांव की पंचायतों को दे रखा है कि अब वे ५०० रु० तक के मुकदमें

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

अपनी अदालतों में कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह आपने मरी हुई लाश और सड़े हुये मुर्दे को उखाड़ने का काम किया है । आज से पहले जब कांग्रेस ताकत में नहीं थी तो यह कहती थी कि गरीब आदमियों को किसी तरह से जमींदारों के पिंड से छुटाया जाय ताकि वह उनको किसी तरह तंग न कर सकें, और ताकत मे आने के बाद कुछ दिनों तक ऐसा विधान भी रहा, लेकिन वह चीज अब इस नयी व्यवस्था से खत्म हो रही है । मेरा दावा है कि गरीब लोग इससे परेशान किये जायेंगे, उनको दबाया जायगा । मैं अपने क्षेत्र का दौरा करते समय जहां कहीं गया वहां अधिकांश यह शिकायत प्राप्त हुई कि दावा दाखिल करने के बाद कोई रिटेन डाकूमेंट दाखिल करने की जरूरत नहीं है और डिग्री हो जाती है । अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं है । मैं यह समझता हूं कि इसके प्रयोग से तबाही बढ़ रही है, लोग तबाह किये जा रहे हैं । मैं अपने निजी अनुभव पर कह रहा हूं, हमारे यहां का इसी प्रकार का केस है, मैंने बहुत गहराई में पहुंचने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, कोई सबूत उस मुकदमे में है या नहीं तो पता चला कि १०० रुपये का दावा था उसमें न कोई बही, न कोई दस्तावेज था, केवल एक गवाह ने कह दिया कि हां, यह आदमी कर्जा खाता था मेरी जानकारी है । सही बात यह है कि वह आदमी हल चलाता था और इन्हीं कांग्रेसियों के बहकावे में आ कर उसने हल का चलाना छोड़ दिया· · · · ·

श्री अधिष्ठाता--कृपया आप यह बतावें कि ५०० रुपये का अधिकार क्यों न दिया जाय ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं वही कह रहा हूं कि यह जो अधिकार दिया गया है वह केवल इसलिये दिया गया है कि जो लोग पुराने ताल्लुकेदार, साहूकारी का काम करने वाले हैं अगर किसी तरह से उनका रुपया वसूल न हो सके तो फिर इस जरिये से वह वसूल कर लेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि पंचायती अदालतों को इससे बहुत कम का अधिकार दिया जाना चाहिये और वह भी यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि जब तक कोई लिखित सबूत न हो तब तक किसी को दावा दायर करने का हक न हो । एक बात और कहूंगा कि कहीं भी, किसी भी कर्जे के लिये आज के पहले अवधि होती थी । अब इसमें कोई अवधि भी नहीं है । मैं चाहूंगा मंत्री जी इसको स्पष्ट करें । न तो कोई अवधि का ठिकाना है, न सबूत का ठिकाना है · · · · ·

श्री रामस्वरूप यादव--३ साल की व्यवस्था है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उसमें आप ऐसा कर दें कि जिस कर्जे के बारे में कोई लिखित सबूत न हो उसके लिये कोई दावा नहीं करेंगे । अधिष्ठाता महोदय, आज जो लोग गरीब आदमी हैं किसी प्रकार से उनका पिंड जमींदारी टूटने के बाद छूट चुका था, लेकिन अब वह फंसाये जा रहे हैं । तो मैं चाहूंगा कि पुनः इस पर मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार करके अदालतों को थोड़ी सी रकम दें और इसकी भी व्यवस्था कर दें कि वह फैसले के विरुद्ध अपील कर सकें, सबूत दे सकें और इन तमाम चीजों के बाद वह अपने मुकदमें का निर्णय करा सकें ।

इसके साथ ही जो दावे दाखिल किये जाते हैं उसके बाद उसी के साथ यह भी कि अगर आप पंचायत के फैसले के खिलाफ डिग्री का रुपया नहीं देते तो जब तक जमा न करें वह जुर्माने का रुपया १ के अनुपात से बढ़ता जायगा । मैं पूछूंगा इस तरह का विधान और किसी मुल्क में है कि पंचायत के फैसले के खिलाफ अगर आप रुपया दाखिल न करें तो वह बराबर बढ़ता रहे ?

अधिष्ठाता महोदय, किसी के खिलाफ डिग्री दे दी तो वह इतना फोर्स करते हैं कि अगर समय के अन्दर हुक्म को नहीं माना गया, अगर रिवीजन में जाओ तो भी, क्रमशः बढ़ने वाला जुर्माना अदा करने के लिये मजबूर किया जाय । मैं चाहूंगा कि सरकार को इस व्यवस्था को दूर करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सँख्या ३६--नागरिक निर्माण कार्य के लिये सहायक अनुदान-लेखा शीर्षक ५०--

नागरिक निर्माण कार्यों के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । इसका श्रीमन्, कारण है नगरपालिका संबंधी सरकार की नीति की चर्चा । इसके साथ-साथ मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—प्रकीर्ण व्यय—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय । कटौती का कारण है जिला अन्तरिम परिषद् और खास तौर से अल्मोड़ा जिले की अन्तरिम परिषद् की नीति की चर्चा ।

श्रीमन्, सरकार ने सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कराये थे जो १९५२ में दोबारा कराने के लिये ड्यू थे, लेकिन सरकार ने बावजूद इस तरफ के कहने वालों के और जनता की मांग के कोई कोशिश इस बात की नहीं की कि सन् १९५२ में चुनाव कराये जायं । बराबर इस आदरणीय सदन में और बाहर भी इसकी मांग हुई, लेकिन सरकार टालती रही कि हम बहुत बड़ा वृहत् बिल लाने वाले हैं तब चुनाव हो जायगा । लेकिन उसके बाद बावजूद मंत्री जी के आश्वासन के जिला अन्तरिम परिषद् इस तरह से हमारे सिर पर बैठा दी गई कि चुनाव न हो सके । श्रीमन्, उसका कारण साफ था । उसमें जो एक्जीक्यूटिव बनाई उसमें ५ मेम्बर पुरानी एक्जीक्यूटिव के लिये तथा दो और भी मेम्बर उनके ही लिये तथा उसके चेयरमैन को अलग से लिया गया । इस तरह आठ-आठ आदमी पुराने रक्खे गये जिसमें ९० परसेन्ट कांग्रेस मेजोरिटी के थे । तो अपने लोगों को लाने के लिये यह सब बातें की गईं ।

नवम्बर, दिसम्बर में जो पहले बैठक बुलाई गई उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल बिल एजेन्डे पर था, लेकिन जो परिवर्तित एजेन्डा आया उसमें वह गायब हो गया । उसी प्रकार अब की बार के एजेन्डे में यह हमें बताया गया कि अबकी आयेगा, लेकिन अब फिर गायब । सरकार लोकल बाडीज के इलेक्शन को नहीं चाहती । श्रीमन्, आपने देखा होगा कि कार्पोरेशन बिल पास हो गया, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि एलेक्शन हो । हम लोगों की मांग है इस आदरणीय सदन में आपके द्वारा आप हमारे हितों की रक्षा करने वाले हैं, कि माननीय मंत्री जी इस तरह से ढिलाई न करते जायं । अब की जो बिल आने वाला है, जैसा कि कहा गया है, वह बिल जब कभी आयेगा तो सेलेक्ट कमेटी में चला जायेगा । अब तक पता नहीं कहां चला गया ? आयेगा तो सेलेक्ट कमेटी में अप्रैल में भेज दिया जायेगा फिर उस पर बहस होगी । गर्ज यह कि सरकार आज भी नहीं चाहती कि सन् १९५९ में भी जिला परिषदों और कार्पोरेशन्स के चुनाव हो सकें । इसलिये मेरा आरोप है कि जहां पर फौरन जनता के प्रतिनिधि जाने चाहिए, वहां के लिये कानून भी तैयार है लेकिन फिर भी उन्हें डर है कि उनकी पार्टी वहां बहुमत में नहीं आ सकेगी इसलिये चुनावों को टाला जा रहा है । ११ साल हो गये सन् १९४८ से आज तक वहां पर कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, सरकार के क्या, वह कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हैं और जो चाहे सरकार उनसे कराती है । नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर मनमाना काम हो रहा है, फजूलखर्ची हो रही है ।

अल्मोड़े का जिक्र मैंने कटौती के प्रस्ताव में भी किया है, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी नाचीज राय पर भी गौर करेंगे । पिछले साल भी मैंने यह शिकायत मंत्री जी से की थी और आदरणीय सदन में मैंने २६-८-१९५८ को प्रश्न किये थे और २८-२-१९५८ को मैंने मंत्री जी की सेवा में अल्मोड़ा जिला बोर्ड के खिलाफ Specific Allegations दिये थे और उनकी नकल भी भेजी थी । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने उस पर जांच करने की कृपा की, लेकिन हमें आज तक उस जांच का नतीजा नहीं मालूम पड़ा । जब मैंने इसके बारे में सदन में पूछा तो मंत्री जी की तरफ से उनके डिप्टी ने जवाब दिया कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है, लेकिन जब उनसे उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछा तो बताया गया कि उस रिपोर्ट का बताना जनहित में नहीं होगा । पता नहीं उसको बता कर कौन सी देश में आफत आने वाली थी ? क्या अल्मोड़े की जिला बोर्ड की घांधली को बताने से कोई गल्ला चोर बाजार में चला जाता ? उसमें क्या पोशीदा चीज थी ? अगर पहले से बता दिया जाता तो क्या ऐसी कोई बात होती

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

जैसे पुलिस के आने के पहले ही गल्ला चोर बाजार में चला जाता है । मेरी समझ में केवल उनकी पार्टी के जिन लोगों ने गलत काम किये थे उनको बचाने के लिये यह चीज छिपायी गई । मैं आप को बताऊं की एक जीप और ट्रेलर करीब १४,००० रुपये के खरीदा गया, उस पर २५४ रुपया गाड़े का खर्च हुआ, ट्रेलर के रजिस्ट्रेशन पर भी व्यय हुआ, सर्विसिंग पर १२१ रुपया खर्च हुआ, फिर दिसम्बर सन् १९५६ में ९६ रुपया खर्च हुआ, जब कि वह मुश्किल से ६ मास चली थी और फिर रिपेयर में १,०४८ रुपया खर्च हो गया जब कि कोई ऐक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था । उसके बाद फिर इन्सपेक्शन फीस में ६७ रुपया व्यय हो गया, फिर सर्विसिंग में ६९ रुपया व्यय हो गया । उसके बाद फिर अप्रैल सन् १९५८ में सर्विसिंग में २४६ रुपया व्यय हो गया । तमाशा यह है कि अल्मोड़ा में मरम्मत हो सकती थी, उसके बाद रानीखेत में हो सकती थी, फिर काठगोदाम में हो सकती थी, उसके बाद हल्द्वानी में हो सकती थी, फिर बरेली में हो सकती थी, लेकिन मरम्मत के लिये गाड़ी को लखनऊ लाने का बहाना था और उसको एम० एल० ए० साहब को, जो चेयरमैन भी थे यहां विधायक निवास नं० ३ में रखना था इसलिये यह सब किया गया। हर जायज, नाजायज तरीके से रुपया कमाने की कोशिश की गई । अगर मैं उनके इखराजात का और आगे बयान करूं तो सदन के सदस्य बड़ी हैरत में आयेंगे ।

इतना ही नहीं, उस गरीब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को २ १/२ लाख रुपया सरकार ने दिया है लेकिन उसमें रुपया किस तरह से बरबाद होता रहा है उस को मैं एक मिसाल देता हूं । रुई के लिये टेन्डर मांगे गये । रुई की जरूरत थी । ८५ रुपया मन के टेन्डर आये और जब जिसका टेन्डर मंजूर हुआ था उससे रुपया ऐंठने की बात सोची गई तो उससे कहा गया कि ऐसा लिख दो कि ८५ रुपया मन की कीमत वाली रुई ऐवेलेबिल नहीं है, फिर १०० रुपये मन पर मिल सकती है जो ब्रीच आफ कन्ट्रैक्ट (Breach of Contract) करता है उसके खिलाफ sue करना चाहिये था । लेकिन वह नहीं किया गया और ऐसा अजीब और गरीब स्टेप लिया गया और लिखा किसने ? वहां के एक हेड क्लर्क और चेयरमैन दोनों ने मिलकर यह सारी कार्यवाही की और उसमें १,३६८ रुपये का नुकसान हुआ । इस प्रकार सबका सब रुपया बरबाद किया जा रहा है । यह तो अल्मोड़े की बात हुई । झांसी नगरपालिका की बात सुनिये ।

श्री अधिष्ठाता---आपने तो अल्मोड़ा नगरपालिका के लिये अनुदान में कटौती रखी है अब झांसी की बात आप नहीं कह सकते ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैंने नगरपालिका में सुधारों की बात रखी है वहां भी एक ऐसे आदमी को जो २,००० की आबादी में तो मेम्बर होकर नहीं आसका लेकिन उसको १ १/२ लाख की आबादी के ऊपर चेयरमैन बना दिया गया । नतीजा यह हुआ है कि वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है । एक जीप वहां ७,१०० रुपया में बिलकुल कन्डम हुई खरीदी गई जिसे बेचने वाले ने सरकारी नीलाम में २,७०० रुपया में खरीदा था । इस जीप के बारे में जब शोर हुआ तो इसका एक फर्जिया ऐक्सीडेंट दिखाया गया और करीब १५,००० रुपया इस पर खर्च होना बताया जाता है । वहां के चेयरमैन के खिलाफ घूसखोरी, भ्रष्टाचार के बाबत एक पुस्तिका कल सभी माननीय सदस्यों व मंत्रियों के पास भेजी गई है । मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन गम्भीर मामलों की जांच हो तथा अल्मोड़ा अन्तरिम परिषद् व झांसी नगरपालिका के कर्त्तव्यच्युत लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आप फिर झांसी की बात कह रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---तो नगरपालिकाओं को मदद नहीं दी जा रही है । आपके विभाग में आज कैसे हुक्म हो रहे हैं । कर्मचारियों के पदोन्नति आदि के दो-दो बार डेसीशन्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर न मालूम किस कानून से उस आर्डर को सेट एसाईड करने के लिये अर्जियां समाप्त की जाती हैं । पता नहीं चलता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है ? मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यह शब्द नहीं कह रहा हूं लेकिन आज सचिवालय में न्याय व सिद्धान्तों की हत्या की जा रही है । इसलिये मैं यह कह रहा हूं ।

श्री सुरथ बहादुर शाह--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वक्ताओं की संख्या अधिक होने से अब १० मिनट का समय रखा जाय ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--श्रीमान् मैं भी यही चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि १० मिनट का समय अब रहेगा ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं । हमारे प्रदेश में पंचायतों का श्रीगणेश १५ अगस्त, १९४९ को हुआ था और वे विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थापित की गयी थीं । इसमें संदेह नहीं है कि एक नया अनुभव था और ऐसी जनता के बीच में ऐसी संस्था को स्थापित करना कठिन काम था । यह पंचायत हमारे शासन की इकाई और प्रजातंत्र की बुनियाद है, वैसे यह कोई नया अनुभव तो नहीं है । प्राचीन काल में भी हमारे यहां इसी प्रकार की पंचायतें थीं और हमारे देश का शासन इन्हीं पंचायतों द्वारा चलता था । इन संस्थाओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है । हिन्दू शासन काल में और उसके बाद मुस्लिम शासन काल तक ये कायम रहीं, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सामन्तशाही के कदम यहां आये । ये संस्थायें उस सामन्तशाही का मुकाबला न कर सकीं और समाप्त हो गयीं । फिर भी उस शासन को भी मजबूर होकर सन् १९२० में एक प्रकार की पंचायतों की स्थापना करनी पड़ी थी, लेकिन वह तो महज एक खिलवाड़ थीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था । जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो प्रजातंत्र को कायम करने के लिये विकेन्द्रीकरण के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि हमारे प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की जाय । हमारे संविधान में भी इनको स्थान मिला और जैसा कि मैंने अभी कहा, १५ अगस्त, १९४९ को हमारे सारे प्रदेश में गांव पंचायतों की स्थापना की गयी । सही है कि काफी सुझाव दिये गये और काफी आलोचना पंचायतों के बारे में की गयी, लेकिन अगर वास्तव में देहात में जाकर देखा जाय और उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाय जिनके अन्तर्गत इनकी स्थापना की गयी और सत्ता-विकेन्द्रीकरण के आधार पर इनको शक्ति सौंपी गयी, तो इसमें भी दो रायें नहीं कि शिक्षा के अभाव और सदियों की दासता के असर के कारण काफी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आयीं, लेकिन एक प्रकार से यदि इन पंचायतों की कार्य शैली का अध्ययन किया जाय तो हम किसी प्रकार हतोत्साह नहीं होंगे ।

किसी भी प्रजातांत्रिक ढांचे को स्थापित करके उसको सफल बनाने में जो भी कठिनाइयां होती हैं वे सारी कठिनाइयां यहां हैं । जब तक हम जनता का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक ढांचे में न ढाल दें और जब तक हम शासन के अधिकारियों का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक ढांचे में न ढाल दें तब तक प्रजातांत्रिक प्रणाली का सफल होना जरा मुश्किल होता है । फिर भी उन्होंने जो कार्य किया है, मैं सन् १९४९ की बात कहता हूं जब कि बिला किसी अनुदान के कितनी सड़कें उन्होंने बनायीं, कितने पुल पुलियां बनायीं, वह सराहनीय था । आज तो नियोजन के अन्तर्गत उनको काफी सहायता मिल रही है २/३ और १/३ के आधार पर या आधे-आधे के आधार पर । रोम भी एक दिन में नहीं बना था । थोड़े से समय में हमको उन अनसोफिस्टीकेटेड मासेज को प्रजातांत्रिक कार्य शैली का अध्ययन कराना है । हमारे यहां सम्मेलन भी बराबर होते हैं । ये सम्मेलन अदालतों के स्तर पर और उसके बाद ब्लाक, फिर जिला और फिर प्रादेशिक स्तर पर बराबर होते आये हैं । इन सम्मेलनों का आयोजन करने का तात्पर्य केवल यही है कि हम बराबर उनको धीरे-धीरे पंचायत राज का कार्य सम्हालने की शिक्षा देते जायं । अभी हमारे एक भाई

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

में पंचायत अदालत के बारे में कुछ जिक्र किया कि क्यों ५०० रुपये का अधिकार उनको दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज हमारी अदालतें हैं, जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, उनकी आज से १०० साल पहले क्या यही हालत थी ? जरा तवारीख उठा कर देखें। किस तरह से न्याय हुआ करता था। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इजलास से एक बहुत बड़े जूरिस्ट ने बताया था कि क्या तरीका था। उसके अध्ययन करने से आपको मालूम होगा कि हमारी न्याय पंचायतें जो कल की पैदावार हैं, उन्होंने जो फैसले किये हैं और जो कार्य उन्होंने किया है हम तो उसकी सराहना करेंगे, यह सही है कि कहीं-कहीं हमारी इन पंचायतों ने गलती की हो, उनसे कुछ बेवकूफी के कार्य हो गये हों, लेकिन धीरे-धीरे वह सीख रहे हैं और ज्यों-ज्यों सीखते जाते हैं और ज्यों-ज्यों उनके पैर मजबूत होते जायेंगे उनसे यथोचित न्याय मिलता रहेगा।

श्रीमन्, यह सही है कि अभी उनमें इतनी शिक्षा नहीं है लेकिन उनका आधार आज की इन अदालतों से मुख्तलिफ है। इसके फैसले का आधार अदालतों के फैसले के आधार से मुख्तलिफ है। न्याय पंचायत जिस क्षेत्र की होती है वह वहां के हालात से वाकिफ होती है और उनको एक तरह से नेचरल जस्टिस करना होता है। कहीं वह गलती न कर जायं इसके लिये कुछ नियम बना दिये गये हैं। यदि वह रास्ता भूल जायं तो उनकी मदद से अपना रास्ता ठीक कर लें अन्यथा उनका न्याय तो बहुत कुछ नेचुरल जस्टिस पर निर्धारित होता है। लेकिन हमारे यहां की अदालतों का फैसला ऐसा है कि जो अच्छा वकील रख लेता है वह जीत जाता है। यह उसी तरह से है जैसे पहले लोग मंदिर और मस्जिदों में बैठकर न्याय करते थे। वह गांव के नुमाइंदे हैं, उनको पूरी वाकफियत है, कहीं दबाव डालकर तो अगूंठा नहीं लगा लिया गया है इसकी उनको जानकारी रहती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो अधिकार उनको दिये गये हैं, वह उचित है बल्कि उनको और अधिकार दिये जाने चाहिये।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री महोदय का इधर ध्यान आकर्षित कर दूं कि मैंने बार-बार मांग की है कि एक हाई पावर कमेटी बिठाकर पंचायत राज ऐक्ट के वर्किंग की जांच की जाय और चूंकि एलेक्शन नजदीक आने वाले हैं तो ऐसी हालत में हम पंचायतराज ऐक्ट में क्या संशोधन ला सकते हैं जिससे हमारी पंचायतें दिनों दिन मजबूत बनें इसको देखा जाय। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री भूप किशोर (जिला एटा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो पंचायतों के चुनाव की प्रणाली है यह दूषित है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि गांव-गांव में इसके कारण पार्टीबन्दियां हो गई हैं और जनता में वैमनस्य फैल गया है, कत्ल होते हैं और रोजमर्रा लूट मार होती है। गांव पंचायतों का चुनाव बैलट बक्स द्वारा होना चाहिये और तादाद मुकर्रर होना चाहिये कि इतने वोट्स पर एक पंच चुना जायगा। इससे पार्टीबंदी कम हो जायगी, और हर तरह के लोग पहुंच सकेंगे। अल्प मत में होने के कारण और चुनाव हाथ उठाकर होने से बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिये इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, गांव पंचायतें बहुत सी ऐसी हैं जो किसी टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी या नोटीफ इड एरिया के मवाजात में आती हैं। उन गांव पंचायतों के ग्राम समाज के अधिकार टाउन एरिया या नोटीफ इड एरिया को दे दिये गये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। जब गांव पंचायत बन गया, उस गांव के नाम से बनी, तो भूमि प्रबन्धक समिति उस गांव सभा की होनी चाहिये। ऐसा न करने से गांव सभा की हकतल्फी होती है और टाउन एरिया और नोटीफ इड एरिया उन पर अपना प्रभुत्व जमाती है। मैं यह भी मांग करता हूं कि गांव पंचायतों को लगान की वसूली का अधिकार दिया जाना चाहिये। लगान की वसूली के साथ-साथ गांव पंचायतों को यह भी अधिकार हो कि जो कर लगाया जाता है पंचायत द्वारा यह भी लगान के साथ ही वसूल कर लिया जाया करे तो इसमें बड़ी आसानी होगी। जो गांव पंचायतों द्वारा लगान वसूल हो उसमें से गवर्नमेंट

को केवल २० प्रतिशत मिलना चाहिए। ८० प्रतिशत उस पंचायत को दिया जाना चाहिये जिससे वह गांव की बहबूदी से उस रुपये को लगा सकें और गांव की व्यवस्था ठीक हो सके। गांव पंचायत की खतौनी और खसरा का काम लेखपाल के जिम्मे नहीं होना चाहिये बल्कि गांव पंचायत के जिम्मे होना चाहिये क्योंकि लेखपाल एक जगह बैठ कर गलत-सलत इंदराज कर देते हैं। उनके ऊपर गलत इंदराजों के मुकदमे भी चले हैं और हमारे जिले में कई लेखपालों को गलत इन्दराज करने में सजा भी हो गयी है। वह एक जगह बैठ कर गलत जिसवार करते हैं। इसलिये बहुत जरूरी है कि इन्दराज करने का सारा अधिकार गांव पंचायत को हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम यह तो कर ही देना चाहिये कि खसरा या खतौनी असल की नकल गांव पंचायत में हर समय मौजूद रहनी चाहिए कि जिससे यह देखा जा सके कि इंदराज गलत तो नहीं है। उसको दुरुस्त कराया जा सके।

इसके अलावा जिन गांवों की खतौनी अलग है, जिनकी अलग गांव पंचायत है, उसको अलग मौजा करार दे दिया जाय। जैसे कसवार राजारामपुर है। उसकी पंचायत अलग है, उसकी खतौनी अलग है, नाम अलग है, फिर उसको टाउन एरिया में क्यों शामिल किया जाता है? उसका नाम अलग रख देना चाहिये। जिन गांवों की आबादी ५०० है उन सभी गांवों में पंचायत होनी चाहिये। होता यह है कि बड़े गांव वाले बहुमत के आधार पर चुन कर आ जाते हैं और अपने ही गांव को सहायता देते हैं, खड़ंजे और नालियां वगैरह अपने ही ग्राम में बनवाते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि हर गांव जिसकी आबादी ५०० हो वहां गांव पंचायत हो। अगर आबादी कम हो तो दो-दो मौजों को इकठ्ठा करके अलग पंचायत बना देनी चाहिए। उसको लगान वसूल करने का अधिकार हो जिससे गांव की बहबूदी के लिये रुपया मिल जाया करे। श्रीमन्, गांव सभाओं का चुनाव इस आधार पर होना चाहिये कि गांवों में बैलट बक्स से वोट लिये जायं। जितनी पंचायतें छोटी-छोटी हैं वह सब एक में मिला दी जायं। एक गांव सभा उनकी हो और छोटी-छोटी पंचायतें उनकी बन जायं, उनमें भी उसे काम करने का अधिकार हो खास-खास पदों पर। अगर यह गांव सभायें उन गांवों को शामिल करके नहीं बनाई जायंगी तो बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे सड़क निकलनी है एक गांव से दूसरे गांव तक तो वह एक छोटा गांव नहीं कर पायेगा। इसलिये ऐसी छोटी-छोटी बातों में उस गांव सभा को अधिकार हो और एक साथ उन सब गांवों की एक गांव सभा हो। गांव पंचायतों का जो सभापति हो वह प्रधान कहलायेगा और चार पांच गांव पंचायतों को मिला कर के जो प्रधान चुना जाय उसका नाम गांव सभापति होगा।

श्रीमन्, जो स्कीमें सरकार के द्वारा सिंचाई की चलाई जाती हैं वह इसलिये नाकामयाब हो जाती हैं कि सरकार उसमें वाकफियत नहीं रखती है। वाकई में स्थिति यह है कि जो मिनिस्टर्स हैं वह शहरों के हैं। देहातों से उनका कम सम्पर्क है। गांव पंचायतों को सिंचाई के साधनों के लिये जिम्मेदारी देनी चाहिये। ट्यूबवेल जो बनाये गये हैं गांवों में उनसे पानी मिलने में सुविधा नहीं होती है और पूरे एरिया में सिंचाई नहीं हो पाती है। श्रीमन्, एक ट्यूबवेल में ६०,००० रुपया खर्च होता है; इन ६०,००० रुपयों से ६० कुएं बनाये जा सकते हैं और उन पर रहट रखा जा सकता है। एक रहट से एक दिन में ६ बीघे की सिंचाई होती है। तो इस हिसाब से ६०,००० रुपये से जो कुएं बनाये जायेंगे उनसे एक दिन में ६०० बीघे की सिंचाई हो जायगी। कोई ट्यूबवेल एक दिन में ६०० बीघे की सिंचाई नहीं कर सकता। इसलिये गांव में जो कुएं बनायें जायं और रहट लगवाया जाय वह गांव पंचायत के द्वारा लगवाया जाये और उसके लिये वह रुपया कर्ज के रूप में गांव पंचायत को ही दिया जाय। उन रुपयों से ऐसे क्षेत्रों में कुएं बनायें जायं जहां आबपाशी का जरिया न हो जिससे कि आसपास के सब खेतों की सिंचाई हो सके।

[श्री भूपकिशोर]

श्रीमन्, हर गांव में आठवें कक्षा तक का स्कूल होना अनिवार्य है क्योंकि आठवें तक की फीस सरकार माफ करने जा रही है। अगर आठवें तक का स्कूल प्रत्येक गांव में नहीं होगा तो ग्रामों को कोई फायदा उस स्कीम से नहीं होगा।

श्रीमन्, इन पंचायतों का जो संगठन है वह जिले तक होना चाहिये और गांव पंचायतों के अधिकार पंचायत क्षेत्र में उतने ही बढ़ा दिये जाने चाहिये जितने कि हमारी इस यू० पी० सरकार के हैं।

श्रीमन्, न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव सीधे पब्लिक द्वारा ही होना चाहिये क्योंकि कलेक्टर वगैरह जब नामजद करते हैं तो उनके ऊपर ऐसा भूत सवार रहता है कि वह पक्षपात करते हैं। अगर पब्लिक से चुने हुए आदमी रहेंगे तो हमेशा जनता का ख्याल रखेंगे और न्याय करेंगे।

न्याय पंचायतों के फैसलों की जो अपीलें होती हैं या रिवीजन होता है वह वहीं अदालत पंचायत के सरपंच के यहां किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों . . .

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन् मैं काफी उठक-बैठक कर चुका हूं। कुछ बुड्ढों का भी खयाल कीजिए।

श्री अधिष्ठाता---आपको भी समय मिलेगा।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव की पद्धति की ओर ले जाना चाहता हूं। यह बहुत ही दोषपूर्ण और बर्बरतापूर्ण है। दरिद्रों के ऊपर तो यह एक आपत्ति है। हाथ उठाकर के जो यहां चुनाव पद्धति की बात की जाती है उसके कारण से वह इतना संकटपूर्ण होता है कि अगले वर्षों तक उसके ऊपर एक विपत्ति सी आ जाती है। अब वह समय आ गया है कि हमको खोजकर के कोई दूसरी पद्धति इसके लिये रखनी चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव पंचायतों को वाजिबुल अर्ज जिसको कहते हैं यह लिखना चाहिए। इसके न लिखने के कारण ऐसी बात होती है कि कोई कस्टम होता है तो सारी चीजें हरिजनों और दरिद्रों के सिर पर आकर पड़ती हैं। सारी आपत्ति उन पर ही आती है। किसी तालाब में किसी ने मिट्टी ले ली, या और कहीं मछली थोड़ी ले ली और उस गांव में प्रचलित रहे बात तो उसकी रिपोर्ट होती है। न्याय के सामने कुछ गवाही इधर से गुजरती है और कुछ उधर से गुजरती है, कोई भी दंडित हो जाता है। यदि न्याय पंचायत के अन्तर्गत ऐसी बात हो, कस्टम्स लिखा रहे कि अमुक तालाब की यह स्थिति है और अमुक का फल सब खाते थे या खाते हैं इत्यादि लिखा रहे तो फिर यह गरीबों के लिये और धनहीनों के लिये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। गांवों में आज इतनी अशान्ति रहती है कि गांव का सारा नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त है।

गांव पंचायतों का जहां तक आदर्श रूप हम लेते हैं वह आदर्श तो बहुत बड़ा है लेकिन जहां तक उसको हम कार्य रूप में देखते हैं वह नो मैन्स लैन्ड हो गयी है। इतनी अनार्की वहां पर हो गई है कि इन गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों में एक कन्फ्यूजन हो गया है। हमारे सामने एक पक्ष होता है। उसके मुआफिक अगर किसी का निर्णय हो गया तो न्याय पंचायत ने अपना निर्णय तो दिया लेकिन उस न्याय के अन्तराल में एक बड़ी ज्वाला धधकती दिखाई देती है। गांवों में इन न्याय पंचायतों की बहुत दोषपूर्ण बातें हैं। ग्राम सभा के सभापति ही उसके सभापति होते हैं। उनका ध्यान उधर नहीं जाता। गांव के सभापति को कभी

फरीक नहीं बनाया जाता। अदालत दीवानी में निगरानी पेपर के सिलसिले में गांव समाज की जो सम्पत्ति है, उस संबंध में दूसरा नाम चला जाता है। उस पर अमलदरामद भी हो जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी यह कहते होंगे कि यह माल विभाग से संबंधित है लेकिन बात ऐसी नहीं है। दोनों से इसका संबंध है। यह गांव के सभापति के ऊपर उत्तरदायित्व आता है। गांव सभा में यहां के विधान सभा के सदस्यों के हाथ भी काले किये जाते हैं। यह नहीं होना चाहिये। इससे बहुत बड़ा संकट आता है। बड़ी नेकनीयती के साथ विधान सभा के सदस्य सारी जानकारी के लिये लिख देते हैं। उससे प्रतिहिन्सा बढ़ती है। एक विधायक को वह सहना पड़ता है। हमारी सरकार चाहती है और इस सदन के सदस्य चाहते हैं कि कोई ऐसी पद्धति निकाली जाय जिससे न्याय पंचायतों के चुनाव में हमारे विधायकों को न जाना पड़े और इनको अपनी इच्छा से न चुनना पड़े। मैं समझता हूं इन विधायकों को यह करना पड़ता है। पहले सारा काम उस पद्धति से हो जाता था और उसमें कोई रहस्य या गोपनीयता भी नहीं रहती थी। हमें उसके लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिये जैसा कि इस सदन में पहले प्रयत्न किया जा चुका है। यह वहां की बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है। चुनाव में बड़ी कठिनाई व्यय के संबंध में भी आती है। इस कारण हमें कोई ऐसी चुनाव की पद्धति लाना चाहिये जिससे यह दोष दूर हो जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारी गांव पंचायतों को एक रिकार्ड रखना चाहिये। गांव पंचायत के अन्तर्गत जो सम्पत्ति है गांव सभा की, जैसा कि गांव की कोई बाडी है, कोई कानून है और कितने ऐसे कार्य हुए या कितनी अवधि तक खेत की जरूरत है या किसको खेत दिया है वह सारी की सारी गांव की सम्पत्ति हो जाती है। इसलिये मैं आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा २१०, २११ और २०९ जमींदारी अबालिशन की जो है उसका बहुत दुरुपयोग होता है उसके ऊपर अंकुश न्याय पंचायत रख सकती है। कुछ भाग गांव पंचायत के ऊपर आ जाता है। इसके आदर्श में मूल बातें रखी गई है। गांव की बातों को दृष्टि में रखते हुए गांव समाज को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि गांव समाज सर्वथा मालिक हो जाय। वह अपने स्वार्थवश दुरुपयोग करता है। उस दोष को दूर करने में हमारी गांव पंचायतें बहुत दूर तक काम कर सकती हैं। बस यही मेरा निवेदन था।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि अब हर एक को ५, ५ मिनट का समय दिया जाय। ऐसा करने से दो, चार सदस्य बोल सकेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल ३ मिनट ही लूंगा और इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। हमें बड़ी आशा थी स्वतंत्र होने पर कि ग्रामों में १५ अगस्त को पंचायतें बनेगीं और राज्य लक्ष्मी गांव पंचायतों को मिलेगी। जब देश में आजादी आयेगी तो वह सबसे पहले झोपड़ियों में आयेगी इसकी हम उम्मीद करते थे, वह किसानों के पास आयेगी, यह आशा थी। लेकिन श्रीमन्, वह पहुंची कहां? वह पहुंची दिल्ली में, राज्य लक्ष्मी पहुंची लोक सभा में, राज्य लक्ष्मी पहुंची कोठियों में, राज्य लक्ष्मी पहुंची टाटा-बिरला के यहां, बेचारा गरीब निहत्था ही रह गया। उसके हाथ कुछ नहीं पड़ा। फिर गांव पंचायतें कैसे चल सकती हैं? मैं आज आपके द्वारा अर्ज करूंगा विचित्रनारायण शर्मा जी से और अपने साथियों से कि चार नम्बर हैं आपके देश में--गांव, जिला, प्रान्त और दिल्ली। उनमें से पहला नम्बर आप किस का रखना चाहते हैं, गांव का या दिल्ली का? दो में से आप किसी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर दिल्ली को मानेंगे तो गांव सबसे निचली मंजिल पर आयेगा और उसी पर यह चार मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है। उसी गांव पर यह तीन मंजिलों का मकान, चौखम्भा बनेगा और जब नींव पक्की होगी, पुख्ता होगी तो मकान भी मजबूत होगा। अगर

[श्री टीकाराम पुजारी]

नींव कमजोर हुई तो मकान ढह जायेगा, टिकेगा नहीं। गांव पंचायतें अगर ठीक रहेंगी तो जिला पंचायत, प्रान्त पंचायत और केन्द्र पंचायत सभी ठीक रहेंगी, लोक सभा भी ठीक रहेगी और अगर गांव पंचायत कमजोर रही तो तीनों दीवारें ढह जायंगी, न यह रहेगी और न वह रहेंगी।

मैं कहूंगा कि राज्य लक्ष्मी गांवों को नहीं मिली। ८० फीसदी किसान मजदूर आज जानता है कि उसको राज्य लक्ष्मी नहीं मिली। उसका बंटवारा गांव में होना चाहिये था। जो टैक्स सरकार लेती है लगान के रूप में, आबपाशी के रूप में, मालगुजारी के रूप में, टैक्स के रूप में उसका चौथाई हिस्सा गांव समाज को मिलना चाहिये ताकि वहां सड़कें बनें, नहरों का निर्माण हो और दूसरे विकास के काम हों। ऐसा नहीं होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गांव पंचायत में आपने कोई चीज बनायी हो। किसी को हमारे यहां देहात में गाली दी जाती है तो कहा जाता है कि तेरा चबूतरा बने। मतलब तेरा बुरा हो से है। मैं शर्मा जी से कहूंगा और वे मेरे इस सुझाव को लिख लें कि गांव में यह गाली है और ऐसा अन्याय सतयुग से नहीं हुआ आज तक, आपने गांधी जी का चबूतरा बना दिया। तो हम किसान मजदूरों का आप क्या भला कर सकते हैं? आप गांधी जी के नाम पर कोई धर्मशाला बनवाइये, कोई मंदिर बनवाइये तो ठीक भी हो और इस चबूतरे के नाम को तो निकाल ही दीजिये, यह मेरा सुझाव है। आमदनी का एक-चौथाई हिस्सा गांव समाज को मिलना चाहिये।

श्रीमन्, जिले का भी प्रधान होता है चेयरमैन और दिल्ली का भी प्रधान होता है, किसी को १,०००, किसी को १,५०० किसी को २,००० और दूसरे को ५,००० तनख्वाह मिलती है, परन्तु गांव वालों को कुछ नहीं मिलता, एक इतना गरीब है और दूसरा इतना मालदार। कैसा यह प्रजातन्त्र है? श्रीमन्, यह जो चुनाव होते हैं गांव में वे हाथ उठा कर नहीं होने चाहिये और टैक्स रद्द होने चाहिये, बिलकुल नहीं लगना चाहिये। सरकार पर जो मालगुजारी आती है उसी में एक हिस्सा ग्राम पंचायत और जिला बोर्ड को देना चाहिये, तभी गांव निर्माण हो सकते हैं। और हाथ उठा कर चुनाव तो होना ही नहीं चाहिये। एक को मिले २५० वोट और एक को मिलें १५० वोट लेकिन २५० वोट वाला हार गया और १५० वोट वाला जीत गया। क्या इस तरह से आप आजादी लायेंगे? आज हिन्दुस्तान में ६५-७० फीसदी आदमी पुश्तैनी गुलाम हैं। आज देहली में, प्रान्त में, जिलों में और ग्राम पंचायतों में पुश्तैनी गुलामों का कब्जा है। पुश्तैनी गुलाम हैं कौन यह भी मैं बतला दूं। सन् १९३० में नमक सत्याग्रह में मैं अपने तीन साथियों के साथ जेल में था। हम लोगों ने न काठ के टिकट लगाये न परेड पर खड़े हुए जिसके कारण १५-१५ दिन की तनहाई जिसे काल कोठरी कहते हैं की सजा मिली। जिन नवाब छतारी की गवर्नरी में हम लोगों को अंग्रेजी जमाने में सजा मिली थी उन्हीं को हमने २२-२-५९ को लखनऊ में चाय पीते देखा था। ये ही पुश्तैनी गुलाम हैं जिनका सरकार पर नीचे से ऊपर तक कब्जा है।

तो श्रीमन्, जब तक इन पुश्तैनी गुलामों को निकाल कर नहीं फेंका जायगा तब तक इन देहातों को आजादी नहीं मिल सकती है और न देश को मिल सकती है, न किसान राज बन सकता है, न मजदूर राज बन सकता है।

*श्री गरीब दास (जिला जालौन)---अधिष्ठाता महोदय, आज मैं श्री गोविन्द नारायण तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रजातंत्र में और मुख्यतः हमारे भारतवर्ष में ग्राम पंचायतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह बात निर्विवाद है। और इसके चुनाव में यदि कोई गल्तियां हैं तो यह भी निर्विवाद है कि पूरे देश का ढांचा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्बल है। सर्वप्रथम मैं, इस चुनाव की जो पद्धति है, उसमें जो खामियां हैं उन्हें रखना चाहता हूं। गांव पंचायतों के चुनाव में एक विचित्र पद्धति है जो कि राज्यसभा, असेम्बली या विधान परिषद् के चुनाव में नहीं है, बल्कि इनमें गुप्त मतदान होता है, लेकिन गांव में जहां निरक्षर जनता होती है और जिनमें प्रजातंत्र की भावना या प्रजातंत्र के नियम अच्छी तरह जागरुक नहीं हैं उनका खुला चुनाव होता है। उनके यहां यह चुनाव एक विकराल रूप धारण कर सकता है और फूट पैदा हो सकती है। फिर भी हाथ उठाकर मतदान सब से पहली और सब से छोटी इकाई में ही क्यों रखा गया? इससे संगठन की जगह फूट पैदा होती है। चुनाव के दूसरे ही दिन पार्टियां बनने लगती हैं और खेत कटने लगते हैं। यह चुनाव पद्धति समाप्त कर के गुप्त रूप से मतदान होना चाहिये।

गांव सभा के बाद चुनाव होता है न्याय पंचायत का। न्याय पंचायत में वे सदस्य, जो गांव सभा के लिये चुने जाते हैं उन्हीं में से पंच बनाये जाते हैं। लेकिन उनको कलेक्टर के द्वारा चुना जाता है। जनता से न चुने जा कर गवर्नमेंट से चुनने की बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि जनता अपने गांव के आदमियों को अच्छी तरह जानती है कि कौन व्यक्ति हमें न्याय देने के लिये उपयुक्त होगा। अलावा इसके, न्याय पंचायत में शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन नहीं रखा गया है जो कि सरकार के प्रत्येक अंग में है। यह ऐसी खामी है जो राष्ट्र के किसी भी अंग में नहीं है। इसके बाद ग्राम समाज वही गांव पंचायत का दूसरा रूप है जो वहां की माल की दिशा में पूरा-पूरा हाथ रखता है और उसका सेक्रेटरी होता है लेखपाल। दूसरे, गांव पंचायत का सेक्रेटरी होता है पंचायती अदालत में रहनेवाला। जैसे देशी रियासतों में रेजीडेंट हुआ करता था और वह अंग्रेजों को वहां की सब खबर दिया करता था, इसी तरह से गांव का सेक्रेटरी वही काम करता है और गांव के सुधार में उसका हाथ बहुत कम रहता है। जैसे बंगाल में नवाब की और अंग्रेजों की कम्पनी की, दोनों की हुकूमत थी उसी तरह लेखपाल और मंत्री का शासन होता है और सभापति की आफत आ जाती है। इसलिये एक ही मंत्री होना चाहिये। अगर लेखपाल भी मंत्री है तो वह एक गांव का होना चाहिये, न कि उसके जिम्मे बहुत से गांव कर दिये जावें।

पंचों के लिये केवल १५ दिन की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। वे शिक्षित हैं या नहीं, यह बात किसी हद तक ठीक भी हो जाय, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिये कि वे मुकदमें कैसे तय करें, फाइल कैसे बनावें, और ऐसी धाराओं का उन्हें अध्ययन कराना चाहिये जो उनके रोजमर्रा के काम में आनवाली हैं। १५ दिन की ट्रेनिंग में वे कुछ भी नहीं जान पाते हैं और उनकी विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिये। पंचायत राज ऐक्ट में इसके लिये प्राविजन होना चाहिये।

गांव समाज में मकान बनाने के लिये भूमि देने की व्यवस्था है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनको सब से पहले स्थान दिया जाता है। इसके बाद दूसरों को दिया जाता है, इसकी तीन श्रेणियां हैं। परन्तु जिसके पास मकान नहीं है उसे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे एक गांव में उसका खेत है और दूसरे गांव का रहनेवाला है, तो गांव समाज में उसके लिये कोई प्राथमिकता नहीं है। तो उसे भी प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनका विरोध करता हूं। अपोजीशन की ओर से ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों की टैक्स-वसूली के बारे में बहुत से आरोप लगाये गये हैं और कहा गया है कि किसानों की मजबूरी की सूरत में भी पुलिस के जरिये और दूसरे तरीकों से जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाता है। हमारी पंचायत राज मैनुअल में ऐसा प्राविजन है कि यदि कोई मनुष्य किसी ग्राम सभा में टैक्स अदा नहीं कर सकता है तो ग्राम सभा को उस टैक्स को माफ करने का पूरा-पूरा अधिकार है। परन्तु मैंने देखा है कि आम तौर से जो लोग टैक्स अदा कर सकते हैं वही अदा नहीं करते हैं और ग़रीब आदमी तो ठीक

[श्री सूरतचन्द रमोला]

समय पर दे देते हैं। इस सम्बन्ध में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरियों पर कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं मानता हूं कि इन सेक्रेटरीज पर नियंत्रण ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि उनके ऊपर पंचायत इंस्पेक्टर का नियंत्रण ठीक होना चाहिये। मैंने देखा है कि पंचायत सेक्रेटरीज कुछ हद तक करप्शन की जड़ बन गये हैं और इससे कामों में खराबियां आती हैं। एक पंचायत में एक सेक्रेटरी थे जो चपरासी और घोड़ा अपने रखे हुये थे। अगर इस तरह से सेक्रेटरी हों तो मैं अर्ज करूंगा कि वे पंचायतें ठीक तरह से काम नहीं कर सकती हैं।

प्रधान और पंचों के बारे में भी आरोप लगाये गये हैं। हाथ उठा कर पंचों के चुनाव के तरीके का मैं समर्थन नहीं करता और मैं चाहता हूं कि सरकार को गुप्त रूप से इसका चुनाव कराने का तरीका रखना चाहिये ताकि गांवों में पार्टीबन्दी की भावनायें पैदा न हों।

जहां तक ग्राम सभाओं या न्याय पंचायतों के अधिकारों का संबंध है, मैं इस बात को मानता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिये। ये हमारी डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है और जब तक हम इन्हें मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी ठीक ढंग से नहीं चल सकती है। हमें इन्हें पूर्णरूपेण ट्रेन्ड करना है ताकि हमारी ऊपर की संस्थायें, हमारी विधान सभायें या काउन्सिल या अन्य इसी प्रकार की संस्थायें ठीक तरह से चल सकें। राष्ट्रीय भावना उनके अन्दर जागरुक होनी चाहिये और उन्हें समझना चाहिये कि उन्हें अमुक समय पर क्या करना है।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, यह जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया, उसके सिलसिले में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी तरह के फंक्शनिंग में सोशल डिसकंटेंट को सामने लाना अच्छा होता है न कि उस को सप्रेस करना। जब तक हम इस सोशल डिसकंटेंट को समाज और जनता के सामने लाते हैं, तब तक हम अपना कर्त्तव्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से जिन माननीय सदस्यों ने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया मैं उनका आभारी हूं और जिन माननीय सदस्यों ने उस कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया है मैं उनके लिये केवल अपनी सहानुभूति ही प्रकट कर सकता हूं।

माननीय सदस्यों ने अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं; जो माननीय सदस्य उधर से बोले हैं उन्होंने बहुत हद तक हमारे रेज किये हुए प्वाइन्ट्स का समर्थन ही किया है। लेकिन व्रजविहारी जी मेहरोत्रा और दुबे जी ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, उनका मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मुझको यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ जब माननीय व्रजविहारी जी ने यह फर्माया कि जुडीशियल आफीसरों के द्वारा न्यायों का नामांकन क्यों होना चाहिये, उन जुडीशियल आफीसर्स में क्या सुरखाब के पर लगे हैं। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि मैं जरूर इस बात को महसूस करता हूं कि किसी और आदमी के मुकाबले में जुडीशियल आफीसर में जरूर सुरखाब के पर लगे हैं। मैं तो इतना तक कह देने के लिये तैयार हूं कि अगर भारतवर्ष में जुडीशियरी न होती तो मैं हिन्दुस्तान की सिटीजनशिप से डिसओन कर जाता। हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। हिन्दुस्तान की जुडीशियरी एक इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियरी होने की कोशिश करती है। जिस दिन यह जुडीशियरी इलेक्टेड जुडीशियरी होगी उस दिन सर्वनाश हो जायगा। इसके द्वारा मैंने इस बात को सिद्धान्ततः इसलिये रखा है क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि न्याय पंचायतों के जो पंच हैं उनको मैं कम से कम इस प्रकार का मानता हूं कि जिस प्रकार के आनरेरी मैजिस्ट्रेट होते हैं। आनरेरी मैजिस्ट्रेट चाहे फर्स्ट क्लास का हो, चाहे सेकेन्ड क्लास का हो, चाहे थर्ड क्लास का हो, वह नियुक्त किया जाता है। अगर इलेक्टेड जुडीशियरी का सिस्टम अच्छा होता तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी जनता द्वारा चुना जाता। हम कहना चाहते हैं कि "सीजर्स वाइफ शुड नाट ओनली बी आनेस्ट बट शी शुड बी अबव सस्पीशन", हमारी न्याय अदालतों के लिये केवल यह बात ही काफी नहीं है कि वह ईमानदार हों बल्कि वह ऐसी होनी चाहिये कि उनकी ईमानदारी में कोई शुबहा भी न कर सके। इसलिये न्याय पंचायतों के ऊपर जुडीशियल आफीसर का नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि कलेक्टर तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, उसके द्वारा पंचों का नामांकन कभी भी ठीक नहीं हो सकता।

मेहरोत्रा जी ने फर्माया कि कानपुर जिले में पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं। हो सकता है वहां ऐसा हो। जिला जालौन का मुझे तजुर्बा है उनसे यह बिलकुल सिद्ध होता है कि पंचों की नियुक्ति का जो तरीका है, वह बिलकुल गलत है।

दुबे जी ने भी अपने तर्क उपस्थित किये और कहा कि इन्तखाब दिला दिया जाता है। लेकिन जब लेखपाल या पंचायत का सेक्रेटरी ग्राम सभा के अनुशासन के अन्तर्गत नहीं है तो किस प्रकार से उनकी आज्ञा मानने को तैयार हो सकता है। १०-१०, २०-२० रुपया में एक-एक इन्तखाब दिया जाता है। इसलिये लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी को उसके अंडर में होना चाहिये।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि पंचायती अदालतों के पंच और ग्राम सभा के सभापति अगर बंदूकों के लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दें तो उनके चालचलन की जांच न होनी चाहिये। यह मान लेना चाहिये कि जनता के चुने हुए लोग हैं तो उनका चालचलन अच्छा होगा। मगर कलेक्टर साहब, तहसीलदार, दरोगा जी इसको नहीं मानते। क्या मंत्री जी इस प्रकार का आदेश देंगे कि जनता के चुने हुए लोग अगर दरख्वास्त बन्दूक के लाइसेंस के लिये देंगे तो बिना चालचलन की तस्दीक हुए, यह समझ कर कि यह जनता के चुने हुए लोग हैं इनका चाल-चलन अच्छा ही होगा, उनको बन्दूक के लाइसेंस दिये जाया करें?

एलेक्शन के सिलसिले में मैं कह ही चुका हूं। मेरा निवेदन है कि जितनी बातें सदन के सामने आयीं, विशेष रूप से पंचों के चुनाव के सिलसिले में आयीं, कि जो उनकी चुनाव की आज मौजूदा प्रथा है वह किसी सूरत में न्याय को स्थापित नहीं करेगी और अगर यह प्रथा थोड़े दिन और चलती रही तो गांव में ऐसी हालत हो जायगी कि इन्साफ़ का नामोनिशान ही नहीं रहेगा, इस पर मंत्री जी गौर करें और चुनाव की प्रथा बदलें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, आज जब उठा था तो समझा था कि मेरे लिये बहुत खुशकिस्मती का दिन है। लेकिन यहां मालूम हुआ कि मेरा यह दिन सब से बदकिस्मती का है। दूसरी निगाह से देखता हूं तो समझता हूं आज जितनी खुशकिस्मती का दिन इस गवर्नमेंट के लिये है उतना शायद इससे पहले किसी रोज की बहस में नहीं आया था। आज सर्टिफिकेट दिया गया इस गवर्नमेंट को कि अगर सब से ज्यादा करप्शन कहीं है, तो मिनिस्टीरियल लेविल पर है और वह भी अगर मिनिस्टीरियल लेविल पर है तो स्वायत्त शासन विभाग में है। मैं सचमुच में बहुत खुश हूं कि अगर मैं एक बदकिस्मत हूं तो क्या हुआ, सारी गवर्नमेंट और अधिकारी हमारे बेदाग छूट जायं। इससे ज्यादा खुशकिस्मती की चीज और क्या हो सकती है और जब इस पर विचार करता हूं तो सचमुच मुझे खुशी होती है कि आज सौभाग्य का दिन है और विरोधी दल की तरफ से यह सर्टिफिकेट सरकार को मिला और बदकिस्मती इसलिये कहता हूं, हाल तो मैं किसी को समझता नहीं कोई मेरा विरोधी है, लेकिन अगर बोलचाल के तरीके से कहा भी जाय, मेरे बिटरेस्ट विरोधी ने भी आज से पहले शायद कभी ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया नहीं कि मैं इस कदर पक्षपात करता हूं कि कांग्रेसमैन का अगर बोर्ड है तो उसके सब खून माफ और अगर विरोधियों का है तो उसके ऊपर बैठ जायं।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

एक बार इसी तरह से—मैं उन सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता—यहां के प्रतिष्ठित दल क नेता ने इसी किस्म का संशय एक बोर्ड के सम्बन्ध में जाहिर किया था और उन्हें यह शक था कि चूंकि अमुक जगह का बोर्ड जनसंघ के हाथ में है इसलिये उसके ऊपर ऐक्शन ले लिया गया। मैंने उनसे कहा कि, हुजूर, जरा तशरीफ ले आइये। जब उनके सामने सब वाकयात रखे गये कि किसी भी जगह गवर्नमेंट ने इम्पेशेंस जाहिर की, पारशियलिटी जाहिर की हो तो बतायें। तो आप यकीन मानें कि जिस तरह से वह आये थे वैसे ही बिना कुछ कहे हुए वापस चले गये और मैं चैलेंज कर सकता हूंकि अपनी जानकारी में मैंने शायद पक्षपात नहीं किया। जिन मेरे दोस्त ने यह सीरियस चार्ज हमारे ऊपर लगाया जब उन्होंने कहा कि वे साबित कर सकते हैं तो मैंने उनसे कहा कि इससे अच्छा समय और कब मिलेगा कि सब से बड़ी इजलास में आप यह साबित कर सकें कि इस तरह से पक्षपात किया जाता है। तो, श्रीमन्, १३३ म्युनिसिपल बोर्ड्स में से वह सिर्फ २ का नाम ले सके। उनमें से एक झांसी है और दूसरा उरई। कोंच का नाम मैंने सुना नहीं था, अब सुन रहा हूं कि कोंच का भी नाम लिया गया। उरई में तो, श्रीमन्, कसूर यह था कि चुनाव दोबारा करा दिये और जनता की राय के लिये, फिर से एक बार लोगों की राय जानने के लिये आग्रह किया। यह मेरा गुनाह था। यह मेरी पारशियलिटी थी। और अब अगर जनता किसी खास पक्ष को नहीं चुनती है, किसी बदकिस्मत पक्ष को चुन लेती है तो, श्रीमन्, इसमें मेरा क्या कसूर? और मैंने किस बात का पक्षपात किया? झांसी की बाबत कहा गया है, एक बड़ी भारी किताब छपी है उसका जिक्र किया है। मेरा खयाल है कि श्रीमान माननीय सदस्य, जिन्होंने यह किताब छपाई है और जिन्होंने यह सब इल्जाम लगाये हैं, उन्हीं से पूछ लेते कि मिनिस्टर ने कौन सा पक्षपात किया है और कौन सी सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। तो उनको सब मालूम हो जाता। मैं अपने को उनकी ही वरडिक्ट पर जिन्होंने यह इल्जाम लगाये हैं, उन्हीं पर छोड़ने के लिये तैयार हूं। और अगर इस तरह से मैं बेदाग छूट सकता हूं तो, श्रीमन्, इससे खुशकिस्मत दिन और कौन-सा हो सकता है?

पंचायतों की बाबत तकरीरें सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरान हुआ। एक तरफ कहा जाता है कि पंचायतों ने जुल्म कर दिया। लोगों की सारी चीजें छीन लीं और डंडे की जोर से काम होता है, यह होता है, वह होता है। सब से बड़ी हैरानी तो तब हुई जब उन्हीं महोदयों ने शिकायत की कि पंचायतों को इतने अधिकार दे दिये और पंचायत यह नाजायज चीज करती है और वह करती है। तो उन्हीं महोदयों की शिकायत होती है कि उनको और अधिकार क्यों नहीं दिये जाते हैं, सरकार अपने हाथ में सब शक्ति लिये है। वहां यह काम नहीं देती, वहां वह काम नहीं देती, चौकीदारों को भी उनके मातहत नहीं करती। मैं समझ नहीं पाता कि क्या चाहते हैं।

एक महोदय ने बड़ी भारी किसी म्युनिसिपल बोर्ड और किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शिकायत की। एक-एक अक्षर सही हो सकता है। किस जगह दोष है सरकार का? खुद उन्होंने कहा कि जब शिकायत आई, इंक्वायरी करने के लिये भेज दी। किसी जगह सरकार ने रुकावट डाली? इलेक्टेड मेम्बर्स क्या करते हैं? म्युनिसिपल और दूसरी संस्थाओं के मेम्बर क्या करते हैं, इसमें सरकार का क्या दोष है? यही कि म्युनिसिपल बोर्ड्स कायम किये, यह कि स्वशासन विभाग कायम किया और लोगों को यह अधिकार दिया कि वह अपने आप अपना इंतजाम करें। अगर उनको अधिकार देना है और अधिकार दिया है तो गुनाह हमारा नहीं है। बल्कि उनका है जो चाहते हैं कि और अधिकार दिये जायं। गुनाह है डेमोक्रेसी का। हमारा और आप का सब का मिला कर कि हमारे देश के अन्दर जो अधिकार हमको मिल रहे हैं उनका दुरुपयोग हम करते हैं, लेकिन सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार का वही दोष है जो दूसरे दलों का और इस सदन के सदस्य होने के नाते और हिन्दुस्तानी होने के नाते हमारा हो सकता है।

एक शिकायत हुई कि ५०० तक का अधिकार दे दिया गया। उसकी बाबत कहना है कि इसी सदन ने यह नियम बनाया कि उनको यह अधिकार दिया जा सकता है। कभी कहा

जाता है कि ये जो जमींदार हैं उनका कर्जा था उस को वसूल कराने के लिये यह हो रहा है, कितनी गहरी कौड़ी निकाल कर वह लाये, हमें तो यह बात उस समय नहीं सूझी थी, नहीं तो आज से बहुत पहले शायद यह अधिकार दे दिये होते। मुझे तो खयाल भी नहीं था कि ऐसा भी कोई इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है।

मैंने जो यह कहा था कि रिवीजन जो हुआ है वह मुश्किल से १ प्रतिशत गलत करार दिया गया है। तो श्री गोविन्दनारायण जी ने कहा कि वह अपीलेबिल नहीं है वहां तो केवल रिव्यू होता है और फैक्ट्स पर रिव्यू नहीं होता। मेरा मतलब केवल इतना है कि इर्रेगुलेरिटीज आफ ला की वजह से जो मिसकेरेज आफ जस्टिस होता है उस पर हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स पर केसेज डिसाइड होते हैं वह गलत नहीं हुये हैं। वह बात भले ही हो, लेकिन जहां तक फैक्ट्स की बात है वह तो वहां ठीक से सामने आते हैं और न्याय पंचायतों को कायम करने का सब से बड़ा कारण ही यह था कि उनकी मारफत जो फैक्ट्स हैं, जो वहां लोकल होने की वजह से सब को मालूम रहते हैं, उन का सप्रेशन नहीं हो सकता, वहां और कोर्ट्स की तरह गलत एवीडेंसेज नहीं दी जा सकतीं। ऐसी बात हमेशा उनके फेवर में कही गयी। आज से नहीं जब से यह कानून बना है कभी किसी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। "इट इज टू लेट.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—हिन्दी तो आप जानते हैं कृपा कर के हिन्दी में कहें, आप अंग्रेजी में क्यों. . . .

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर माननीय सदस्य अपना हिन्दी का प्रेम कम से कम इतना कम कर दें कि जो शराफत से आगे न निकल जाय तो अच्छा होगा। मैं जो अंग्रेजी में समझाने के लिये कहता हूं वह फिर हिन्दी में भी कहता हूं, अंग्रेजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो काटने लगे या चुभ जाय। मैं तो अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि एक-एक शब्द पर नहीं रोका गया, लेकिन मुझे आश्चर्य तो इसलिये होता है कि जिस पार्टी का नाम ही अंग्रेजी शब्द से है उसी के लोग हम पर आक्षेप करते हैं।

जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, वाकयात न्याय पंचायतों में ज्यादातर सही सामने आते हैं, किसी ने यह शिकायत नहीं की कि वहां वाकयात गलत आते हैं और अगर गलत आते भी हैं तो वह बहुत ही कम, वह २—३—४ प्रतिशत हो सकते हैं। ऐसी हालत में श्रीमन् देख लें कि किस की राय सही मानी जाय। जैसा कि मैंने कहा बहुत सोच-समझ कर यह चीज हमने रखी थी, हमारे लिये कोई और दूसरा चारा नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां प्रजातंत्र बढ़े तो हमारे लिये कोई दूसरा मुमकिन चारा नहीं है सिवा इसके कि हम गांव पंचायतों को स्थापित करें और उन को क्रमशः अधिकाधिक अधिकार देते चले जायं। यह मानते हुये भी कि गल्तियां, दिक्कतें, ज्यादतियां होती हैं, फिर भी हमारे लिये कोई चारा नहीं है, हमें इसी रास्ते पर जाना होगा और जिसे कहते हैं कि 'पेंग्स आफ दि बर्थ आफ ए न्यू एरा' में हमें इन चीजों को बरदाश्त करना ही होगा। यदि हमें अपने देश में एक नये प्रकार की जनक्रांति प्रजातंत्र में लाना है तो उस का मूल्य हमें चुकाना ही होगा, उसके लिये हमें रोना नहीं चाहिये। हमारे लोग गलती करते हैं, उनको हमें समझाकर ठीक करना होगा।

यह सही बात है कि हमारी जो चुनाव की पद्धति है वह दोषपूर्ण है, इस बात को मैंने कई बार इसी सदन में स्वीकार किया है और अगर खर्च का सवाल हमारे सामने न हो और शासन की दिक्कतें हमारे सामने न हों तो हम फौरन चाहेंगे कि चुनाव बैलट से हों, गुप्त चुनाव हों, हाथ उठाकर न हों। हम हाथ उठाने की प्रणाली के पक्ष में नहीं हैं, भाई भाई के बीच में हाथ उठना अच्छा नहीं होता। हम इस पर विचार कर रहे हैं और अगर सब का चुनाव भी

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

गुप्त रूप से न कर सकें तो कम से कम प्रधानों का चुनाव तो गुप्त करा ही दें तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि पंचों का जहां तक चुनाव होता है उसमें तो दिक्कत होती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत प्रधानों के चुनाव में है। विभाग के जो संचालक हैं वे बहुत ऐक्टिवली इस पर विचार कर रहे हैं और वे हमें ऐसा विश्वास भी दिला रहे हैं कि शायद इसमें कामयाबी हो जाय कि चुनाव गुप्त वोट से करा सकें और अगर यह हो गया तो एक बड़ी भारी शिकायत जो जायज है और जिसके विषय में बहुत कहा जा सकता है उसकी वजह से जो दोष आ जाते हैं वह दूर हो जायेंगे। उन दोषों के लिये हमारी ही मजबूरी नहीं इस सदन की मजबूरी थी कि हम उसके लिये प्राविधान न कर सके।

मंत्रियों के पंचायतों के अधीन होने की मांग बारबार पेश की गयी। यह मांग भी जायज कही जा सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ी भारी कठिनाई है वह हमें समझनी चाहिये। मांग कर देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक-एक मंत्री ६-६ और ७-७ पंचायतों के मंत्री हैं। अब कौन सी पंचायतों या पंचायत के हाथ में उसका शासन दिया जाय? और न्याय पंचायतें भी वह देखता है। तो इस तरह से वहां पर प्रबन्ध करने की दिक्कत है और वही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कौन उसको छुट्टी दे, कौन उसको वेतन देना स्वीकार करे और कौन उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले अगर जरूरत हो? और अगर सबको अधिकार दें तो फिर ४ पक्ष में, ३ विपक्ष में और १ न्यूट्रल। यह कठिनता होगी जो आसान नहीं होगी हल करना। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि बदकिस्मती हमारे देश की यह है कि वैसे तो हमारे देश के आदमी साउन्ड कामनसेंस वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत चलते पुरजे आदमी नहीं हैं। साधारणतः सीधे आदमी हैं और अगर इन मंत्रियों को उनके मातहती में कर देंगे तो जरा कठिनाई होगी। वैसे तो मंत्री आज भी उनके मातहत हैं उनके गुरू नहीं हैं, लेकिन मातहत होते हुये भी वे उसका एफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा सकते। उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। जो अधिकार इनको कानूनन मिले हुये हैं उन पर चल सकें तो आज भी ये उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। हमारा विभाग इस जायज नियंत्रण के पक्ष में है कि अगर ऐसा हो सकें तो हम पंचायतों का साथ देंगे और मंत्रियों का साथ नहीं देंगे। यह आश्वासन मैं सदन को दे सकता हूं। हमारी सारी कोशिश इस बात की है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेखपालों के बारे में भी कुछ कहिये।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उनका जिक्र इस मांग में नहीं है। जब रेवेन्यू में जायेंगे तो विचार करेंगे। लेकिन लेखपालों के बारे में भी मैं बता सकता हूं। विचार चल रहा है कि विलेज लेविल वर्कर और लेखपाल यह सब एक हो जायं और ८-८ और ९-९ गांव इनके पास न रहें बल्कि दो-दो और तीन-तीन गांव इनके पास हो जायं।

जहां तक लेखपालों का संबंध है, इनकी सारी शिक्षा-दीक्षा इस काम के उपयुक्त नहीं है। जो पहला कदम हम उठाना चाहते हैं वह यह है कि इन दोनों को यानी विलेज लेविल वर्कर्स, ग्राम सेवकों की थोड़ी सी शिक्षा हो जाय और बजाय ५-५ और ६-६ गांवों के इनके पास २-२ और ३-३ गांव हो जायं तो वह एक इम्प्रूवमेंट होगा, इनका सम्पर्क ज्यादा होगा गांव वालों के साथ और उनकी समस्याओं में ये जीवित जागृत दिलचस्पी ले सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---यह आप कब तक कर देंगे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---समय तो आसानी से मैं इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आखिर कब तक वह हो सकेगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आसानी से समय का कोई निर्धारण मैं नहीं कर सकता हूं। हमारी ख्वाहिश यह जरूर है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---६२ तक तो शायद न हो।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---एक शिकायत यह हुई कि टैक्स माफ कर दिये जायं। टैक्स माफ करने हैं तो पंचायतें माफ कर दें। आप पंचायतों को अधिकार देते हैं, लेकिन यह भी अधिकार नहीं देते कि वे टैक्स लगायें। फिर अधिकार क्या देना चाहते हैं ?

(इस समय ४ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सरकार ने तो यह जायज बात की कि उनको यह अधिकार दे दिया कि अगर वे चाहें तो माफ कर दें और चाहें तो वसूल कर लें और वसूल करने के जो आसान से आसान तरीके हो सकते हैं वे इस्तेमाल किये जायं। किसी भाई ने कहा कि ७-७ साल के टैक्स बाकी हैं। जरूर हैं, लेकिन मैंने निवेदन किया कि इस साल ६२ लाख रुपया वसूल किया गया और यह प्रगति अगर चलती है तो एक अच्छी रकम इन पंचायतों के पास हो जायगी और उससे वे लाभ उठा सकेंगी।

रहा यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव पंचायतें अलग-अलग टैक्स न लगायें तो इसकी बाबत जब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल पर विचार करेंगे तब मौका होगा सुझाव देने का। सरकार भी विचार करने के लिये तैयार है, हम भी चाहते हैं कि कई जगह टैक्स न लगे। रहा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल को लाने का सवाल। इसके ऊपर भी एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की कि जिला बोर्डों को इतने दिन तक कायम रखा गया और फिर वही एक तरीके से कायम हो गये हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस दौरान में तो वह आ नहीं सकता था, बजट तो होगा ही, उसके बाद लाने का पूरा विश्वास है। हां, सदन ही कोई दूसरी बात निश्चय कर दे तो मैं लाचार हूं। मेरा अधिकार प्रयत्न करने का है और उसको मैं करूंगा, इतना आश्वासन मैं माननीय सदन को दिला सकता हूं।

न्याय पंचायतों के चुनाव की बाबत भी एक सवाल उठा था। मैं मानता हूं कि जो प्रबन्ध है वह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही चुनने का प्रबन्ध भी अच्छा नहीं है। अगर हम चुनाव रखते हैं तो फिर वही दोष आता है जो आज थोड़ा-सा है और न कतई नामिनेशन का तरीका ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अधिकार दें तो उसकी वाकफियत अल्टीमेटली लेखपाल या दूसरे आदमी जो आते हैं उन्हीं से होगी। जुडिशल अफसर के लिये भी यही दिक्कत होगी कि श्री गोविन्द नारायण जी ने किसी को रेकमेंड कर दिया और किसी को मैंने रेकमेंड कर दिया तो उसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों ही नारायण हैं, किसकी माने।

एक सदस्य---विचित्र की ही बात मानेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---विचित्र की तो आज मानेंगे, लेकिन कल को किसकी मानेंगे ? मुझे तो दुख होता है कि इतने पस्त हिम्मत उधर के लोग हैं कि यह समझते हैं कि कयामत तक हम ही इधर बैठे रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप भी इधर आयें, लेकिन आप हिम्मत ही नहीं करते।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के बारे में.....

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अब समय नहीं है। मैं इतना ही बतला सकता हूं कि उसमें चुना हुआ अध्यक्ष होगा और अधिक से अधिक अधिकार उनको दिये जायेंगे। और अधिक समय न लेकर मैं माननीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि ये तीनों अनुदान जो मैंने रखे थे उनको वह स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष---अनुदान संख्या ३६ में कटौती का प्रस्ताव श्री गोविन्द नारायण तिवारी का है। पहले उसे मैं लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५० के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय।

इसका उद्देश्य नगरपालिकाओं खास कर झांसी नगरपालिका के संबंध में सरकारी नीति की आलोचना के संबंध में है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव श्री गोविन्द सिंह जी बिष्ट का है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५० के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

इसका उद्देश्य मौजूदा स्वायत्त शासन की नगरपालिका संबंधी गलत नीति पर आलोचना करने का है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,१५,५७,५०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अनुदान संख्या ४१ में श्री गोविन्द नारायण तिवारी का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---लेखा शीर्षक ५७ के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय; यह अन्तरिम जिला परिषद् संबंधी नीति की आलोचना के संबंध में है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट का है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---लेखा शीर्षक ५७ के अन्तर्गत संपूर्ण मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय। इसका उद्देश्य अन्तरिम जिला परिषद् संबंधी खासकर अल्मोड़ा जिला अन्तरिम परिषद् संबंधी नीति तथा फिजूलखर्ची की आलोचना और सुझाव देने के संबंध में है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---प्रकीर्ण व्यय---लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ६,५५,७८,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---तीसरे में श्री गोविन्द नारायण तिवारी का कटौती का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। इसमें नीति का ब्योरा है और चर्चा करने के अभिप्राय से है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री टीकाराम जी का है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में से १०० रुपये कम कर दिये जायं। कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---

(१) सत्ता के विकेंद्रीकरण का स्रोत न होना,

(२) नियोजन के पर्याप्त साधनों की कमी।

यह दो कारण बताये थे जिससे १०० रुपये की कमी करना चाहते थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—श्री राजेंद्र सिंह जी का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की धन-राशि में से १०० रुपये की कमी कर दी जाय। इसमें कमी का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

पंचायत टैक्स का अनियंत्रित ढंग से वसूल करना और अधिक टैक्स लगाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---श्री ब्रजनारायण तिवारी का यह कटौती का प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १५---के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---

पंचायती अदालतों को ५०० रुपये तक की दीवानी के समकक्ष मुकदमों को देखने का अधिकार न दिये जाने की शिकायत करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---गांव सभायें और पंचायतें---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०५,३८,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय तथा उस पर जो संशोधन हैं उन पर विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पिछले दो दिनों के भाषण को पुनः जारी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप फिर से रिपीट न कीजियेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, विधेयक में इतने विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं,उस पर चाहे जितना विस्तृत बोलते चले जायं उसकी सीमा ही नहीं है। चार दिन भी बोला जाय तो भी खत्म नहीं होगा। इसकी धारा १३ में जो अधिकार सेल्स टैक्स आफिसर को दिये गये हैं वे उसी प्रकार हैं जैसे धारा १०९ में पुलिस को अधिकार दिये गये हैं। जिसे चाहे बांध दें, जिसे चाहे गुंडा और बदमाश बना दें। इसी तरह से अधिकार धारा १३ में सेल्स टैक्स आफिसर को दिये गये हैं जिनके द्वारा किसी भी भलेमानुस की भलमंसी एक मिनट में उतारी जा सकती है। पहले इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि हिसाब पकड़ने, कब्जा करने या कागजों को पकड़ने का अधिकार सेल्स टैक्स अधिकारी को नहीं था और अगर था तो असिस्टेन्ट कमिश्नर की आज्ञा से था। अब यह अधिकार स्वयं सेल्स टैक्स आफिसर को दे दिया गया है। इस अधिकार का इतना अधिक दुरुपयोग होगा, इतना भ्रष्टाचार होगा जिससे सारा व्यापारी वर्ग एक बार तिलमिला उठेगा और बिल्ला जायगा। इसके बाद मैं आपका ध्यान धारा १४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें इतने विस्तृत अधिकार दिये गये हैं जिससे इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया है कि व्यापारी समाज थर्रा गया है।

एक बात मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के यह अधिकार दिये गये हैं, सेल्स टैक्स आफिसर को धारा १४ में, एक बार ऐसे ही अधिकार रौलट ऐक्ट में भी दिये गए थे इसी हिन्दुस्तान में। मैंने कल व्यापारियों से बातें की हैं। अखबारों में उन्होंने पढ़ा है, इसके ऊपर जो बहस यहां हुई है उसको देखा है। व्यापारी अपनी जगह पर थर्रा रहा है, कांप रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसकी इज्जत बचेगी या जायगी। वह कब जेल भेज दिया जायगा, कुछ निश्चित नहीं है। वह यह सोच रहा है कि अब व्यापार करना एक प्रकार की चोरी और डकैती से भी बदतर चीज हो गई है। सबसे पहली चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि एक एन्क्वायरी का सिस्टम रखा गया है। एन्क्वायरी के बहाने उसका सेंट्रल या प्राविंशियल रजिस्ट्रेशन देना बन्द कर दिया सेल्स टैक्स आफिसर्स ने। बहुत ही तंगदिली से यह रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसका परिणाम यह हुआ है कि अब व्यापारी बाहर से माल नहीं मंगा पाता है। बाहर से माल मंगाने में बड़ी-बड़ी बाधायें उसके सामने उपस्थित हो गई हैं। और केवल व्यापारी को ही नहीं उससे हानि हुई है सरकारी टैक्स की भी उससे लाखों रुपये की हानि हुई है। अगर ये रजिस्ट्रेशन आसानी से दिये जायं, यह सेंट्रल या प्राविंशियल रजिस्ट्रेशन देने में थोड़ी सी सहूलियत बरती जाय तो व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने में और यहां विक्रय करने में आसानी हो सकती है। लेकिन इसमें इतनी तंगदिली से काम लिया जाता है कि हम नहीं समझते कि इसके भीतर क्या राज है, हो सकता है कि इसके भीतर कुछ दाल में काला हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ है कि सारा व्यापार नष्ट हो गया है और सरकार के भी टैक्स की लाखों रुपये की हानि हुई है। उसके लिये इस विधेयक में कोई राहत नहीं दी गई है।

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी में छः महीने की सजा का भी प्राविजन कर दिया गया है। छः महीने की सजा भी हो सकती है और जो

---

*२१ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

जुरमाना पहले था वह जुरमाना भी हो सकता है । इससे अब कोई भी दूकानदार भलमनसी के साथ अपनी जगह पर बैठ नहीं सकता । एक बड़ी भारी विपत्ति अब उसक ऊपर आ गई है वह समझता है कि हर वक्त हमारा एक पैर अब जेल में है । इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई ह । यह कानून बिलकुल वैसा ही है जैसा कि मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ह, सुना है, नादिरशाह के जमान म कुछ ऐस कानून बन थे । बिलकुल नादिरशाही तरह का यह कानून है । नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक मर्यादा बिलकुल इससे नष्ट-भ्रष्ट होने जा रही है । भले आदमियों की भलमंसाहत खतरे में पड़ गई है । पता नहीं कब सेल्स टैक्स आफिसर नाखुश हो जाय और एक पुछल्ला लगाकर जेल भेज दे । मैं थोड़ा रिपीट जरूर करने जा रहा हूं ऐसे ही अधिकार एक बार शिव जी ने भस्मासुर को दिये थे । वह चूंकि आप पहल नहीं थे इसलिये दुहरा दिया । और जो मैं दुहराऊं उसे आप टोंक दें । आपका शुक्रिया । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कानून छः महीने की सजा का रखा गया है व्यापारी समाज की इज्जत को बरबाद करने के लिये, मैं नोटिस दता हूं उत्तर प्रदश की साढ़े छः करोड़ जनता की तरफ से व्यापारी समाज की तरफ से कि यह कानून इस शासन की बुनियाद की ईटें हिला देगा । यह वह कानून है जो कि ....

श्री अध्यक्ष---आप इसके सिद्धांतों पर ही भाषण दें । आप कविता कर रहे हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---सिद्धांतों पर ही भाषण दे रहा हूं कविता नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह गद्य कविता आप मत कीजिये । सिर्फ अपने तर्क आप रखिये । कोई टीका केवल फ्लावरी भाषा उस म नहीं होनी चाहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

तो इस उत्तर प्रदेश में जो यह काला कानून बनाया गया यह काले कानून के नाम से बदनाम हो जायगा । उत्तर प्रदेश में बना है, अध्यक्ष महोदय, मगर बदनाम होगा सारे देश में । यह मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है । चूंकि कल इतवार था, लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का मौका मुझे मिला और दुकानदारों स बातें कीं । जो बात बाहर कही जाती है उसके तो हम संदेशवाहक हैं । हम सब एम० एल० ए० लोगों का यह कर्त्तव्य है कि जो जनता का संदेश हो उसको यहां पर अपने भाषण में सदस्यों के सामने रख दें । जो यहां का संदश हो उसको बाहर जनता में जाकर सुनायें ।

श्री अध्यक्ष---सब यहां पर अनुभवी लोग बैठे हैं । आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं जो कभी विधेयक के ऊपर नहीं दिया जाता । जो भाषण पब्लिक स्पीच की तरह से होत ह वह आप कर रहे ह । विधेयक में जो त्रुटियां हों उनको आप बतलाइये । यहां पर यह चीज न बतलाइये कि भस्मासुर से लेकर आज तक जितने रहे होंगे, उस इतिहास को यहां पर बतलाने की जरूरत नहीं है । प्रस्तुत विषय पर ही बोलिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अब मैं धारा २९ के बारे में सेल्स टैक्स के अफसर जो धांधली करते हैं उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं । मेरे जिले में सेल्स टैक्स अधिकारियों ने यह धांधली बरती है । इस कानून का नाजायज फायदा उठाकर इस प्रकार की धांधली बरती जाती ह । जब अपील का फैसला हो जाता ह तो उस फैसले के बाद भी साल भर तक उनको रुपया वापस नहीं किया जाता है । इस तरह से उनको तंग किया जाता ह कि वह आजिज आ जाते हैं । इसके बारे में इस विधेयक में कोई प्राविजन नहीं किया गया है कि इस धारा के अन्तर्गत कोई अधिकारी कोई नाजायज बरताव करे तो उसके लिये रुकावट हो । धारा ३ के स्पष्टीकरण में यह दिया हुआ है कि "ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसके पास धारा ३(ङ) के अधीन लाइसेंस न हो, किसी कमीशन एजेंट को धारा ३(घ) की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल, मूल्य पर, जिसका भुगतान कर दिया गया या आगे किया जाना हो, दिया जाना उस कमीशन एजेंट द्वारा माल की खरीद समझा जायगा" इसमें उन्होंने

[श्री शिवप्रसाद नागर]

यह स्पष्ट किया है कि जो एजेंट होगा, आढ़ती होगा, या तौला होगा, जिसकी मारफत माल खरीदा जायगा वह भी कर का देनदार होगा। अभी तक जो खरीदार उस माल को बेचने के लिये खरीदता था, उसी पर टैक्स लगता था। अब जो माल खरीदेगा उस पर तो है ही लेकिन जो बीच का आदमी होगा वह भी टैक्स का देनदार हो जायगा। एक तौला बाजार में बैठता है। अगर वह गाड़ीवान का माल तोलकर किसी आढ़ती के यहां रख दे और वह आढ़ती उस तौला को उस माल का भुगतान कर दे चाहे बाद में वह रुपया वसूल करे तो उसके ऊपर भी टैक्स नाफिज हो जायगा। एक व्यक्ति माल खरीदकर किसी व्यापारी को देता है तो वह एजेंट जो माल देता है वह भी गिरफ्त में आ जायगा और उससे भी कर वसूल किया जायगा। व्यापारी वर्ग को इस विधेयक के प्रति बहुत घृणा और नफरत हो गई है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। रजिस्टर्ड व्यापारी को फार्म सी के देने में बड़ी सख्त दिक्कत पेश आती ह। इस विधेयक में इसके लिये भी कोई सहूलियत नहीं दी गई है। फार्म सी उसे नहीं दिया जाता और उसकी वजह से व्यापारी को दिक्कतें होती हैं। अगर, प्रांत के बाहर से वह अपना माल मंगाता है तो बैंक से उसकी बिल्टी आती है और अगर वह फार्म सी दाखिल नहीं करता तो वह टैक्स से मुस्तस्ना नहीं होता। फार्म सी अवैलेबिल नहीं होता जिसको कि सेल्स टैक्स आफिस के दरवाजे पर टंगा रहना चाहिये। जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उसको फार्म सी चपरासी से मिलना चाहिये लकिन चपरासी से तो क्या उसको यह फार्म सेल्स टैक्स अफसरों से भी नहीं मिलता और जहां उसको एक पैसा टैक्स का पड़ना चाहिये उसकी जगह उसको उसका आठ, दस गुना टैक्स अदा करना पड़ता है। इसके कारण हमारा व्यापारी वर्ग परेशान है, आजिज आ चुका है। हमारे लखीमपुर में तो यही होता है, मुझे पता नहीं कि सारे प्रदेश में ऐसा होता है या नहीं। इसकी भी कोई सहत इस विधयक में नहीं की गयी है।

इसके अलावा जो कुछ थोड़े पुराने व्यापारी चले आ रहे हैं और जिनके सामने से बीसियों सेल्स टैक्स अफसर गुजर चुके हैं और उनके बही खातों को मान्यता द दी ह, माने हुए व्यापारी हैं और ईमानदारी से अपना सेल्स टैक्स अदा करते रहे हैं उनके साथ भी आज यह होता है कि जो उनके कागज हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना देखे हुये। बिना एक भी पन्ना उलटे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है दो एक क्रास क्वेश्चन करके और उन पर टैक्स बांध दिया जाता है। उस के बाद उसकी अपील आपके यहां होती है, दौड़ना पड़ता है और तब कहीं जाकर काफी परेशानी के बाद वह बहाल होता ह। तो एक भले व्यापारी का दूकान पर बैठना मुश्किल हो जाता है और वह बेचारा लखनऊ, लखीमपुर दौड़ने में ही लगा रहता है। जब कहा जाता है कि आप यह क्या कर रहे हैं, यह क्या धांधली है तो कहा जाता है कि हमारे यहां आदेश आ गये हैं कि पिछले साल के मुकाबिले में टर्न ओवर कम नहीं होना चाहिये। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं नहीं कह सकता कि आदश गय ह अथवा नहीं, अगर नहीं गये होंगे तो वे बतायेंगे, लेकिन मैं आप की आज्ञा से उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस प्वाइंट को सुन जरूर लें। टर्न ओवर घटने न पाये इसलिये वे बिना कागज देखे ही टक्स बांधते जाते हैं। परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं, आमदनी घटती जाती है, नेचुनरल कलेमेटीज के कारण उत्पादन कम हो रहा है, तो टर्न ओवर बढ़ेगा कैसे? लेकिन वह कहते हैं कि हमारे पास आदेश हैं कि पिछले साल के मुकाबले में टर्न ओवर गिरने न पाये। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से राहत नहीं मिली है, परेशानी बढ़ी ह और इसको व्यापारी समाज अच्छी तरह से समझता ह। हम और आप जो इसको बनाने वाले हैं, इसकी त्रुटियां निकालते हैं, लेकिन जिनके सिर पर से यह गुजरेगी वह अच्छी तरह इसको बयान कर सकते हैं। मैंने तो कल इस बात की जांच करने की कोशिश की थी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं एक्जेम्प्शन फीस के बारे में.....

श्री अध्यक्ष---यह इसमें कहां है ?

श्री शिवप्रसाद नागर---थोड़ा समय दीजिये, मैं दोहरा नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---जो इसमें नहीं है वह आप नहीं कह सकते। जितनी शिकायतें हैं सब आप पढ़ कर सुना रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---जो चीजें इसमें आयी हैं और जो खामियां हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये तो इसके प्रवर समिति में जाने की बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं उसी के लिये अपने सुझाव दे रहा हूं। और एक बात कह कर ५ मिनट में खत्म करता हूं। हमारे लखीमपुर के सेल्स टैक्स दफ्तर का यह हाल है कि वह दिन में १ बजे खुलता है और रात को ८ बजे बन्द होता है। ५ बजे के लगभग उसमें व्यापारियों की पेशियां होती हैं। कोई लिमिटेड टाइम इसमें नहीं दिया गया है कि जिसकी पाबन्दी की जा सके। व्यापारी बेचारा सुबह से शाम तक बैठा रहता है, परेशान होता है और सेल्स टैक्स अफसर साहब कभी १ बजे तशरीफ लाते हैं और कभी ५ बजे। तो कोई व्यवस्था नहीं है।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करूंगा और वह सब से बड़ी चीज है कि ऐसा क्यों होता है। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स हैं जो कि ५२ जिलों के सेल्स टैक्स अफसरों पर एक ही अफसर हैं। उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं? एम० ए०, एल० एल० बी० पास हैं सिर्फ। वे अनक्वालीफाइड हैं इसी की वजह से सारी खामियां हैं और गल्तियां रह जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस डिप्टी कमिश्नर के स्थान पर आई० ए० एस० या पी० सी० एस० से कम नहीं होना चाहिये। डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल अनक्वालीफाइड हैं और जहां तक मैं समझता हूं यह सरकार भी उसी तरह से अनक्वालीफाइड है और इसी कारण यह विधेयक इस काबिल नहीं है कि इस सदन में पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मेम्बर से लेकर सारी सरकार सब अनक्वालीफाइड हैं?

श्री शिवप्रसाद नागर---इसी लिये मैंने सब को कह दिया नहीं तो शायद वह कह देते कि हमें ही अनक्वालीफाइड बना दिया। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस पद पर आदमी नियुक्त होना चाहिये ताकि इतना भ्रष्टाचार न हो। श्रीमन्, यह बातें जो मैंने कहीं हैं सब लखीमपुर में होती हैं और मैं तो चाहूंगा कि सरकार सी०आई०डी० के द्वारा इनकी जांच करवाये या कोई कम्पलेंट आफिसर नियुक्त कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आपको भ्रष्टाचार का पता लग जायेगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं इसका विरोध करता हूं और इस संबंध में कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं कि इस बिल के ऊपर अभी सिर्फ तीन या चार वक्ता बोले हैं। अभी तक तो यह बिल अच्छी तरह से लोगों की समझ में आया नहीं था इसी लिये कोरम वगैरह नहीं रहा और अब जब समझ में आ गया है तो सरकार इस पर क्लोजर मूव करना चाहती है और अगर इसको आप भी स्वीकार कर लेंगे तो यह बड़ा अन्याय होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--मैं भी सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि जब इसे प्रवर समिति में भेजना ही है तो फिर और थोड़ा समय क्यों न दे दिया जाय ताकि और भी लोग अपने विचार रख सकें।

श्री अध्यक्ष--अगर इस प्रश्न के उपस्थित करने में कोई अनौचित्य होता तो मैं उसको पेश करने की इजाजत नहीं देता लेकिन सवाल यह है कि पिछले दिन, शनिश्चर के दिन, यहां पर कोरम की कमी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया; इसलिये ऐसा मालूम होता है कि अगर लोगों में दिलचस्पी होती तो कोरम की कमी नहीं होती। यह कमी यह सिद्ध करती ह कि सदस्य इस बहस को ज्यादा नहीं चाहते। इसलिये अगर यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है तो वह उचित है और उसकी मैं इजाजत दे देता हूं और अगर सदन बैठना चाहेगा तो सब बैठे ही हैं वह इसको अस्वीकार कर देगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी----अध्यक्ष महोदय, इस रूलिंग के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(इस समय समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त सिर्फ यह अर्ज करूंगा कि यह जो मामला इस वक्त दरपेश है, जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में भी कह दिया था, वह सिर्फ यह है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय जिसमें हर पार्टी के मेम्बरान हैं। बावजूद इसके मुझे बड़ी हैरत हुई जब कि मैंने इस मामले में बहस सुनी। मैंने देखा कि उन आर्गूमेंट्स का जो यहां दिये गये थे, इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं था और उनमें अक्सर ऐसे थे जो वाकअतन गलत थे। मस्लन यह कहा गया कि अगर किसी का रुपया किसी साहब पर बाकी है तो जिसको रुपया अदा करना है उससे वसूल कर सकते हैं, और यह कि इस तरह का कानून नहीं होना चाहिये। मैं अर्ज कर दूं कि इसी तरह का कानून पहले से मौजूद है, दफा ४६ का क्लाज ५ पहले से मौजूद है। मुख्तलिफ सूबों में भी जो कानून हैं उनमें भी यह चीज मौजूद है। मस्लन, आंध्र सेल्स टैक्स ऐक्ट का सेक्शन १७, बाम्बे का सेक्शन १७, मद्रास का सेक्शन १०, मैसूर का सेक्शन १४ है। इसी तरह से जो कैद लगायी जा रही है उसके बारे में भी कहा गया कि वह गलत है। इस तरह की धारा भी सब स्टेट्स के ऐक्ट्स में मौजूद है। इसलिये मैं सदन से यह गुजारिश करता हूं कि इस बिल को वह सेलेक्ट कमेटी में भेज दे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं जगदीश शरण अग्रवाल जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं संशोधित प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो ५ दिन के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ की प्रवर समिति के लिये नियुक्त किया जाय---

१---श्री नारायण दत्त तिवारी,
२---श्री राम स्वरूप वर्मा,
३---श्री शिव प्रसाद नागर,
४---श्री पब्बर राम,
५---श्री भूपकिशोर,
६---श्री शिवशंकर सिंह,
७---श्री राजेंद्र सिंह,
८---श्री शिव मूर्ति सिंह,
९---श्री बी० बी० सरन,
१०---श्री नरेंद्र सिंह भंडारी,
११---श्री शिव शरण लाल,
१२---श्री जगदीश शरण अग्रवाल,
१३---श्री रामहेत सिंह,
१४---श्री अब्दुल लतीफ नोमानी,
१५---श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी,
१६---श्री महीलाल,
१७---श्री चन्द्रहास मिश्र,
१८---श्रीमती चन्द्रावती,
१९---श्री कालीचरण अग्रवाल,
२०---श्री फतेह सिंह राणा ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम एक सदस्य की हैसियत से पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने सब की रजामन्दी से पेश किया है? मैं इसको रोक तो नहीं सकता लेकिन पूछा नहीं गया, क्योंकि उपाध्यक्ष भी वह हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा सुझाव है कि उनका नाम यहां कंडीशनली रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर आप इनसिस्ट करते हैं तो मैं उनकी राय ले लूंगा। वह आज यहां मौजूद भी नहीं हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मैं गोविन्द सिंह विष्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उनका नाम वापस ले लें।

श्री शिवप्रसाद नागर---जब बहुत से सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं तो उनसे राय तो पहले ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष---सब की राय ले कर ही किया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जैसा उधर से कहा कि माननीय उपाध्यक्ष का नाम न लूं क्योंकि उनके नाम को वोट डाउन करना नहीं चाहते। तो मैं नाम तो वापस लेता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की भावना है वह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिये उचित नहीं है कि उनके नाम को वोट डाउन करने की बात हो।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि निम्नलिखित सदस्य उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ की प्रवर समिति के लिये नियुक्त किये जायं :

लेकिन एक चीज इसमें यह है कि नये नियमों के अनुसार १८ से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिये। तो २ नाम, माननीय मंत्री जी, आपको घटाने पड़ेंगे।

श्री सैयद अली जहीर---श्री कालीचरण अग्रवाल और श्री फतेहसिंह राणा का नाम हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित सदस्य उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन), १९५९ की प्रवर समिति के लिये निर्वाचित कियेजायं :

१—श्री नारायण दत्त तिवारी,
२—श्री राम स्वरूप वर्मा,
३—श्री शिवप्रसाद नागर,
४—श्री पब्बर राम,
५—श्री भूप किशोर,
६—श्री शिवशंकर सिंह,
७—श्री राजेंद्र सिंह,
८—श्री शिव मूर्ति सिंह,
९—श्री बी० बी० सरन,
१०—श्री नरेंद्र सिंह भंडारी,
११—श्री शिवशरण लाल,
१२—श्री जगदीश शरण अग्रवाल,
१४—श्री रामहेत सिंह,
१४—श्री अब्दुललतीफ नोमानी,
१५—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी,
१६—श्री महीलाल,
१७—श्री चन्द्रहास मिश्र,
१८—श्रीमती चन्द्रावती।

इसके अलावा जो वित्त मंत्री जी हैं वह तो रहेंगे ही इसमें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इस नियम २०२ के अनुसार मैं यह निर्णय देता हूं कि जो वित्त मंत्री हैं, वह इस प्रवर समिति के सभापति होंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ फरवरी, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

उत्तर प्रदेश की मंडियों के औसत थोक भाव (प्रति मन, रुपयों में)

	अगस्त, १९५८ प्रथम पखवाड़े	सितम्बर, १९५८ प्रथम पखवाड़े	अक्तूबर, १९५८ प्रथम पखवाड़े	नवम्बर, १९५८ प्रथम पखवाड़े	दिसम्बर, १९५८ प्रथम पखवाड़े	जनवरी, १९५९ प्रथम पखवाड़े
	रु. न. पै.	रु. न. पै.	रु. न. पै.	रु. न. पै.	रु. न. पै.	रु. न. पै.
गेहूं एकत्रित होने वाली मंडियों (Assembling markets) के औसत भाव	२२.८५	२१.१८	२२.८२	२२.४१	२३.७०	२५.११
खपत होने वाली मंडियों (Consuming markets) के औसत भाव	२२.९४	२१.५३	२३.७०	२३.३३	२३.८०	२५.४७
चना एकत्रित होने वाली मंडियों (Assembling Markets) के औसत भाव	१६.७५	१६.२५	१८.४९	१८.६५	१९.२८	१९.८३
खपत होने वाली मंडियों के (Consuming Markets) औसत भाव	१६.७६	१६.३४	१८.६१	१८.५७	१९.४४	२०.१५
चावल ग्रेड ३ एकत्रित होनेवाली मंडियों (Assembling Markets) के औसत भाव	२६.३८	२२.९०	२१.९९	१९.५६	१८.१४	१८.७८
खपत होने वाली मंडियों (Consuming Markets) के औसत भाव	२७.६३	२४.५४	२३.८८	२१.१८	१९.४३	१९.०५
ज्वार एकत्रित होने वाली मंडियों (Assembling Markets) के औसत भाव	१४.२२	१२.७६	१३.८७	११.२२	१२.१६	१३.२१
खपत होने वाली मंडियों (Consuming Markets) के औसत भाव	१५.४५	१३.३०	१४.२४	१२.८४	१३.४२	१३.९१
बाजरा एकत्रित होने वाली मंडियों (Assembling Markets) के औसत भाव	१६.१४	१५.४०	१५.२५	१५.१६	१५.८४	१५.९८
खपत होने वाली मंडियों (Consuming Markets) क औसत भाव	१६.५८	१५.५५	१५.५९	१४.८८	१५.९२	१६.०४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९४ पर।)

तालिका

राजकीय कृषि बीज भंडार तालबेहट पर उन काश्तकारों के नाम जिनका २५ मन से ऊपर खरीफ का बीज दिया गया

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	मय पिता नाम	ग्राम	वजन खरीफ बीज जो दिया गया		
				मन	सेर	छ०
१	श्री कु० भूपेन्द्र सिंह	पुत्र रतन सिंह	बरगा	२६	१०	०
२	,, बनवारी लाल	,, मुन्नालाल	तालबेहट	३५	६	४
३	,, रामरतन	,, ,,	,,	३४	१५	०
४	,, रामनाथ	,, बंशीधर	,,	३१	१०	०
५	,, हरनारायण	,, ,,	,,	३१	१०	०
			योग	१५८	११	४

नत्थी 'ग'

तालिका

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

क्रम- संख्या	बीज का नाम	वितरण किरावली में				योग
		वितरण का लक्ष्य	कृषि गोदाम द्वारा	सहकारी गोदाम द्वारा	खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा प्रबन्ध किये गये बीजों के वितरण के आंकड़े	
१	गेहूं ..	१७,१००	४,२००	६,४२२	२,१८०	१५,८०२
२	चना ..	३,२५०	२३३	२,१५२	३३०	२,७१५
३	जौ ..	१,६५०	७६	७६१	६८०	१,५५०
४	मटर ..	१,२००	१,६५१	४४२	..	२,०६३
५	सरसों ..	..	४	७	..	११
	योग	२३,५००	६,१६७	१२,८१४	३,१६०	२२,१७१

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

उन भवनों की सूची जिनका किराया जून, १९५८ तक का बाकी है

बीज गोदाम का नाम	समय	दर प्रतिमास रु०	रकम
१—पीलीभीत	१६-५-५८ से ३०-६-५८	९०	१३६.४५
२—पीलीभीत	१-१२-५७ से ३०-६-५८	३८	२६६.००
३—बीसलपुर	१-१-५८ से ३०-६-५८	४०	२४०.००
४—पीलीभीत	२१-५-५७ से ३१-१-५८	३५	२९२.४२
५—पीलीभीत	१६-५-५८ से ३०-६-५८	३५	५२.५०
		योग	९८७.३७

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

तालिका "अ"

क्रम संख्या	तालाब का नाम	स्थिति
१	खता (पी० डब्लू० डी०) ..	राजघाट के पुल के पास तहसील सदर, वाराणसी
२	सिगरा चर्च पाड ..	वाराणसी शहर में
३	चमरहा ..	स्थान चमरहा, सदर वाराणसी
४	पड़ाइन ..	स्थान उदयपुर, सदर वाराणसी
५	रामनगर (मेहता) ..	रामनगर, तहसील वाराणसी
६	मोहनसराय ..	मोहनसराय, त० व जिला वाराणसी
७	रगीन दास ..	ग्राम सलारपुर ,, ,,
८	डेहरिया ..	ग्राम डेहरिया ,, ,,
९	भवइया ..	ग्राम भवइया ,, ,,
१०	बिहारीगंज ..	बरिया सन्हरा, ,, ,,
११	आशापुर ..	ग्राम आशापुर ,, ,,
१२	करसरा ..	ग्राम करसरा ,, ,,
१३	हरदुआ ..	हरदुआ ,, ,,
१४	धरहरा ..	धरहरा तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी
१५	सकलडीहा ..	ग्राम सकलडीहा ,, ,,
१६	सड़सा ..	ग्राम व तहसील ,, ,,
१७	भट्टी (चतुर्भुज) ..	ग्राम भट्टी ,, ,,
१८	कमालपुर ..	ग्राम कमालपुर ,, ,,
१९	चखनिया ..	ग्राम चखनिया ,, ,,
२०	अमड़ा ..	ग्राम अमड़ा ,, ,,
२१	बहेरी ..	ग्राम बहेरी

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३४४ एल० ए०—१९५९—८४५।